षोडश माला, खंड 10, अंक 34

मंगलवार, 12 मई, 2015

22 वैशाख, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 20 में 31 से 35 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

सम्पादक मंडल

उत्पल कुमार सिंह
महासचिव
लोक सभा

ममता केमवाल
संयुक्त सचिव

अमर सिंह
निदेशक

बसन्त प्रसाद
संयुक्त निदेशक

रजनी
संपादक

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) **आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि,** हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 10, चौथा सत्र, 2015 / 1937 (शक)

अंक 34, मंगलवार, 12 मई, 2015 / 22 वैशाख, 1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	
एक बस के गहरी खाई में गिरने से कथित तौर पर लगभग 24 व्यक्तियों की मृत्यु और 30 अन्य व्यक्तियों के घायल होने के बारे में	9
सभा पटल पर रखे गए पत्र	11-14
राज्य सभा से संदेश	15-19
और	
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	
मंत्री द्वारा वक्तव्य	
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शक्तिमान मेगा फूड पार्क, अमेठी को रद्द किए जाने के बारे में	
श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	20-23

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014 को वापस लिए जाने के बारे में राज्य सभा की सिफारिश से सहमति संबंधी प्रस्ताव 24

सदस्य द्वारा निवेदन

एक शुगर फैक्ट्री द्वारा प्राप्त ऋण के बारे में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में उठाई गई वित्तीय अनियमितताओं के बारे में 42-45

नियम 388 के निलंबन के बारे में प्रस्ताव 78-82

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यर्वस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यर्वस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015

विचार के लिए प्रस्ताव 83

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह 83, 87-94, 174-182

श्री सी. एन. जयदेवन 83, 93-97, 183

श्री राहुल गांधी 98-101

श्री दिलीप सिंह भूरिया 102-109

डॉ. पी. वेणुगोपाल 110-112

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय 113-115

श्री बलभद्र माझी 116-118

श्री अरविंद सावंत 119-122

श्री जयदेव गल्ला	123-124
श्री एन के प्रेमचन्द्रन	125-128
श्री बी. विनोद कुमार	129-130
श्री मोहम्मद सलीम	131-136
श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी	137-138
श्री तारिक अनवर	139-141
श्री जय प्रकाश नारायण यादव	143-145
श्री धर्मेन्द्र यादव	146
श्री मुलायम सिंह यादव	147-148
श्री रनजीत सिंह ब्रह्मपुरा	149
श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर	150
श्री कौशलेन्द्र कुमार	151-152
श्री राजू शेट्टी	153-154
एडवोकेट जोइस जॉर्ज	155-156
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	157-162
श्री असादुद्दीन ओवैसी	163-165
श्री एम. वैंकैय्यानायडू	166-173
सांविधिक संकल्प - अस्वीकृत	183

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 को संयुक्त समिति को सौंपे जाने के संबंध में प्रस्ताव

स्वीकृत 184-187

कार्य मंत्रणा समिति

19वां प्रतिवेदन 142

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

माननीय उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा

मंगलवार, 12 मई, 2015 / 22 वैशाख, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

<u>अध्यक्ष द्वारा उल्लेख</u>

एक बस के गहरी खाई में गिरने से कथित तौर पर लगभग 24 व्यक्तियों की मृत्यु और 30 अन्य व्यक्तियों के घायल होने के बारे में उल्लेख किया गया

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, 11 मई, 2015 को जम्मू से 140 कि. मी. दूर उधमपुर जिले के मरोठी गांव में एक बस के गहरी खाई में गिर जाने के कारण लगभग 24 व्यक्तियों की मृत्यु होने और अन्य 30 व्यक्तियों के घायल होने की सूचना मिली है।

यह सभा इस दुःखद घटना पर अपनी गहरी संवेदना प्रकट करती है, जिसने शोक-संतप्त परिवारों को अत्यंत दुःख और पीड़ा पहुंचायी है तथा यह सभा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती है।

सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में अब थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

<u>पूर्वाह्न 11.01 बजे</u>

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर के लिए मौन खड़े रहे)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सदस्यगण, मुझे श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी, श्री दीपेन्द्र हुड्डा, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, श्री राजीव सातव, कुमारी सुष्मिता देव, श्री एस.पी.मुद्दाहानुमे गौड़ा, डॉ. पी.वेणुगोपाल और श्री रवनीत सिंह से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं जानती हूँ कि ये मामले काफी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके लिए आज के कामकाज में व्यवधान की आवश्यकता नहीं है। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से उठाया जा सकता है जो मैं निश्चित रूप से आपको दूँगी। मैं आपको हमेशा अपनी बात रखने का अवसर प्रदान करती हूँ। अत: मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है। श्री दीपेन्द्र हुड्डा, मैं आपको पत्रों के पटल पर रखे जाने के बाद ही अनुमति दूँगी। …

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको अनुमति देती हूँ। …

(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको शून्यकाल में अनुमति दूँगी।

… (*व्यवधान*)

पूर्वाह्न 11.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

माननीय अध्यक्ष: अब, सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रकाश जावड़ेकर): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) (एक) सेंट्रल जू ऑथरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल जू ऑथरिटी, नई दिल्ली के वर्ष 2013-2014 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2656/16/15]

विद्युत मंत्रालय के राज्य मंत्री; कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पीयूष गोयल): मैं नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा विद्युत मंत्रालय के बीच वर्ष 2015-2016 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2657/16/15]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): श्री जयंत सिन्हा जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अन्तर्गत मार्च, 2014 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार के लेखे (2015 का संख्यांक 1) - वित्तीय लेखापरीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2658/16/15]

(2) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) वर्ष 2013-2014 के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे।

(2) वर्ष 2013-2014 के लिए संघ सरकार (सिविल) के विनियोग लेखे।

(3) वर्ष 2013-2014 के लिए संघ सरकार-रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखे।

(4) वर्ष 2013-2014 के लिए संघ सरकार-डाक सेवाओं के विनियोग लेखे।

[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2659/16/15]

(3) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010, जो 11 दिसम्बर, 2014 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सी.ओ:एच.आर.डी:आईआरपी:2014-15;702 में प्रकाशित हुए थे, की प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 2660/16/15]

(4) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि) विनियम, 2015 जो 27 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.एफ.आर.डी.ए./12/आर.जी.एल./139/1 में प्रकाशित हुए थे।

(2) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जाँच की प्रक्रिया) विनियम, 2015 जो 7 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.एफ.आर.डी.ए./12/आर.जी.एल./139/1 में प्रकाशित हुए थे।

(3) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पेंशन सलाहकार समिति की बैठकें) विनियम, 2015 जो 27 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.एफ.आर.डी.ए./12/आर.जी.एल./139/1 में प्रकाशित हुआ थे।

(4) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (अभिदाता की शिकायत दूर करना) विनियम), 2015 जो 29 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.एफ.आर.डी.ए./12/आर.जी.एल./ 139/ 1 में प्रकाशित हुए थे।

(5) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (प्राधिकरण की बैठकों की प्रक्रिया) विनियम, 2015 जो 27 जनवरी, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या पी.एफ.आर.डी.ए./12/ आर.जी.एल./ 139/1 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 2661/16/15]

(5) धन-शोधन अधिनियम, 2002, की धारा 74 के अन्तर्गत धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण)

संशोधन नियम, 2015 जो 15 अप्रैल, 2015 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 288(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गयी, देखिए संख्या एल.टी. 2662/16/15]

<u>पूर्वाह्न 11.03 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

महासचिवः माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:-

(एक) मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने सोमवार, 11 मई, 2015 को हुई अपनी बैठक में कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक, 2014 के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृत किया है, जिसे लोक सभा द्वारा 12 दिसंबर, 2014 को पारित किया गया और 15 दिसंबर, 2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था:-

<u>प्रस्ताव</u>

"कि कोयला खनन संक्रियाओं और कोयला उत्पादन में निरंतरता सुनिश्चित करने की दृष्टि से बोली लगाने वाले सफल व्यक्तियों तथा आबंटितियों को कोयला खानों के आबंटन और खनन पट्टों के साथ भूमि और खान अवसंरचना में और उस पर के अधिकार, हक और हित निहित करने के लिए राष्ट्रीय हित में देश की आवश्यकता के अनुरूप कोयला साधनों के अधिकतम उपयोग का संवर्धन करने के लिए देने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक जो 12 दिसम्बर, 2014 को लोक सभा द्वारा पारित किया गया और 15 दिसंबर, 2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, को वापस लिए जाने की अनुमति दी जाए।"

2. तत्पश्चात, विधेयक वापस लिया गया।

(दो) 'राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 115 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि 11 मई, 2015 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा ने लोक सभा द्वारा 7 मई, 2015 को पारित संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) विधेयक, 2013 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार बिना किसी और संशोधन के पारित किया:-

खण्ड 3

1. पृष्ठ 2, पंक्ति 20 और 21 में, "संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013" ***के स्थान पर***, "संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015 प्रतिस्थापित किया जाए"।

2. पृष्ठ 2, पंक्ति 22 में, "संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013" ***के स्थान पर***, "संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए"।

3. पृष्ठ 2, पंक्ति पंक्ति 27 और 28 में, "संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013" ***के स्थान पर***, "संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए"।

4. पृष्ठ 2, पंक्ति 29 और 30 में, "संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013" ***के स्थान पर***, "संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए"।

5. पृष्ठ 2, पंक्ति 34 में, "संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013" ***के स्थान पर***, "संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए"।

6. पृष्ठ 2, पंक्ति 38 और 39 में, “संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013”, ***के स्थान पर*** “संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015” प्रस्थापित किया जाए"।

7. पृष्ठ 2, पंक्ति 40 में, "संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) अधिनियम, 2013" ***के स्थान पर***, "संविधान (सौवां संशोधन) अधिनियम, 2015" प्रतिस्थापित किया जाए"।

माननीय अध्यक्ष: अब मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल द्वारा वक्तव्य। यदि आप इसे रखना चाहते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

डॉ. किरीट सोमैया (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदया, मैंने जो विषय उपस्थित किया था, उस संबंध में मुझे पता चला है कि राहुल गांधी जी ने अक्टूबर 2013 में उस पार्क का उद्घाटन किया था। ...(व्यवधान) राहुल गांधी जी ने गैर-कानूनी उद्घाटन किया था। ... (व्यवधान)

<u>पूर्वाह्न 11.04 बजे</u>

इस समय श्री मेकापति राजमोहन रेड्डी, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल) : ये जवाब सुनना क्यों नहीं चाहते हैं? ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रख सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल :जवाब तो सुनिए। क्यों घबरा रहे हैं?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यदि आप चाहते हैं, तो आप निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रख सकते हैं।

… (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.06 बजे</u>

<u>मंत्री द्वारा वक्तव्य</u>
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा
शक्तिमान मेगा फूड पार्क, अमेठी को रद्द किए जाने के बारे में**

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री (श्रीमती हरसिमरत कौर बादल): मंत्रालय देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक अवसंरचना के सृजन हेतु मेगा खाद्य पार्क स्कीम का कार्यान्व्यन कर रहा है। (*व्यवधान*) इस योजना के अंतर्गत, एक मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई तथा 24.09.2010 को मेसर्स शक्तिमान मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड को जगदीशपुर (वर्तमान में अमेठी जिला, उत्तर प्रदेश) में एक परियोजना स्थापित करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार पार्क के प्रमोटर को सैद्धांतिक अनुमोदन दिए जाने की तारीख से छह महीने के भीतर प्रमोटर कंपनी के नाम पर न्यूनतम 50 एकड़ भूमि के स्वामित्व के साथ परियोजना की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) प्रस्तुत करनी थी। (*व्यवधान*) प्रमोटर ने इस परियोजना का अपना डी.पी.आर. दिनांक 23 मार्च, 2011 को प्रस्तुत किया था, जिसका मूल्यांकन मंत्रालय द्वारा स्कीम के अन्तर्गत नियुक्त व्यवसायिक कार्यक्रम प्रबन्धन एजेंसी द्वारा किया गया था। डी.पी.आर. के मूल्यांकन से पता चला कि प्रमोटर कंपनी के पास मेगा खाद्य पार्क परियोजना स्थापित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम 50 एकड़ भूमि के साथ-साथ अनुमति भी नहीं थी... (*व्यवधान*) इसलिए, प्रमोटर कंपनी को अंतिम अनुमोदन की पूर्व शर्तों को पूरा करने के लिए कई बार समय-सीमा बढ़ाई गई। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम अनुमोदन की पूर्व शर्तों को पूरा करने के लिए प्रमोटर कंपनी को पूरा करने के लिए प्रमोटर कंपनी को आखिरी समय विस्तार 30 मार्च, 2014 तक दिया गया था। (*व्यवधान*)

प्रमोटर कंपनी ने मैसर्स इंडो-गल्फ फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, से परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव किया था जो मैसर्स आदित्य बिड़ला नूवो लि. की एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी है। उपर्युक्त

**ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 2663/16/15।

भूमि, उस 800 एकड़ भूमि का एक हिस्सा थी जो मैसर्स इंडो-गल्फ फर्टिलाइज़र लि. को केवल फर्टिलाइज़र उत्पादन सुविधा की स्थापना के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास परिषद (यू.पी.एस.आई.डी.सी.) द्वारा आवंटित की गयी थी.. (*व्यवधान*) इसलिए, मेगा खाद्य पार्क प्रमोटर कंपनी को मेगा खाद्य पार्क की स्थापना के लिए यह भूमि उप-पट्टे पर देने के लिए मैसर्स इंडो-गल्फ फर्टिलाइज़र लि. को इस भूमि के उपयोग में परिवर्तन के साथ यू.पी.एस.आई.डी.सी.की अनुमति की आवश्यकता थी। मेगा फूड पार्क में स्थापित होने वाली संभावित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को प्रमोटर कंपनी द्वारा भूखंडों को आगे उप-पट्टे पर देने के लिए यू.पी.एस.आई.डी.सी. की अनुमति भी आवश्यक थी। यू.पी.एस.आई.डी.सी. ने दिनांक 19.07.2012 को *पत्र द्वारा* सूचित किया की मैसर्स इंडो-गल्फ फर्टिलाइज़र लि. द्वारा भूमि को उप-पट्टे पर दिए जाने की अनुमति स्वीकृत कर दी गई है और उन्हें आवश्यक औपचारिकताएँ पूरी करने के लिए कहा गया है। (*व्यवधान*) भूमि को उप-पट्टे पर दिए जाने की अनुमति, संशोधित दरों के अनुसार पट्टे के किराए के भुगतान तथा यू.पी.एस.आई.डी.सी. के उप-नियमों के अनुसार अपेक्षित औपचारिकताओं को पूरा करने के अधीन थी। हालांकि, प्रमोटर कंपनी अपेक्षित भूमि का अपने नाम से अधिग्रहण करने की औपचारिकता पूरी नहीं कर सकी। इसलिए, एस.पी.वी.को दिनांक 8.10.2012 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसमें पूछा गया था की स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार अंतिम अनुमोदन की विनिर्दिष्ट पूर्व शर्तों को पूरा करने में विफल रहने के लिए क्यों न परियोजना को दिए गये सैद्धान्तिक अनुमोदन को रद्द कर दिया जाए। (*व्यवधान*)

कारण बताओ नोटिस के जवाब में, प्रवर्तक कंपनी ने बताया कि भूमि के मुद्दे के अलावा, जिसे हल करने की आवश्यकता है, उन्होंने मेगा फूड पार्क में एक कैप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने के लिए प्रशासित मूल्य पर गैस के आवंटन के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को भी आवेदन किया है, जो निर्बाध बिजली की आपूर्ति के लिए आवश्यक है और जो मेगा फूड पार्क की सफलता के लिए एक पूर्वापेक्षा है। (*व्यवधान*)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दिनांक 18.12.2012 को जारी अपने पत्र के माध्यम से इस संबंध में सूचित किया कि देश में घरेलू गैस की तात्कालिक कमी एवं कैप्टिव पावर प्लांट को घरेलू गैस के

आवंटन में दी जाने वाली कम प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित मेगा खाद्य पार्क के लिए घरेलू गैस आवंटित करना सम्भव नहीं होगा। … (*व्यवधान*) हालांकि, कैप्टिव पावर प्लांट की आवश्यकता को पूरा करने के लिए गेल के माध्यम से आयातित एल.एन.जी. की आपूर्ति व्यवहार्य हो सकती है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा यह सूचना प्रमोटर कंपनी को 2.01.2013 को दे दी गयी थी। हालांकि, प्रमोटर कंपनी ने अपने *पत्र के द्वारा* दिनांक 16.01.2013को मंत्रालय को सूचित किया कि कैप्टिव विद्युत उत्पादन के लिए आयातित एल.एन.जी. का इस्तेमाल करना पूरी तरह से अलाभकारी होगा और इस तरह परियोजना वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं रह पाएगी। प्रमोटर कंपनी ने यह भी सूचित किया कि कैप्टिव पावर प्लांट के लिए प्रशासित मूल्य पर घरेलू प्राकृतिक गैस आवंटन के बिना वे आगे का कार्य नहीं कर सकते। … (*व्यवधान*)

मंत्रालय में दिनांक 9.06.2014 को परियोजना की प्रगति की समीक्षा की गई थी। समीक्षा बैठक के दौरान, प्रमोटर कंपनी के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि परियोजना प्रशासित मूल्य गैस की आपूर्ति के बिना प्रमोटर कंपनी इस परियोजना को व्यवहार्य नहीं मानेगी। प्रमोटर कंपनी नें प्रशासित मूल्य पर गैस की अनुपलब्धता से परियोजना को आगे ले जाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। … (*व्यवधान*)

प्रमोटर कंपनी ने अपने दिनांक 26.06.2014 के पत्र के माध्यम से यह सूचित किया कि अपेक्षित भूमि का अधिग्रहण अभी उनके द्वारा किया जाना है क्योंकि उप-पट्टे पर दिए जाने के लिए यू.पी.एस.आई.डी.सी. के दिशानिर्देशों में किए जाने वाले परिवर्तन विचाराधीन हैं। प्रमोटर कंपनी ने 30 सितंबर, 2014 तक के और समय-विस्तार का अनुरोध किया था। … (*व्यवधान*)

प्रमोटर कंपनी द्वारा अंतिम अनुमोदन के लिए आवश्यक पूर्व शर्तों को पूरा करने में होने वाले अत्यधिक विलंब के संबंध में सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की अध्यक्षता में अंतरमंत्रालयी अनुमोदन समिति (आई.एम.ए.सी.) की दिनांक 30.06.2014 की बैठक में विचार किया गया था। … (*व्यवधान*) अंतिम अनुमोदन की इन पूर्व-शर्तों को पूरा करने में प्रमोटर कंपनी दवारा किए गये अत्यधिक विलंब की दृष्टि से मंत्रालय द्वारा इस

परियोजना को दिए गये अंतिम अनुमोदन को रद्द कर दिया गया था। रद्द किए जाने के सम्बन्ध में लिए गये निर्णय को दिनांक 11.07.2014 को प्रमोटर कंपनी को सूचित किया गया था। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : केवल मंत्री महोदया का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

… (*व्यवधान*)… *

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)… *

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

<u>पूर्वाह्न 11.15 बजे</u>

मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2014 को वापस लिए जाने के संबंध में राज्य सभा की सिफारिश से सहमति संबंधी प्रस्ताव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन): मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री नितिन गडकरी की ओर से, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा राज्य सभा की सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा, राज्य सभा द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक, जो लोक सभा द्वारा 18 दिसंबर, 2014 को पारित किया गया था और 19 दिसंबर, 2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, को वापस लिए जाने के लिए दी गयी अनुमति से सहमत हो।"

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः

"कि यह सभा राज्य सभा की सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा, राज्य सभा द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक, जो लोक सभा द्वारा 18 दिसंबर, 2014 को पारित किया गया था और 19 दिसंबर, 2014 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया था, को वापस लिए जाने के लिए दी गयी अनुमति से सहमत हो”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, 'शून्यकाल।'

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं। मैं आपको अनुमति देती हूं।

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): किस नियम नियम के तहत? यह तीसरी बार है जब वह प्रतिक्रिया दे रही हैं। … (*व्यवधान*) कोई भी नियम का पालन नहीं कर रहा है… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको अनुमति देती हूं। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं। अब,'शून्यकाल" है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह क्या है? कोई तख्तियां नहीं दिखाएगा। आप लोग अपनी सीटों पर वापस चले जाइए। इस प्रकार से मत कीजिए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

पूर्वाह्न 11.17 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न साढ़े ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>पूर्वाह्न 11.30 बजे</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*)

माननीय अध्यक्ष: अब, हम 'शून्यकाल' पर आते हैं।

[हिन्दी]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया, आपको और हमें, सभी को मालूम है, अमेठी फूड पार्क के बारे में यहां पर तीन बार चर्चा हुई। एक बार किरीट सोमैय्या जी ने जीरो आवर में मामला उठाया, उसके बाद उसी वक्त फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर ने जवाब दिया, फिर होम मिनिस्टर ने भी इसके बारे में कहा, इसके बावजूद भी प्रतिदिन यही वक्तव्य आ रहा है। (अनुवाद) मैं जानना चाहता हूं कि इसे कैसे और किस नियम के अन्तर्गत दोहराया जा रहा है.... (*व्यवधान*) आपके पास पूरी शक्तियां हैं। आपको अपनी शक्ति का विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूं... (*व्यवधान*) सिर्फ इसलिए कि शक्तियां हैं, किसी को बार-बार अनुमति नहीं देनी चाहिए। हम इस मुद्दे को उठा रहे हैं... (*व्यवधान*) मैं कोई भी मुद्दा उठाने के लिए तैयार हूँ... (*व्यवधान*) आप मुझे दंडित कर सकते हैं। आप मुझे सदस्यता से हटा सकते हैं। मैं इसके लिए तैयार हूँ... (*व्यवधान*) मैं किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हूँ। … (*व्यवधान*) मैं जाने के लिए तैयार हूं। मैं अपना स्थान खाली करने के लिए तैयार हूं लेकिन अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, आप मुझसे बात कीजिए। मैं आपकी बात सुन रही हूं।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: इस तरह के अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हम धैर्य से सुन रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इस सभा में बार-बार एक ही बात को पांच बार उठाया जाएगा। … (*व्यवधान*) यह सिर्फ़ बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। … (*व्यवधान*) फिर, महोदया, आप एक काम कीजिए। आप कल इस मुद्दे को चर्चा के लिए उठा सकती हैं। हम सब इसमें प्रतिभागी बनेंगे। हम जानना चाहते हैं की कितने खाद्य पार्क हैं, और किस तरह के हैं। आइए देखते हैं… (*व्यवधान*) यदि और कोई आपसे आग्रह करेगा, तो आप उन्हें अनुमति दे देंगे। लेकिन जब हम आपसे आग्रह करते हैं, तो आप हमारे आग्रह को अस्वीकार कर देते हैं। तो, अब मै क्या कहूँ? जब हमने स्थगन प्रस्ताव दिया, तब आपने हमें समय नहीं दिया। लेकिन क्या आपने संबंधित मंत्री से पूछा। यह अच्छी बात नहीं है। यह उचित नहीं है। महोदया, हम बहुत आहत हैं। हम ऐसी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकते।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अब बैठ जाइए।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : खड़गे जी, अब आप मेरी बात सुनिए।

… (व्यवधान)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : ऐसे धमकी नहीं देना। …(व्यवधान) सभापति को ऐसे धमकी नहीं देना।…(व्यवधान) कांग्रेस की ओर से इश्यू रेज किया गया, उसी का जवाब मंत्री जी ने आज दिया है। आप लोगों ने इश्यू उठाया था, उसी का जवाब दिया। ऐसे धमकी नहीं देना किसी को, यह अच्छा भी नहीं है।…(व्यवधान) शान्त हो जाइए।…(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर बैठें।

[हिन्दी]

आप लोग शान्त हो जाइए। दीपेन्द्र जी, आप भी बैठिए।

... (व्यवधान)

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : आपके नेता ने बोल लिया है, अब आप बैठ जाइए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोगों ने मेरे बारे में कुछ कहा है, आपको गुस्सा है तो क्या आप मेरी बात सुनना चाहेंगे या नहीं? मैं समझ सकती हूं। आपको गुस्सा है या जो भी है, लेकिन क्यों हुआ है, क्या हुआ है। आपने डायरेक्टली मुझे कुछ कहा, मुझे नहीं - सुमित्रा महाजन को नहीं – अपितु आपने अध्यक्षपीठ को काफी कुछ कहा है। अध्यक्षपीठ इस सब की अनुमति कैसे दे सकती है?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष अब खड़गे जी सुनने के लिए भी थोड़ा धैर्य रखें। मैं आपको बताऊंगी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाएं। मैं वन बाई वन सब बातें बताऊंगी। पहली बात यह है कि माननीय राहुल गांधी जी ने कुछ मामला उठाया था। एक तो बार-बार यह कहा जा रहा है कि हम एडजॉर्नमेंट मोशन देते हैं, उस पर समय नहीं मिलता। एडजॉर्नमेंट मोशन डिसअलाऊ होने के बाद, आज मुझे इसलिए सब कहना पड़ रहा है कि मैंने वह सब लिख कर रखा है। यदि आप चाहें तो, मैं आपको रिकार्ड दिखा सकती हूं। हर समय मैंने जीरो ऑवर में ही क्यों न हो, आपके सदस्यों को, जिस-जिसने भी एडजॉर्नमेंट मोशन दिया है, बोलने का मौका दिया है। कई बार तो एडजॉर्न मोशन इतना सामान्य था कि रोज जीरो ऑवर में उठाने जैसा मामला था या अन्य किसी तरीके से उठाया जा सकता था। फिर भी मैंने समय दिया है। कभी-कभी तो स्थगन प्रस्ताव समय पर भी

नहीं आया, फिर भी मैंने बोलने का मौका दिया। खड़गे जी, मेरे पास लिखित में रिकार्ड है, आपने जैसा कहा कि मैं समय नहीं देती।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाएं, कृपया मुझे सुनें। खड़गे जी, बैठे-बैठे न बोलें, कृपया थोड़ा शांत हो जाएं। इतना गुस्सा न कीजिए। दूसरी बात यह है कि कल भी मैंने दीपेन्द्र हुड्डा जी के एडजॉर्नमेंट मोशन पर उन्हें बोलने का मौका देने की बात कही थी और मैं बोलने के लिए अलाऊ करती भी रहती हूं। ऐसा नहीं है कि मैं बोलने के लिए अलाऊ नहीं करती हूं, आप बिल्कुल रिकार्ड उठाकर देख सकते हैं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप बैठ जाएं। यह कोई तरीका नहीं है। जहां तक बात है आज के स्टेटमेंट के, तो एक बात यह है कि जब कोई मंत्री मुझे लिखकर देते हैं और लिखित स्टेटमेंट मेरे पास आता है...

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप पहले सुन लें। या तो आप मेरे से प्रश्न ही करते रहना चाहते हो तो, यदि आप मुझे अध्यक्ष नहीं मानते तो मुझे कुछ कहना ही नहीं है। मगर इस तरह टोका-टाकी नहीं होनी चाहिए। आप बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: दीपेन्द्र जी, पहले सुन तो लीजिए। ऐसा नहीं है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब तो मुझे यह बोलना पड़ेगा।

(व्यवधान) *

माननीय अध्यक्ष: मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यदि आप 'शून्य काल' में जाना चाहते हैं, तो हम इसे उठा सकते हैं। स्टेटमेंट की बात जो मैं कह रही हूं कि जब माननीय राहुल जी ने यह मुद्दा उठाया था, उस समय शायद मुझे ठीक से याद नहीं है कि गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम बताएंगे आपको। दूसरे दिन जब यह बात उठी तो दोबारा किरीट जी ने कुछ बात उठाई। उस समय मंत्री जी ने कहा कि मैं बता देती हूं, मगर उस समय उनके मुंह से कुछ गलत शब्द निकले, हल्ला-गुल्ला हो गया, उनकी बात अधूरी रह गई। उन्होंने मुझे आकर बताया कि जो पूरे फैक्टस मैं देना चाहती थी, वे उस समय नहीं आ पाए। अगर आप आज का उनका स्टेटमेंट पढ़ें तो पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स का स्टेटमेंट है। इसलिए मैंने उन्हें स्टेटमेंट देने के लिए अलाऊ किया। आप अगर देखेंगे तो उसमें एक यही बात है कि पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं इसलिए मैंने उन्हें अलाऊ किया। अब हम जीरो ऑवर लेते हैं।

श्री राजमोहन रेड्डी।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: क्या रूल होता है, क्या जीरो ऑवर में कोई रूल होता है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूँ। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। … (*व्यवधान*)

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, दीपेन्द्र जी आप बोलिए, हालांकि यह होता नहीं है।

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदया, सबसे पहले, आप कह रही हैं कि यह 'शून्य काल' है। यह 'शून्य काल' नहीं है। यह सूचीबद्ध कार्य है जो कल शाम को कार्यसूची में आया है। यह पहली बात है।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: लिस्टेड बिजनेस में जीरो ऑवर नहीं लिखा रहता है।

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: मैं जिस बिंदु का उल्लेख कर रहा हूं वह नियम 356 है।

माननीय अध्यक्ष : नहीं।

श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा: नियम 356 यह कहता है

> "अध्यक्ष, ऐसे सदस्य के आचरण की ओर, जो वाद-विवाद में बार-बार असंगत बातें करे या जो स्वयं अपने प्रतर्कों की या अन्य सदस्यों द्वारा प्रयुक्त प्रतर्कों की उकता देने वाली पुनरुक्ति करता रहे, सभा का ध्यान दिला देने के बाद उस सदस्य को अपना भाषण बन्द करने का निदेश दे सकता है..."

महोदया, इसे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार नहीं बल्कि पांच बार दोहराया गया है। उसी दिन जब राहुल जी ने इस मामले को उठाया, तब मंत्री जी ने उत्तर दिया। फिर, किरिट सोमैया जी को इस मामले को उठाने की अनुमति दी गई थी; तब मंत्री जी ने जवाब दिया। फिर से, राजनाथ सिंह जी ने एक वादा दिया था। यह पांचवीं बार है, जब सरकार इस पर प्रतिक्रिया दे रही है। क्या यह पुनरावृत्ति नहीं है? हम एक बार कहते हैं; वे पांच बार कहते हैं। आप उनके तर्कों को स्वीकार कर रहें हैं। यह स्वाभाविक न्याय नहीं है। यह लोकतंत्र नहीं

है। हमारी आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता; हमारी आवाज़ को सुना जाना चाहिए। आप पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दे सकते। कानून के अनुसार, आप पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दे सकते। नियम 356 के अनुसार, आप पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं दे सकते। यही कारण है कि नियम होते हैं। आप सरकार को इस उम्मीद में पांच बार अपनी राय रखने की अनुमति नहीं दे सकते कि इससे हमारी आवाज दब जाएगी... (*व्यवधान*)

वह तथ्य भी गलत रख रही हैं। महोदया, आप चर्चा की अनुमति दीजिए। हम अपने तथ्य सामने ले कर आयेंगे। उन्होंने खाद्य पार्क को रद्द कर दिया। अब वे तर्कों का सहारा ले रहे हैं; पांच बार उन्होंने अपने तर्क दिए। यह स्वीकार्य नहीं है। … (*व्यवधान*)

आपसे हमारा विनम्र निवेदन है, महोदया, आप ही हैं, आप ही ने अध्यक्षपीठ ने ही उनको पाँचवीं बार यह तर्क देने की अनुमति दी है। यह आपकी अध्यक्षपीठ है जिसने उन्हें पांचवीं बार यह तर्क देने की अनुमति दी है। यही हमारा तर्क है। यह आप पर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं है... * यही हमारा तर्क है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, सदन के भीतर सत्य रखने का आधिकार सरकार को है।...(व्यवधान) अगर सरकार को सत्य रखने का आधिकार है तो निश्चित रूप से सुनने का पोटेंशियल होना चाहिए।...(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्री राजनाथ सिंह) : अध्यक्ष जी, जिस समय श्री राहुल गांधी जी ने फूड पार्क का मामला जो अमेठी के अंतर्गत आता है, उसे उठाया था तब मैंने सदन में खड़े हो कर आश्वस्त किया था कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से इस मामले की जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। यह आश्वासन देने के बाद तुरंत फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर श्रीमती हरसिमरत जी से मैंने बात की और इस संबंध में मैंने पूरी जानकारी हासिल की। उन्होंने मुझे डिटेल्ड जानकारी मुझे दे दी थी। जिस दिन मैंने वायदा किया था उसी दिन मैंने वह जानकारी श्री राहुल गांधी जी को

---

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपलब्ध करवा दी थी, उसको उनके घर पर भिजवा दिया था। मैंने जो वायदा किया था, उसे पूरा कर दिया था। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि यदि किसी सदस्य द्वारा कोई प्रश्न सदन में उठाया जाता है, यदि मंत्री उस पर एक बार की बजाय दो बार उसकी जानकारी दे देता है, तो उस पर आपत्ति क्यों होनी चाहिए? यह बात हमारी समझ के परे है, यह बात समझ में नहीं आ रही है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग कृपया बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र जी, आप लोग कृपया बैठ जाएं। कृपया आप सभी बैठ जाएं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मुझसे बात की जा रही है। आप लोग बैठ जाएं। दीपेन्द्र हुड्डा जी, आपने रूल 356 उठाया है। एक बात आपने गलत कही है कि पांच बार, छह बार ऐसा कुछ नहीं है।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप मेरी बात सुनिए। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है और आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग मेरी बात को भी पूरी तरह से सुनें। अगर हम देखें और यदि मैं गलत नहीं तो माननीय राहुल जी ने सात मई को यह मामला सदन में उठाया था। जैसा कि राजनाथ सिंह जी ने कहा, उस समय हरसिमरत कौर जी ने कुछ नहीं बोला था।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह रिकार्ड में है कि उस समय वह नहीं बोली थीं।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : उस समय मंत्री जी नहीं बोलीं थीं। वह स्वयं 'नहीं' कह रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, हमें रिकार्ड देखने होंगे।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष: राहुल जी भी कह रहे हैं कि नहीं बोली थी। दूसरी बात यह है कि उसके बाद, शायद आठ तारीख को हो सकता है कि किरीट सोमैय्या ने जब कुछ मामला उठाया, उस समय उन्होंने कुछ प्रिवलेज मोशन लाने की बात कही थी। मैंने उनको कहा था कि हाऊस में प्रिविलेज तो नहीं उठ सकता है। तब हरसिमरत जी ने कहा था कि मैं इस पर कुछ बोलना चाहूंगी। इसलिए जब उनकी बात शुरू हो गई तो कुछ गलत शब्द भी उनके मुंह से निकले, जिस पर मैंने तुरंत कहा था कि यह अभिलेख में नहीं जायेगा उसके बाद जिस तरीके से एक हल्ला-गुल्ला हो गया तो उनकी बात अधूरी रह गई। उस दिन हरसिमरत जी पहली बार ही बोली थीं। उसके बाद उनकी बात, जो अधूरी रह गई कि डीटेल्स रिकॉर्ड में नहीं जा सके, उन्होंने तुरंत मुझे पत्र भी लिखा और उस पूरे फूड पार्क के संदर्भ में एज़ ए मिनिस्टर उन्होंने एक पूरा स्टेटमेंट बना कर मुझे दिया और कहा कि मेरी पूरी बात उस फूड पार्क के संदर्भ में उस दिन नहीं हो पाई है और इसलिए मैं इस पर स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। कल उनका वह पत्र मेरे पास आया था, लेकिन कल हाऊस में उस समय कुछ नहीं हो पाया तो मैंने उनको कहा कि आप दूसरे दिन इसको देखिएगा, मैं आपको अलाऊ करूंगी। मिनिस्टर कुछ स्टेटमेट देना चाहे तो हम अलाऊ करते हैं। मैंने खुद वह पूरा स्टेटमेंट पढ़ कर भी देखा है। उसमें टोटल यह एक्सप्लेनेशन है कि फूड पार्क का किस-किस स्टेप्स में क्या-क्या हुआ है। यह मैंने खुद देखा है और आपको भी स्टेटमेंट देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आज यानि वास्तव में, यह दूसरी बार है पांचवीं बार नहीं है। आप इसे समझ लें। आप रिकॉर्ड उठा कर देख लीजिए।

… <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया आप रिकार्ड देखें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : अब दूसरी बात, इसलिए आज सैकेंड टाईम उन्होंने अपना स्टेटमेंट रखा है। आप उस स्टेटमेंट को पढ़िए और फिर आगे कुछ बोलोगे तो मुझे भी कुछ बोलना पड़ेगा कि अगर फाईव टाइम्स रिकॉर्ड में हरसिमरत कौर का स्टेटमेंट नहीं हुआ तो आप सॉरी बोलोगे?

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : कृपया ऐसा न करें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : ऐसी कोई बात नहीं हुई है।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब, श्री एम.राजा मोहन रेड्डी जी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: क्या आप मुझे चुनौती दे रहे हैं? पहले आप रिकार्ड देखें और फिर मेरे पास आइए। मुझे खेद है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: पहले आप रिकार्ड को देखें और फिर मेरे पास आइए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आपका यह व्यवहार सही नहीं है। कृपया बैठ जाइए।

… (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: महोदया, यह अध्यक्ष जी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं है। यह पूरी सभा का मुद्दा है। यदि मेरे मित्र श्री दीपेन्द्र हुड्डा नियम 356 को उद्धरित करते है, तो उन्हें हर दिन इसे याद रखना चाहिए। … (*व्यवधान*) मैं अध्यक्षपीठ से आग्रह करता हूँ। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? कृपया बैठ जाइए। … (*व्यवधान*) मैं अध्यक्षपीठ की अनुमति से अपनी बात कह रहा हूँ। किसी को भी माननीय अध्यक्ष को चुनौती नहीं देनी चाहिए। कोई भी बहस में शामिल नहीं हो सकता। … (*व्यवधान*) उन्होंने जो कहा है, कृपया उसे हटा दें। … (*व्यवधान*) उन्होंने माननीय अध्यक्ष से प्रश्न किया है.... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: दीपेन्द्र जी, अब, आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया, आगे बोलिए।

… (*व्यवधान*)

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदया, वह तीन बार एक ही विषय पर बोल चुकी हैं और दो बार डॉ. किरिट सोमैया जी बोल चुके हैं। … (*व्यवधान*) कुल मिलाकर, इस विषय पर सत्ता पक्ष की ओर से पांच बार बोला गया है। … (*व्यवधान*) सभी मंत्रियों को एक विषय पर दो वक्तव्य देने की अनुमति है। मुझे एक उदाहरण दीजिए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह मुद्दा नहीं है। आप भी रोज कुछ ना कुछ कह रहे हैं। ऐसा पांच या दस बार हुआ है। कृपया बैठ जाइए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: अब, श्री एम.राजा मोहन रेड्डी जी

… (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: महोदया, इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह माननीय अध्यक्ष जी का व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है। यह सभा का प्रश्न है। कोई भी सदस्य माननीय अध्यक्ष से प्रश्न नहीं कर सकता है। …(*व्यवधान*) नियमों के अनुसार कोई भी सदस्य माननीय अध्यक्ष को चुनौती नहीं दे सकता और वह नियम बता रहे हैं। … (*व्यवधान*) फिर, हमें इसके बारे में सोचना होगा। … (*व्यवधान*)

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री अनंत कुमार): महोदया, हुड्डा जी ने जो कुछ भी कहा है उसे हटा दीजिए।

माननीय अध्यक्ष: हम इसे देख लेंगे। अब, क्या करना है?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही मध्याह्न 12 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.50 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे

तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 12.02 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न बारह बजकर दो मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*)

... (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक) : माननीय अध्यक्ष महोदया, जो मुद्दा हमने उठाया और उसे उठाते समय अगर कोई ऐसे शब्द कहे गए जिसमें जो चेयर है, स्पीकर है, लोक सभा अध्यक्ष के फैसले को लेकर या आपकी गरिमा को लेकर, तो यह कतई न तो मेरा उद्देश्य था, न मेरी भावना ऐसी थी। हम सरकार के फैसले पर प्रश्न खड़ा करना चाह रहे थे कि सरकार बार-बार इस बात को क्यों इस सदन में लेकर आ रही है। अपनी बात बार-बार कह रही है और हमारी बात सुनी नहीं जा रही है। मगर आपके फैसले को लेकर या आपकी गरिमा को लेकर और आपके पद के ऊपर, आसन के ऊपर कोई ऐसी बात कहना न तो मेरा उद्देश्य था, न मेरी भावना थी। इस सदन में पिछले दस वर्ष से, मैं समझता हूँ कि मैंने कभी ऐसी बात नहीं की, मगर आज अगर कोई ऐसी बात की गई है तो उस पर मैं अपनी तरफ से गहरा खेद व्यक्त करता हूँ। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी (नेल्लोर): माननीय अध्यक्ष महोदया, आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के समय भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह जी द्वारा राज्य सभा में एक वादा किया था कि आंध्र प्रदेश के अवशिष्ट राज्य को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उस समय, प्रमुख विपक्षी दल, बी.जे.पी., ने न केवल उस सुझाव का समर्थन किया, बल्कि उन्होंने 10 वर्षों के लिए विशेष श्रेणी के दर्जे की भी मांग की। इतना ही नहीं, महोदया, बी,जे.पी. नेता हमसे कहते रहे: "निश्चित रूप से, हम सत्ता में आ रहे हैं। एक बार जब हम सत्ता में आ गये, तो हम 10 वर्षों के लिए आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देंगे।" अब, वे सत्ता में आ गए हैं लेकिन वे पिछले एक वर्ष से आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा नहीं दे पा रहे हैं।

महोदया, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों में राज्य के विभाजन के बाद उत्पन्न होने वाली समस्याओं का समाधान किए बिना आंध्र प्रदेश राज्य को बहुत अवैज्ञानिक तरीके से विभाजित किया गया है।

दुर्भाग्य से, विधेयक में विशेष दर्जे को निर्धारित नहीं किया गया था। आंध्र प्रदेश के लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तभी, राज्य विकसित हो सकता था और वित्तीय समस्याओं से बाहर आया जा सकता है। अब, कांग्रेस और भाजपा दोनों प्रमुख राष्ट्रीय दलों ने राज्य सभा के पटल पर अपनी बात रखी है और उस बात से पीछे हटना उचित नहीं है। वास्तव में, आंध्र प्रदेश राज्य आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। वित्तीय घाटा लगभग 16,000 करोड़ रूपए का था। राज्य को राजधानी का विकास करना है और आंध्र प्रदेश राज्य में कई और काम करने हैं।

कभी आंध्र सबसे प्रगतिशील राज्य था और अब यह सबसे पिछड़ा राज्य बन गया है। इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे अपने वादों को पूरा करें और संसद की पवित्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखें। उन्हें अपनी बात पर बने रहना चाहिए और आंध्र प्रदेश को दस वर्ष के लिए विशेष राज्य का दर्जा घोषित करना चाहिए।

मैं भारत सरकार से इसे तुरंत घोषित करने का आग्रह करता हूं। आंध्र प्रदेश के लोगों में बहुत आक्रोश है। मैं भारत सरकार से विनती करता हूँ कि इसे तुरंत घोषित किया जाए।

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): महोदया, आपने हमें इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

महोदया, माननीय सदस्य श्री रेड्डी ने बताया कि अब एक वर्ष हो गया है जब से सरकार सत्ता में है, हम गृह मंत्री से मिलते रहे हैं, हम वित्त मंत्री से मिलते रहे हैं और हम इस विषय पर प्रधानमंत्री से भी मिले हैं।

एक बात जिसे इस सभा को स्वीकार करने की आवश्यकता है, वह यह है कि इस विभाजन का मुद्दा केवल एक वर्ष पुराना है, लेकिन हमारे राज्य में संकट एक दशक से भी अधिक समय से चल रहा है। विभाजन का मुद्दा यह था कि यह लगभग दस वर्षों तक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पूरा राज्य बाधित हो गया और अब यदि हमें बजट घाटे से किसी राज्य का पुनर्निर्माण करना है, तो हमें स्पष्टता की आवश्यकता है। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हमें क्या मिलेगा। हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम कब प्राप्त करने जा रहे हैं और हमें यह जानने की आवश्यकता है कि हम इसे कैसे प्राप्त करेंगे। यदि आप इसे आज ही प्रदान करने में सक्षम नहीं हैं, तो कृपया हमें बताएं कि हमें ये रियायतें कब मिलने जा रही हैं जिनका कांग्रेस और बी.जे.पी. ने वादा किया है। हमने स्पष्टता की मांग की है। कृपया हमें स्पष्टता प्रदान करें।

<u>अपराह्न 12.08 बजे</u>

<u>सदस्य द्वारा निवेदन</u>

एक शुगर फैक्ट्री को प्राप्त ऋण के संबंध में नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट में उठाई गई वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में सरकार के स्पष्टीकरण के बारे में

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा (रोहतक): अध्यक्ष महोदया, आपने हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का अवसर दिया, जिसे 2005 की नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट संख्या 12 के माध्यम से प्रकाश में लाया गया है। इस प्रतिवेदन में कुछ गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का पता चला है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : दीपेन्द्र जी, आप अपनी बात बोलिए। आपस में बात न करें।

... <u>(व्यवधान)</u>

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदया, कल निशिकांत जी कह रहे थे कि 'शून्य काल' में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। महोदया ने मुझे इस मामले को उठाने की अनुमति दी है। (*व्यवधान*)

महोदया, 2005 के 12वें प्रतिवेदन में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने पूर्थी समूह द्वारा की गई दो गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की ओर संकेत दिया है। मार्च, 2002 में आई.आर.डी.ए. जो भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी है, उससे एक समूह को 84.12 करोड़ रूपए का ऋण प्राप्त हुआ। यह पूरी तरह से भारत सरकार, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के स्वामित्व वाली कंपनी है। नागपुर में आधारित 22 मेगावाट के बिजली संयंत्र के निर्माण की दिशा में आई.आर.डी.ए के माध्यम से मुख्य राशि 46 करोड़ रुपये और ब्याज राशि 34 करोड़ रूपए थी। अंत में, इस परियोजना को 2007 में एक गैर-निष्पादित संपत्ति के रूप में घोषित किया गया

था। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन कुछ वित्तीय अनियमितताओं को इंगित करता है। मुझे उन्हें इंगित करने दीजिए।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : जीरो ऑवर में लंबी बात नहीं करते हैं।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: महोदया, मैं अपनी बात संक्षिप्त में कहूँगा, सबसे पहले तो 2002 में, मानदंड के अनुसार 25 प्रतिशत ऋण की जगह 50 प्रतिशत ऋण प्रतिपूर्ति किया गया। यह सिर्फ पूर्ति लिमिटेड द्वारा नहीं बल्कि 2002-03 में भारत सरकार की ओर से बरती गई अनियमितता है क्योंकि आई.आर.डी.ए. पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में था। … (*व्यवधान*) महोदया, 2002-03 और 2006 के बीच, पूर्ति आर्थिक रूप से अस्थिर हो गयी और डिफॉल्टर हो गई... (*व्यवधान*) हां, 2003 में आई.आर.डी.ए, भारत सरकार ने दूसरे तरीके से देखने का फैसला किया, और अंततः पूर्ति एक एन.पी.ए बन गई थी।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : आपने बात उठा दी, अब हो गया।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: अंत में, मुझे दो और बातें रखनी हैं।

माननीय अध्यक्ष: कोई दो और बातें नहीं हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: वर्ष 2003 में, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने खोई नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए इंट्रा-सब्सिडी दी, लेकिन यह इंट्रा-सब्सिडी 2009 तक जारी रही। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप स्पष्टीकरण की मांग कर सकते हैं।

श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा: पूर्ति ने इसका उपयोग 100 प्रतिशत कोयला आधारित बिजली संयंत्र के लिए किया लेकिन राजसहायता एक नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए दी गई। वे इसका उपयोग कोयला आधारित परियोजना के लिए कर रहे थे। ... (*व्यवधान*) आखिरकार, इससे सरकारी खजाने को 12.7 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। जनता के 12.7 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है.... (*व्यवधान*)

अत: महोदया, आपके माध्यम से, मेरी मांग है, हम पूछना चाहते हैं कि बी.जे.पी ने हमेशा कैग रिपोर्ट को काफी महत्वपूर्ण माना है। उन्होंने हमसे इस्तीफा मांगा था। उन्होंने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगा था। अब उनका रुख क्या है? हम यह जानना चाहते हैं। क्या वे अपने समान रुख पर कायम हैं? हमने कोई मांग नहीं की है। हमारी मांग है कि सरकार को इस मामले पर गौर करना होगा ताकि जांच की जा सके और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक अपनी रिपोर्ट सौप सके। ... (*व्यवधान*) जब तक सच्चाई का पता लगाने के लिए जांच नहीं हो जाती, तब तक संबंधित मंत्री को अपना पद छोड़ देना चाहिए। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : डॉ. प्रभास कुमार सिंह।

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद बदरुद्दुज़ा खान को श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा द्वारा उठाए गए मामले से जुड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

प्रभास कुमार सिंह जी, एक मिनट रुकिए।

... <u>(व्यवधान)</u>

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : मैडम स्पीकर, अंडर रूल 241, आपने अनुमति दिया, आपको अधिकार है इसलिए आपने अनुमति दी। मेरा इतना ही कहना है कि यह सामान्य नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट है जो पी.ए.सी को सौंपी जायेगी। पी.ए.सी. इसकी जांच करेगी। यह संसद की प्रक्रिया है। यह सभी को पता है।

दूसरा, यह पहले की सरकार के शासनकाल के दौरान हुआ है, इस सरकार के शासनकाल के दौरान नहीं हुआ है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति की कोई व्यक्तिगत भागीदारी नहीं है। तो, वे किसी को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: उन्होनें कोई नाम नहीं बताया है।

श्री एम.वेंकैया नायडू: हां, चौथा, सब कुछ नियमों के अनुसार होता है। जो इस कंपनी को दिया गया है वह दूसरों को भी दिया गया है। जैसा हुआ वैसा करने में कोई बुराई नहीं है। … (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : इस पर चर्चा नहीं हो रही है। आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्लीज बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. प्रभास कुमार सिंह।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : केवल आपकी बात रिकॉर्ड में जाएगी।

*(व्यवधान)... **

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: डॉ. प्रभास कुमार सिंह के भाषण के अलावा कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)... **

डॉ. प्रभास कुमार सिंह (बारगढ़): महोदया, आपने मुझे इस 'शून्य काल' में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद।

इस वर्ष ओडिशा, पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ यात्रा, 18 जुलाई,2015 को पड़ेगी और इस वर्ष भी 19 वर्ष के अंतराल के बाद नबाकालेबारा उत्सव होने जा रहा है। … (*व्यवधान*)

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: आप हर बार इसके लिए मजबूर नहीं कर सकते। कृपया बैठ जाइए। जब मौका देंगे, तब बोलिए। अभी बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

डॉ. प्रभास कुमार सिंह: इस पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ पंथ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हुए एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का प्रस्ताव है।…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मैं अनुमति नहीं दे सकती ।

डॉ. प्रभास कुमार सिंह: ओडिशा सरकार ने पहले ही इस संबंध में डाक विभाग (ओडिशा सर्कल) नाबाकलेबारा के लोगो और अन्य संबंधित व्यक्तियों को इसकी जानकारी दे दी है।

अत: मैं केंद्र सरकार से स्मारक टिकट जारी करने के लिए आवश्यक आदेश को यथाशीघ्र पारित करने का आग्रह करता हूं क्योंकि यह उत्सव 18 जुलाई, 2015 को मनाया जाएगा। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हां, मंत्री जी तैयार हैं। वह आयेंगे, लेकिन अभी नहीं। कृपया बैठ जाइए। कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

… (*व्यवधान*)… ‡‡

माननीय अध्यक्ष: जी नहीं, माफ कीजिएगा।

डॉ. प्रभास कुमार सिंह: यदि स्टांप प्रभु के अनुष्ठानों से पहले एक उपयुक्त दिन पर जारी किया जाएगा तो यह काफी उपयुक्त रहेगा।

---

‡‡ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही केंद्रीय आई.टी. और दूरसंचार मंत्री से भगवान जगन्नाथ के अवसर पर स्मारक डाक टिकट जारी करने के लिए कदम उठाने के लिए पहले ही अनुरोध कर चुके हैं। धन्यवाद, महोदया। ... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को डॉ. प्रभास कुमार सिंह द्वारा उठाए गए मामले से जुड़ने की अनुमति है।

अब श्री विनायक भाउराव राऊत जी।

... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री विनायक भाउराव राउत के भाषण के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

... (*व्यवधान*)... *

[हिन्दी]

श्री विनायक भाऊराव राऊत (रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग) : महोदया, मैं शून्य काल में आपके माध्यम से शासन को विनती करना चाहता हूँ कि पूरे देश में कम से कम साढ़े तीन लाख पोस्ट ऑफिसेज में करीब साढ़े तीन लाख कर्मचारी पिछले कई वर्षों से टेम्परेरी बेसिस पर काम कर रहे हैं। इन साढ़े तीन लाख कर्मचारियों की सेवा कम से कम 30-35 साल हो चुकी है। उनको सरकार के नियमानुसार तनख्वाह नहीं मिल रही है। सरकारी शासन की कोई भी सेवा, सुविधा उन्हें उपलब्ध नहीं हुई है। उन्हें सरकार के माध्यम से जो भी फायदा मिलना चाहिए, वह आज तक नहीं मिला। वर्षों तक सेवा करने के बाद भी जब वे रिटायर हो रहे हैं तो उन्हें पैंशन नहीं मिल रही है, ग्रैच्युटी नहीं मिल रही है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से विनती है कि हिन्दुस्तान के 30-35 साल से काम करने वाले पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों के बारे में सहानुभूति रखें और टेम्परेरी स्थिति में काम करने

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

वाले कर्मचारियों को भविष्य में आधार देने का काम करें। केन्द्र सरकार के माध्यम से उनकी सेवा कायम करने का आदेश कैसे हो सकता है, इस बारे में ध्यान दें।

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकांत दुबे, कुमारी शोभा कारान्दलाजे, श्रीमती मीनाक्षी लेखी, श्रीमती संतोष अहलावत, श्रीमती रीती पाठक, श्री प्रहलाद सिंह पटेल, श्री पी.पी. चौधरी, श्री अरविंद सावंत, श्री राजन विचारे, श्री राम मोहन नायडू किंजरापु और श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री विनायक भाऊराव राऊत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दौली) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे शून्यकाल में एक जनहित का मुद्दा उठाने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। वाराणसी गंगा के प्रवाह का एक बड़ा पवित्र केन्द्र है।...(व्यवधान) यह जो शोर कर रहे हैं, जब इनकी सरकार थी तो इन्हीं के नेता ने वहां से गंगा प्रदूषण मुक्ति की शुरुआत की। वाराणसी में सीवेज ट्रीटमैंट प्लांट के लिए दीनापुर में किसानों की 50 एकड़ जमीन ली गई।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: यदि आप चाहते हैं कि मंत्री जी जवाब दें, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि वह अपना वक्तव्य देने के लिए तैयार हैं। तो, उन्हें आने दीजिए। जब वह आ जाऐंगे तभी अपना वक्तव्य देंगे।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: वह वक्तव्य देने के लिए तैयार है, लेकिन अभी नहीं। उन्हें आने दीजिए।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: वर्ष 1995 में किसानों को केवल 25 प्रतिशत मुआवजा मिला। 1986 से 50 किसान उससे प्रभावित हैं। उत्तर प्रदेश की निर्माण इकाई जल निगम जिसके जिम्मे ट्रीटमैंट प्लांट का काम

था,...(व्यवधान) यह गंगा का मामला है, दो मिनट का समय दे दीजिए, उन्होंने किसानों को आज तक मुआवजा नहीं दिया।...(व्यवधान) किसान जिला न्यायालय गए। जिला न्यायालय ने किसानों के पक्ष में फैसला दे दिया। जल निगम उनके खिलाफ हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में लिखा। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): चूंकि सरकार जवाब नहीं दे रही है, इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। ...(*व्यवधान*)

अपराह्न 12.17 बजे

(इस समय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री पी.करुणाकरन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय: उसके बाद जल निगम मुआवजा देने के बजाए सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुन: जिला न्यायालय में रिविजन के लिए भेजा। जिला न्यायालय ने फिर पक्ष में फैसला दिया। उच्च न्यायालय ने 23 मार्च को किसानों के पक्ष में पुन: फैसला दिया। किसान 35-36 वर्षों से लड़ रहे हैं। उनमें से 17 किसानों का जीवन समाप्त हो गया, कुछ गरीबी, भुखमरी के कारण मुकदमा लड़ने के पात्र नहीं रहे। 23 मार्च को वाराणसी के दीनापुर गांव के 50 एकड़ प्रभावित किसानों के पक्ष में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने पुन: फैसला दिया। लेकिन वाराणसी की जल निगम इकाई उन्हें मुआवजा देने की जगह 36 साल बाद पुन: सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में जल निगम के आधिकारी कैसा कार्य करते हैं, इसका छोटा सा नमूना आज वर्तमान सरकार के सामने दे रहा हूं। पूरे बनारस की सड़कें खोद दी गई, अंडरग्राउंड पाइप डाल दी गई, लेकिन पाइप गली में कहां जोड़ी जाएगी, इसके कनैक्शन का एक भी प्वाइंट निधाररित नहीं किया गया। वह जल निगम जो

वहां प्रयोजना के पैसे अपनी तनख्वाह बांटने में लगा देता है, किसानों को पैसे नहीं दे रहा है। चन्दौली संसदीय क्षेत्र के शिवपुर विधान सभा के दीनापुर में किसान धरने पर बैठे हुए हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि उनका पैसा दिलाया जाए। वे रहम की यही भीख मांग रहे हैं कि वर्तमान रेट में मुआवजा दिया जाए और नौकरी दी जाए जिसके पक्ष में उच्च न्यायालय का फैसला तीसरा बार आ चुका है। उन्हें न्याय दिलाया जाए ताकि नमामे गंगे जो हमारे प्रधान मंत्री जी का एक बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है, उसका दूसरा चरण शुरू किया जा सके और गंगा की निर्मलता, स्वच्छता का आभियान आकार ले सके, साकार रूप हो सके। आपके माध्यम से यही निवेदन है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री निशिकांत दुबे, डॉ. किरिट पी. सोलंकी और श्री अजय मिश्रा टेनी को डा. महेन्द्र नाथ पाण्डेय द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री बाबूलाल चौधरी – उपस्थित नहीं।

श्री राम प्रसाद शर्मा (तेजपुर): धन्यवाद, महोदया जी। मैं देश में रक्त बैंकों से संबंधित एक गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, देश में रक्त की आवश्यकता प्रति वर्ष 12 मिलियन यूनिट है जबकि हमें प्रति वर्ष केवल 10 मिलियन यूनिट रक्त मिलता है। पूर्वोत्तर, विशेष रूप से असम इससे सबसे अधिक पीड़ित है क्योंकि हमें समय पर रक्त नहीं मिलता है और रोगी पीड़ा सहते रहते हैं। यहां तक कि दाताओं की भी ठीक से जांच नहीं की जाती है। पूर्वोत्तर में, असम में कोई उचित रक्त बैंक नहीं बनाए गए हैं। रक्तदाताओं के साथ-साथ रक्त बैंक की भी कमी है। जो युवा रक्तदान करना चाहते हैं, उन्हें प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और होर्डिंग्स के माध्यम से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि हमें उत्तर-पूर्व भारत में इलाज करा रहे रोगियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में रक्त मिले।

माननीय अध्यक्ष: श्री निशिकांत दुबे, श्री वीरेंद्र कश्यप और डॉ. किरिट पी.सोलंकी को श्री राम प्रसाद शर्मा द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री जितेन्द्र चौधरी (त्रिपुरा पूर्व) : मैडम, मेरा एक छोटा इश्यू है। बड़ोदा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर कल्याण नगर में 781 अल्पसंख्यक परिवारों को म्यूनिसिपलिटी में एक प्रोजेक्ट के तहत दूसरे जगह पर रिहैबिलेट करने के लिए वादा किया गया था।

[अनुवाद]

अब, सयाजीपुरा में, जे.एन.एन.यू.आर.एम. के अन्तर्गत, एक आवासीय परिसर का निर्माण किया गया है, लेकिन इन लोगों को, जो सभी मुस्लिम समुदाय से हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति और अन्य चीजों के नाम पर इसका कब्जा नहीं दिया जा रहा है। माननीय शहरी विकास मंत्री यहां हैं। मैं उनसे इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह करता हूं। वहाँ 481 परिवार हैं, कुल मिलाकर 2,500 लोग हैं, और ये सभी इधर-उधर बिखर गए हैं और इनके बच्चों को स्कूलों में प्रवेश पाने के अवसर नहीं मिल रहे हैं। उनकी आजीविका भी इन सब से बहुत प्रभावित हुई है। इन लोगों पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें नगर निगम द्वारा निर्मित आवास परिसर पर कब्जा पाने का मौका दिया जा सके। अन्य सभी सुविधाएं, जो प्रदान की जानी हैं, उनका उन तक विस्तार भी किया जाना चाहिए।

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि याचिका में यह कहा गया है कि वे मुस्लिम समुदाय से हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं इसलिए नगर निगम के अधिकारी उन्हें कब्जा नहीं दे रहे हैं। … (*व्यवधान*) यह हो रहा है। अत: मैं आग्रह करता हूं। [हिन्दी] मेरा निवेदन है कि रियल एस्टेट के माफिया लोगों की वजह अकोमोडेशन नहीं दिया जा रहा है।

[अनुवाद]

यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री के राज्य में ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए, मैं सभा और माननीय शहरी विकास मंत्री का ध्यान इस मुद्दे पर आकर्षित कर रहा हूँ।

धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: श्री के.सी.वेणुगोपाल जी। आप पहले ही इस मुद्दे को उठा चुके हैं। फिर से, आप इसे उठाना चाहते हैं।

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदया, यह अलग बात है।

माननीय अध्यक्ष: जी ठीक है।

… (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: महोदया, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं अलप्पुझा में साई छात्रावास में हुई आत्महत्या की घटना के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात उठाना चाहता हूँ।

यह उजागर होता है कि संस्थानों और खिलाड़ियों के लिए छात्रावासों में बुनियादी अवसंरचना और परामर्श केंद्रों की कमी है अलप्पुझा के साई हॉस्टल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, एक महिला एथलीट का पहले ही निधन हो चुका है। अपर्णा की जान चली गई और तीन अन्य छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

घटना के संबंध में, साई के महानिदेशक ने अलप्पुझा का दौरा किया। मैं भी शनिवार को वहां था। मैंने एथलीटों के हॉस्टल और मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा किया। सरकार ने पहले ही कुछ क्षतिपूर्ति की घोषणा की है और इसे वितरित भी किया है। मृतक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की गई है। मैं ऐसे काम करने के लिए सरकार के सामने बात रख रहा हूँ। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

इस घटना ने हमारे खेल छात्रावासों की दयनीय स्थिति को उजागर किया है। देश में हमारे उभरते एथलीटों के लिए एक शीर्ष प्रशिक्षण केंद्र होने के नाते साई ने देश में खेल गतिविधियों के विकास में बहुत योगदान दिया है। हालांकि, कई खेल छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं की कमी है, जो एक गंभीर चिंता का विषय है। इन प्रशिक्षण केंद्रों में जोरदार प्रशिक्षण से गुजरने वाले एथलीटों को अत्यधिक मानसिक पीड़ा और तनाव से

गुजरना पड़ता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक सफल एथलीट को दिमाग और शरीर दोनों में स्वस्थ होना चाहिए। एक व्यथित मन एक कुशल एथलीट बनने में बाधा डालता है।

यह जानकर बेहद दुख होता है कि देश के कई खेल छात्रावासों में, विशेष रूप से, अलप्पुझा सहित साई छात्रावासों में, कोई परामर्श की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यह छात्रों को अत्यधिक मानसिक तनाव में डालता है, और वे कई मौकों पर कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाते हैं। परामर्श की इस कमी के कारण उन्हें आत्महत्या करने जैसे कदम उठाने पड़ जाते हैं, जैसा कि अलप्पुझा के साई हॉस्टल में हुआ था।

इसके अलावा, इन छात्रावासों में बुनियादी उपकरणों और अन्य बुनियादी अवसंरचना की भी कमी है। इस तथ्य को नोट करना बेहद शर्मनाक है कि अलप्पुझा में साई प्रशिक्षण केंद्र ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चैंपियन तैयार किए हैं इसके बावजूद यहां पर प्रमुख खेल उपकरणों और सुविधाओं की कमी है। अलप्पुझा का केंद्र जो जल खेल गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, उसे आवश्यक सुविधाओं से लैस किया जाना चाहिए। इसके अलावा, मैं सरकार से अलप्पुझा के एक केंद्र के रूप में अलप्पुझा में साई केंद्र बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूँ।

महोदया, हमने यह मुद्दा पहले भी उठाया था। हम सरकार से जवाब मांगते हैं क्योंकि यह बहुत गंभीर घटना है। अभी तक सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इसलिए, मैं सरकार से इस मुद्दे पर जवाब देने का अनुरोध करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष: श्री एम.बी. राजेश, श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर, श्री पी.के. बीजू और श्रीमती कविता कलवकुंतला को श्री के.सी. द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबंद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

चौधरी महबूब अली कैसर (खगड़िया): महोदया, मैं आपके प्रति आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने निर्वाचन क्षेत्र और वास्तव में पूरे बिहार राज्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने की अनुमति प्रदान की है।

[हिन्दी]

मैडम, मेरे संसदीय क्षेत्र खगड़िया में पिछले कई वर्षों से पीएमजीएसवाई के तहत काम एनडीसीसी को एलॉट किया गया था। एनडीसीसी ने टेंडर के जरिये अरावली कंस्ट्रक्शन को यह काम दिया। इसे तीन साल हो गये, लेकिन कहीं 10 परसेंट, कहीं 25 परसेंट तो कहीं 40 परसेंट काम हुआ है। उसके बाद अरावली कंस्ट्रक्शन काम छोड़कर चली गयी। मैंने बिहार के सैक्रेट्री, रोड कंस्ट्रक्शन से दो बार टाइम लिया और डेट्स को री-शेड्यूल भी कराया, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। चूंकि उसमें सैंटर का पैसा लगा हुआ है, इसलिए बिहार राज्य सरकार का फंड भी उसमें नहीं लग सकता, फलस्वरूप वहां की जनता को बहुत कठिनाई हो रही है। उन्हें आवागमन में काफी कठिनाई हो रही है।

मैडम, मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इस ओर ध्यान दे और जिस कार्य में केन्द्र सरकार का पैसा लगा हुआ है, उसे पूरा करने के निर्देश दिये जायें। इसके साथ-साथ मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि कन्सर्ड कांट्रेक्टर्स पर कार्रवाई भी की जाये, क्योंकि तीन साल तक वहां की पब्लिक परेशान रही है।

माननीय अध्यक्ष : श्री सुधीर गुप्ता -- उपस्थित नहीं है।

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत (जोधपुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं राजस्थान के सात-आठ करोड़ लोगों के पीने के पानी का दर्द बांट रहा हूं, इसलिए जितना समय आपने मेरे मित्र दीपेन्द्र जी को माफी मांगने के लिए दिया, उससे आधा समय भी देंगे, तब भी मेरा काम चल जायेगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात बोलिये।

... (व्यवधान)

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत: अध्यक्ष महोदया, राजस्थान के 32 जिलों में से आधिकांश जिलों को क्रिटिकली डार्क जोन की लिस्ट में रखा गया है। एनआरडीडब्ल्यूपी, यानी राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के तहत हमें

इतने सालों से पैसा मिलता था। जब ये परियोजनाएं सैंक्शन होती थीं, तो सैंक्शन करने वाली कमेटी में भारत सरकार का एक प्रतिनिधि हमेशा मौजूद होता था। ये परियोजनाएं पिछले कई सालों से स्वीकृत हैं, क्योंकि ये परियोजनाएं लंबे समय की परियोजनाएं होती हैं। इस कारण आज राजस्थान सरकार पर 5,877 करोड़ रुपये की लायेबिलिटी खड़ी हो गयी है। वर्तमान बजट का अध्ययन करने पर ज्ञात हुआ है कि राजस्थान सरकार को एनआरडीडब्ल्यूपी स्कीम्स के तहत केवल 300 करोड़ रुपये ही मिलने वाले हैं।

महोदया, इतने वर्षों की लायेबिलिटी के साथ-साथ आने वाले समय में लोगों को पानी मुहैया कराने के लिए भी हम सबको योजनाएं बनानी हैं। मैं जोधपुर जिले आता है, वहां इंदिरा गांधी लिफ्ट केनाल परियोजना का प्रथम चरण पूरा हो चुका है और दूसरा चरण हमें अगले तीन साल में पूरा करना है। यदि वह पूरा नहीं किया जाता और इस 26,877 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए भारत सरकार पैसा नहीं देती है, तो ऐसी स्थिति में उस परियोजना से जुड़े हुए हजारों गांव और शहर निश्चित रूप से प्रभावित होने वाले हैं और आने वाले पांच साल में वहां भारी तबाही मचने वाली है। यदि इस वर्ष से और आने वाले वर्षों में इन प्रौजेक्ट्स को सैंक्शन करके नियमित रूप से पैसा नहीं दिया गया, तो हमारे सामने एक गंभीर समस्या खड़ी होने वाली है।

मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, एनआरडीडब्ल्यूपी मद में जो लाएबिलिटीज राजस्थान की हैं, उनको पूरा करने के लिए धन मुहैया कराया जाए। साथ ही आने वाले समय में राजस्थान की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए पेयजल के लिए और आधिक धनराशि उपलब्ध कराई जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती संतोष अहलावत, श्री पी.पी. चौधरी, श्री दुष्यंत सिंह, श्री सी.आर, चौधरी और श्री अर्जुनलाल मीणा को श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री राधेश्याम बिश्वास (करीमगंज): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[अनुवाद]

मेरे निर्वाचन क्षेत्र, करीमगंज में, आज़ादी के बाद भी करीमगंज और कोलकाता से मोहिशाशान होते *हुए* बांग्लादेश तक रेल कनेक्टिविटी थी। हालाँकि, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के कारण वर्ष 1965 में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया था, क्योंकि वर्तमान बांग्लादेश पाकिस्तान, यानी पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। अब, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश है और इसके भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध हैं।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के साथ रेल संपर्क को छोड़कर, दोनों देशों के बीच सड़क और जलमार्ग द्वारा संपर्क जारी है। उस समय की रेलवे अवसंरचना अभी भी अच्छी स्थिति में है। पहले बिछाई गई रेलवे लाइन कोलकाता की वर्तमान कनेक्टिविटी की तुलना में दूरी में बहुत कम थी।

असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर की बराक घाटी के साथ गुवाहाटी *होते हुए* भूतल परिवहन कनेक्टिविटी हमेशा बाधित स्थिति में रहती है और सड़क से *होते* हुए से आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई लागत बहुत अधिक है।

रेल विभाग बांग्लादेश सीमा के आखिरी स्टेशन यानी मोहिशाशन तक गेज परिवर्तन कर रहा है। बहुत ही कम बजट में करीमगंज से कोलकाता तक बांग्लादेश *के रास्ते* पुरानी रेलवे लाइन को फिर से खोलकर उपर्युक्त क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा सकता है, और इससे इस क्षेत्र के लोगों को आर्थिक रूप से भी लाभ होगा।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, संभवत: 6 जून 2015 को बांग्लादेश का दौरा करेंगे। हमें उम्मीद है कि दोनों देशों द्वारा कुछ नए समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस सम्मानित सदन में, मैं उपर्युक्त प्रस्ताव के संबंध में केंद्र सरकार के तत्काल हस्तक्षेप का अनुरोध करता हूं जिससे इस क्षेत्र के लोगों को उनके लाभ के लिए एक स्वप्न जैसी परियोजना मिल सके। माननीय सांसद अहलुवालिया जी ने भी इसके बारे में कहा था।

माननीय अध्यक्ष: कुमारी सुष्मिता देव को श्री राधेश्याम बिस्वास द्वारा उठाए गए मुद्दे से जुड़ने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री अनूप मिश्रा (मुरैना): माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे संसदीय क्षेत्र से संबंधित मुद्दे को उठाने की आज्ञा दी है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं। सहकार देश का, संस्कृति का महत्वपूर्ण अंग है। सहकार के माध्यम से भारत की संस्कृति चली है। इसी के अंतर्गत सहकारी बैंकों की शुरुआत हुई। सहकारी शुगर मिल के माध्यम से भी इनकी शुरुआत हुई। मध्य प्रदेश में बहुत से नए जिले बने हैं लेकिन इन जिलों में नए सहकारी बैंक नहीं बने हैं। किसान 70 से 80 परसेंट खेती या खेती से जुड़े कामों में लगे हैं, उन्हें बार-बार 200-250 किलोमीटर की दूरी पर जिला मुख्यालय तक जाने के लिए दिक्कत आती है। सोसाइटियों के माध्यम से गांव में खाद और बीज मिलते हैं। मेरे लोक सभा क्षेत्र में दो जिले हैं। मुरैना में जिला सहकारी बैंक पहले से था। श्योपुर नया जिला बना। इसे बने 15 साल हो गए हैं। यहां से बार-बार प्रस्ताव आता है लेकिन यहां से यह कह दिया जाता है कि अभी नए जिला सहकारी बैंक नहीं खोले जा रहे हैं। इस कारण यहां की जनता का बहुत नुकसान हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि श्योपुर जिले और अन्य नए जिले, जहां सहकारी बैंक नहीं खुल पाए हैं, यहां पर स्पेशल परमिशन देकर सहकारी बैंक खोलने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.पी. चौधरी और श्री प्रहलाद सिंह पटेल को श्री अनूप मिश्रा द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): माननीय अध्यक्ष जी, हर व्यक्ति का रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आधिकार है। देश में गरीबों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। जब से यह सरकार आई है, तब से कल्याणकारी योजनाएं जमीन पर दिखाई दे रही हैं, वर्तमान सरकार की योजनाएं दिखाई दे रही हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी गरीबों का कैसे उत्थान हो, उसके लिए बहुत सारी योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए दिन-रात कार्य

भी कर रहे हैं। हमारे वर्तमान मंत्रीगण भी इसी दिशा में काम कर रहे हैं लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब हम लोग गांवों-देहातों में जाते हैं तो मन में बड़ी पीड़ा होती है कि गरीबों के लिए जो भी योजनाएं आज संचालित हो रही हैं, गरीबों का जो मानक तय होता है, वह बीपीएल कार्ड के आधार पर तय होता है। बीपीएल कार्ड आज ऐसे लोगों के पास है जो गरीब नहीं हैं और उनको वह सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं लेकिन जो वास्तव में गरीब लोग हैं, जिनको वास्तव में ये सब सुविधाएं मिलनी चाहिए, वे बीपीएल कार्ड से मरहूम हैं। उनके पास बीपीएल कार्ड नहीं हैं।

इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि आप कोई एक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करें कि जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं जो गरीबों के लिए चलाई जा रही हैं, उन सब योजनाओं का लाभ गरीबों को मिले। उन गरीबों के आधिकार पर टैक्नीकल रूप से कोई बीपीएल कार्ड बनवाकर उनके आधिकार पर डाका डालने का काम न करे। इस संबंध में मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस पर आप कोई एक मजबूत कमेटी बनवा दें जिससे हम लोग भी उसमे सहभागिता देकर इस दिशा में अध्ययन करें कि जो वास्तव में गरीब हैं, उन्हीं को उसका लाभ मिले चाहे आवास की बात हो, चाहे जन-धन योजना की बात हो, चाहे आवास को लेकर जो उनको खाद्यान्न मिलता हो, उसकी बात हो, चाहे जो उनको पेंशन मिलती हैं, उसकी बात हो, यानी जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ वास्तव में जो गरीब हैं, उनको ही मिले। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री निशिकांत दुबे, श्री दद्दन मिश्रा, श्री कीर्ति वर्धन सिंह और श्री पी.पी.चौधरी को श्री शरद त्रिपाठी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, कोलकाता का नेताजी सुभाष अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन मेरे निर्वाचन क्षेत्र दमदम में है। मैंने, इस सदन में, चार विमानपत्तन, अर्थात् कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद और जयपुर के निजीकरण के प्रस्ताव का बार-बार विरोध किया है। इस प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया गया कि इसका

अर्थ सार्वजनिक लागत पर निर्मित संपत्तियों को निजी पार्टियों को सौंपना होगा। इससे भारत के विमानपत्तन प्राधिकरण के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा भी खतरे में पड़ जाएगी। मैंने उल्लेख किया था कि हाल ही में वर्ष 2013 में सरकारी लागत में क्रमशः 2,300 करोड़ रूपए और 2,100 करोड़ रूपए की लागत से कोलकाता और चेन्नई विमानपत्तन का आधुनिकीकरण किया गया था।

नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में भी जी.एम.आर. द्वारा दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन के निजीकरण में एक बड़े घोटाले का उल्लेख किया गया था। यह प्रस्ताव जो पहली बार यू.पी.ए.-2 सरकार के अंतिम दिनों में लाया गया था, उसको मार्च 2014 में खारिज कर दिया गया था। ... (*व्यवधान*) हाँ, मुम्बई में भी उसके बारे में स्कैम हुआ, सी.ए.जी. ने रिपोर्ट दी। यह सार्वजनिक डोमेन में है। तो, ये सभी निजीकरण बड़े घोटाले को जन्म देते हैं। अब वर्तमान सरकार ने फिर से चार विमानपत्तन के निजीकरण की प्रक्रिया शुरू की है। मैंने इस कदम के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से नागरिक उड्डयन मंत्री और प्रधान मंत्री की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन सरकार जी.एम.आर., जी.वी.के. और अन्य बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों के दबाव में रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन (आर.एफ.क्यू.) की शर्तों को औपचारिक बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। यह निजीकरण की दिशा में पहला कदम होगा।

मान्यता प्राप्त विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मचारी संघ और विमानपत्तन कर्मचारियों के संयुक्त मंच के नेतृत्व में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों ने पहले ही निजीकरण के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है और अंततः हड़ताल पर जाएंगे। मैं सरकार से निजीकरण के मामले में आगे ना बढ़ने का आग्रह करता हूँ। इससे कर्मचारियों को नुकसान होगा। इसका मतलब यात्रियों के लिए अधिक लागत और राष्ट्रीय हित को भी नुकसान होगा। मैं इस सभा में फिर से मांग करता हूं कि यह निजीकरण और निगमीकरण जो नई सरकार को रामबाण लगता है, उसे छोड़ देना चाहिए। यह राष्ट्रहित में नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.के.बीजू, श्री एम.बी.राजेश और श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन को प्रो. सौगत राय द्वारा उठाए गए मुद्दे के साथ संबंद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : अध्यक्ष महोदया, महाराष्ट्र भौगोलिक दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस राज्य को पिछले काफी समय से संकट का सामना करना पड़ रहा है। जिससे कृषि फसल बुरी तरह से प्रभावित हो रही है और किसान भी भूखे मरने की स्थिति में पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र राज्य में किसानों ने बहुत बड़ी तादाद में कृषि फसल बरबाद होने के कारण अपनी जान दी है। वर्ष 2011-2012 में राज्य के विदर्भ, मराठवाड़ा और उत्तरी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में खरीफ के सीजन में फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है। वर्ष 2014-2015 में भी राज्य के 353 ब्लाकों में से 219 ब्लाक जो 26 जिलों के अंतर्गत आते हैं, बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

अतः मेरा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अनुरोध है कि माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार के साथ महाराष्ट्र राज्य के सांसदों की दिनांक 16 फरवरी, 2015 को सहयाद्री मुम्बई में हुई बैठक में महाराष्ट्र राज्य की जिन कृषि संबंधी समस्याओं पर चर्चा हुई थी, उनके निराकरण हेतु सकारात्मक कदम उठाने का कष्ट करें। मैं देश के कृषि मंत्री और प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि आजादी के बाद पहली बार किसानों की मदद करने के लिए नियमों में बहुत बदलाव किए हैं और राहत पहुंचाने का काम बहुत बड़े पैमाने पर किया है।

श्री गणेश सिंह (सतना) : महोदया, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान, एक बहुत बड़े हादसे कटनी-जबलपुर रेल खंड पर 7 मई, 2015 को सिंगल ट्रैक प्वाइंट में खराबी होने के कारण होते-होते बचा था, उस ओर दिलाना चाहता हूं। गाड़ी संख्या- 22132 महुआ-डी पुणे-ज्ञानगंगा एक्सप्रेस कटनी स्टेशन से जबलपुर स्टेशन की ओर रवाना हुई थी। उसी दौरान सिग्नल ग्रीन होने पर गाड़ी डाउन ट्रैक पर चली गयी थी। सिग्नल ग्रीन ही दिखा रहा था। ड्राइवर की समझदारी से तीन सौ मीटर जाने पर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा कर रोक दिया। ठीक उसी ट्रैक पर मुम्बई से हावड़ा जाने वाली मेल एक्सप्रेस आ रही थी जो निवार स्टेशन के समीप पहुंच चुकी थी। यदि ड्राइवर ने समझदारी नहीं दिखायी होती तो दोनों ट्रेन्स आपस में टकरा जातीं और बहुत बड़ा हादसा हो जाता। सिग्नल ट्रैक प्वाइंट पर आम तौर से ऐसी खराबी नहीं होती है कि डाउन ट्रैक की गाड़ी

अपट्रैक में चली जाए और सिग्नल ग्रीन दिखायी पड़े। जबकि उसे रेड सिग्नल दिखाना चाहिए। अगर गाड़ी स्पीड में होती तो हादसा जरूर हो जाता। मुझे यहां तक जानकारी मिली है कि यह सिग्नल ट्रैक प्वाइंट जो टेक्नीकल मुद्दा है, जिसकी डिजाइन रेल बोर्ड के मैम्बर इलेक्ट्रिकल की देखरेख में होता है। यह पूरा मामला उच्चस्तरीय जांच का है।

मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी से सम्भावित हादसे की उच्चस्तरीय जांच की मांग करता हूं।

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका ध्यान दिल्ली सरकार द्वारा मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाने की ओर दिलाना चाहता हूं। ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई राजनीतिक पार्टी सत्ता में होने पर मीडिया के बारे में सर्वेक्षण करा रही है। इस प्रकार का फरमान हमें सन् 1878 के " वर्नाकुलर प्रेस एक्ट " जैसे कठोर एक्ट की याद दिलाता है। दिल्ली के रहनुमा खुद आंदोलनों और आरोपों की राजनीति करते हैं और मीडिया व अन्य कोई व्यवस्था यदि सच्चाई उजागर करता है तो उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सर्कुलर जारी किए जाते हैं। यह लोकतंत्र पर हमला है। सभी नेता नौकरशाह और देश के सम्मानित नागरिक, जिन्होंने देश की तरक्की में अपना योगदान दिया है, उन सभी की उन्हें सूची बनाने का आधिकार है। उनकी सूची भ्रष्ट बताकर उनका अपमान करेंगे और स्वयं को ईमानदार राजा हरीश चन्द्र घोषित करेंगे परन्तु जब तुम्हारी कार्यप्रणाली और झूठ की कोई चर्चा करेगा तो धारा 499, 500 के तहत उसे जेल भेजने की धमकी देंगे।

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए भारत के वीर सपूतों ने कुर्बानी दी था। किसी ने सीने में गोली खाई थी और कोई फांसी चढ़ा था। देश के वीर सपूतों ने ढाई सौ वर्ष अंग्रेजों की गुलामी के बाद देश को आजाद कराया था तब देश में संविधान के अनुसार लोकतंत्र स्थापित करने वाले उन चार स्तम्भों का जिक्र किया गया है, जिनमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका व मीडिया हैं। यहां मीडिया पर दबाव बनाने की मानसिकता से मीडिया दबाव में रहकर सरकार की वादाखिलाफी जनविरोधी कार्यप्रणाली को उजागर न कर सके और मीडिया अपने कर्तव्य का पालन न कर सके। यह हमारे संविधान के अनुसार व्यक्ति की आजादी और उसके मौलिक आधिकारों पर

कुठाराघात है। यह सर्कुलर मुझे फूड फाउंडेशन से दिए धन की तरफ ध्यान दिलाता है जो भारत में लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए उस नेता ने फूड फाउंडेशन से लिया था। भारत को कमजोर करने के लिए, भारत में लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करने के लिए ऐसा निर्णय लिया गया है। मैं माननीय गृहमंत्री से और भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि दिल्ली-एनसीआर की सरकार से इस तुगलकी फरमान को यथाशीघ्र वापस लेने के लिए आदेश दे।

माननीय अध्यक्ष : श्री निशिकांत दुबे, श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री पी.पी. चौधरी और डॉ. मनोज राजोरिया को श्री रमेश बिधूड़ी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी (अनन्तपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, यह गंगा-कावेरी लिंकेज के बारे में है। मेरे राज्य में, एक गोदावरी नदी है। प्रत्येक वर्ष, हम समुद्र में लगभग 3,000 टी.एम.सी. पानी खो रहे हैं। उस मामले में, हम कल्पना कर सकते हैं कि हम गंगा और ब्रह्मपुत्र से कितने टी.एम.सी. पानी खो रहे हैं।

पंडित नेहरू के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे श्री के.एल.राव ने बेसिन का सर्वेक्षण किया और उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी। उस रिपोर्ट के अनुसार, गंगा-कावेरी लिंकेज की लंबाई लगभग 2,600 किलोमीटर है। हम इसके समुद्र में मिलने के कारण अधिकांश पानी खो रहे हैं। यदि हम इसका उचित प्रबंधन करने में सक्षम हो तो 60 प्रतिशत भूमि कृषि खेती का हिस्सा बन जाएगी।

मेरा निवेदन है कि आज धनराशि की कोई समस्या नहीं है। कई लोग और देश किसी भी राशि को खर्च करने के लिए तैयार हैं। वे कर सकते हैं। श्री चंद्रबाबू नायडू ने इस संबंध में पहले ही कार्य करना आरंभ कर दिया है। उन्होंने गोदावरी, कृष्ण और पन्ना नदियों को जोड़ने का प्रयास किया है। वह अधिक से अधिक भूमि को खेती के अंतर्गत लाना चाहते हैं। अगर हम गंगा-कावेरी लिंक परियोजना को नहीं अपनाते हैं, तो हमें संपत्ति की हानि के साथ-साथ हज़ारों व्यक्तियों और जानवरों की जान के नुकसान का सामना करना पड़ेगा।

वर्ष 2002 में उच्चतम न्यायालय पहले ही एक निर्णय दे चुका है कि वर्ष 2016 तक गंगा और कावेरी को जोड़ा जाना चाहिए। इस सरकार या पिछली सरकारों ने कभी भी इस संबंध में कोई परवाह नहीं की। कम से कम उन्हें आगे आना चाहिए था। मोदी जी का भी यही विचार है। मेरा अनुरोध है कि सरकार को आगे आकर इसका मुकाबला करना चाहिए जिससे 60 प्रतिशत भूमि खेती के अन्तर्गत आ सके। इसके साथ ही, मुझे अपनी बात रखने का मौका देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदया, बिहार में पिछले कई महीनों से विद्यालयों में शिक्षण कार्य ठप है, शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल पर हैं। सरकार उनकी मांगों को नहीं मान रही है और उनके ऊपर लाठियां बरसाने का काम कर रही है। ऐसा आज ही नहीं, पहले भी बिहार के शिक्षकों द्वारा होता आया है। वर्ष 2003 में लगभग 25000 लोक शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी। नियुक्ति केन्द्र सरकार के सभी नियमों का पालन करते हुए की गयी थी। नियुक्त लोक शिक्षकों ने 26 माह तक कार्य भी किया, इसके बाद उनके सभी सेंटर्स को बंद करते हुए उन्हें कार्य से हटा दिया गया। कार्य से हटाने के बाद उक्त लोक शिक्षकगण माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए, उच्च न्यायालय का निर्णय लोक शिक्षकों के पक्ष में हुआ। इसके बाद भी बिहार सरकार द्वारा लोक शिक्षकों के समायोजन की दिशा में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह स्टेट का इश्यू है। बस हो गया।

श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल: उनको केवल समायोजन का आश्वासन भर दिया जाता है। उक्त परिस्थिति में सभी लोक शिक्षकों की स्थिति बदहाल हो गयी है। अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि लोक शिक्षकों की उक्त स्थिति पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए, उनके समायोजन हेतु बिहार सरकार को शीघ्र उचित दिशानिर्देश दे। धन्यवाद।

श्री रवनीत सिंह (लुधियाना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन और सरकार का ध्यान पंजाब में स्थिति लुधियाना और मण्डी गोविन्दगढ़ की स्टील इंडस्ट्री की तरफ लेकर जाना चाहता हूं। पिछले दिनों जब

राहुल जी पंजाब गए, वहां के बेहाल किसानों का हाल-चाल पूछने गए, तब मण्डी गोविन्दगढ़ में स्माल स्केल सेकेंडरी स्टील इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा डेलीगेशन आया। जब उनको पता चला कि राहुल जी यहां आए हैं तो सारे इंडस्ट्री वाले राहुल जी से मिलने आए और उन्होंने अपना दुखड़ा सुनाया कि जो स्क्रैप बेस्ड इंडस्ट्री है, वह या तो बंद हो चुकी है या बंद होने की कगार पर है। इसके कारण शहरों के आस-पास गांवों में बहुत से नौजवान बेरोजगार हुए, जिसकी वजह से क्राइम रेट भी बढ़ा। जैसा... * ने भी बोला है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : किसी का नाम मत लीजिए। आप अपनी बात बोलिए।

श्री रवनीत सिंह : मैडम, यह कोई गलत बात नहीं है।

माननीय अध्यक्ष : जो यहां नहीं हैं, उनके नाम मत लीजिए। आप अपनी बात बोलिए।

श्री रवनीत सिंह : वहां का 80 प्रतिशत नौजवान ड्रग्स पर हैं। अच्छा होता कि मंत्री जी श्रीमती हरसिमरत कौर बादल उसकी बात करतीं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए।

श्री रवनीत सिंह : हर मां-बाप का सपना होता है कि उनके बच्चों को रोजगार मिले, रोजगार का मौका मिले। जो स्माल स्केल इंडस्ट्री है, वह देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है। यह सेक्टर लोगों को रोजगार देने के साथ-साथ एक्सपोर्ट सेक्टर में भी बहुत बड़ा हिस्सा देता है।

मैडम, आज चीन के सस्ते उत्पादनों से हमारी स्माल स्केल इंडस्ट्री को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा है। दूसरी तरफ हमारी जो बड़ी स्टील इंडस्ट्रीज हैं, उनसे भी इन्हें खतरा हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष: आप इस उद्योग को रिवाइवल पैकेज देने की बात कर रहे हैं

श्री रवनीत सिंह: बिल्कुल ठीक बात है।

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: यहां पर पूरे हिन्दुस्तान की बात न करके आप अपने यहां की स्टील इंडस्ट्री की बात करें।

श्री रवनीत सिंह: प्रधान मंत्री जी का 'मेक इन इंडिया' का नारा है, तो यह भी नारा हम देते हैं कि - हर हाथ को मिले काम और काम का मिले उचित दाम। इसलिए इस इंडस्ट्री को जीवित रखने के लिए सरकार से विनती है कि मैटीरियल स्क्रैप, रीरोलेबल स्क्रैप के ऊपर कस्टम ड्यूटी जीरो प्रतिशत की जाए। हमारे यहां बहुत ज्यादा फिनिश्ड स्टील डम्प हो रहा है इसलिए एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगाई जाए। अभी एक्साइज ड्यूटी में छूट 1.5 करोड़ रुपए है, उसे बढ़ाकर पांच करोड़ रुपए किया जाए। इन पर 12 प्रतिशत एक्साइज ड्यूटी लगती है, जो छोटी इंडस्ट्रीज हैं, उनके लिए उसे 12 प्रतिशत से घटाकर छः प्रतिशत किया जाए।

श्री बाबूलाल चौधरी (फतेहपुर सीकरी) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक आति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं फतेहपुर सीकरी संसदीय क्षेत्र से आपकी कृपा से सांसद हूं। आगरा जनपद में 5 मई, 2015 को दलितों के गांव बंजारा का पुरा में दबंग लोगों द्वारा उनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए 100-150 लोग गए। ट्रैक्टरों से उन्होंने उन गरीबों की जमीनों को जोतने का काम किया। जब गरीब लोग अपनी जमीन बचाने के लिए आए तो उन्हें बुरी तरह से मारा-पीटा गया। इस कारण करीब 15 लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं भी हैं। उनके खिलाफ मु.अ.सं. 33/15 धारा 147, 148, 149, 307, 323, 554, 427, 536, 552 और 506 के तहत थाना शमशाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन 5 मई से लेकर आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुरा बंजारा के गरीबों के खिलाफ *... दबंग लोगों ने सत्ता के दबाव में उनके खिलाफ क्रॉस केस दर्ज करा दिया है।

माननीय अध्यक्ष: नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बाबूलाल चौधरी : मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन दबंग लोगों की तुरंत गिरफ्तारी की जाए और गांव में सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात की जाए और जो केस गरीबों (बंजारों) के खिलाफ दर्ज कराया गया है, उसे खत्म किया जाए। सब लोग गांव छोड़कर भाग चुके हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि उन लोगों को पुनः गांव में बसाया जाए।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदया, सरकार के संसाधनों पर पहला हक इस देश के गरीबों का है, प्राथमिकता उन्हें दी जानी चाहिए। इसी सोच-विचार के आधार पर यूपीए सरकार ने निशुल्क दवाई योजना की शुरूआत की थी और तत्काली प्रधान मंत्री जी ने गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा की थी। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 1300 करोड़ रुपए का आबंटन इस योजना के लिए किया था। आज आश्चर्य की स्थिति उत्पन्न हुई है कि 30 मई, 2014 को वर्तमान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब केवल 75 प्रतिशत राशि में केन्द्र सरकार द्वारा केवल 348 दवाएं 23,000 पीएचसी और 5,000 सीएचसी से दी जाएंगी। उसके बाद जुलाई माह में स्वास्थ्य मंत्री जी ने दोबारा यह कहा कि अब केवल 50 दवाओं के लिए ही यह योजना सीमित की जाएगी। उसके दो महीने बाद स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव कहते हैं कि अब इस स्कीम को ड्राप कर दिया है, इंसेंटिवाइजेशन स्कीम अब राज्यों को दे दी है और राज्य सरकारें यह काम करेंगी। अगर यह गरीबों के साथ क्रूर मजाक नहीं है तो क्या है! राजस्थान में जब कांग्रेस सरकार थी तो उसने स्पष्ट रूप से निशुल्क दवा योजना की शुरूआत की थी। इससे लाखों गरीबों को लाभ मिला था और सिस्टम में सुधार होने के कारण काफी लोग सरकारी अस्पतालों में जाने लगे थे। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रश्न करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं इसमें निजी क्षेत्र का दबाव तो नहीं है कि इस स्कीम को कैंसिल कर दिया गया? जो वादे इन्होंने चुनाव के समय किए थे, क्या वे वादे चुनावी जुमले में ही रह गए? यह सूटबूट की सरकार वापस यह स्कीम लागू करेगी या नहीं, इसका स्पष्टीकरण हम सरकार से चाहते हैं। गरीबों का हक सूटबूट की सरकार देगी या नहीं।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजीव सातव को श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री शेर सिंह गुबाया (फ़िरोज़पुर) : अध्यक्ष महोदया, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं उन लोगों की बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिनके यहां पाकिस्तान बॉर्डर पर पंजाब, राजस्थान और गुजरात में फेंसिंग लगी हुई है। पिछली सरकार ने नोटीफिकेशन किया था, लेकिन उसके मुताबिक फेंसिंग नहीं लगी। कहीं दो किलोमीटर पीछे लग गयी, कहीं तीन किलोमीटर पीछे लग गयी। जिसकी वजह से किसानों और छोटे जमींदारों को बहुत नुकसान हुआ है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मजबूरी है कि लेबर करने वाले लोग भी ज्यादा संख्या में वहां नहीं जा सकते हैं। उस फेंसिंग को दोबारा डेढ़ सौ मीटर के दायरे में लगाया गया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि दोबारा से जो फेंसिंग लगी हुई है, उससे पहले लगी हुई फेंसिंग को डिसमेंटल करने की जरूरत है ताकि हजारों एकड़ रकबे पर खेती हो सके क्योंकि पेडी की बुआई शुरू होने वाली है। इसलिए उस फेंसिंग को रिमूव किया जाए। दूसरा, नई फेंसिंग के अंडर किसानों की जो जमीन आयी है, उसका मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं दिया गया है, वह दिया जाए। इसके अलावा थोड़ी दूरी पर लगने वाली फेंसिंग को तुरन्त लगाया जाए ताकि वहां के रहने वाले छोटे और बड़े किसानों को कठिनाई न आए।

माननीय अध्यक्ष : मैं सूची के आतिरिक्त माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दे रही हूं, लेकिन माननीय सदस्य अपनी बात एक-एक मिनट में समाप्त करें।

श्री निशिकान्त दूबे को श्री शेर सिंह गुबाया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदया, प्रादेशिक सेना की एक 120 बटालियन इन्फैंट्री बिहार है, जिसका मुख्यालय के भुवनेश्वर में है। इसे 1962 भारत-चीन युद्ध के बाद शुरू किया गया था जब इन्फैंट्री सेना बटालियन में ओडिशा के लोगों की भर्ती बहुत आवश्यक हो गई थी। ओडिशा के लोगों को सेना में प्रवेश दिलाने के लिए

इस बटालियन को स्थापित किया गया था। लेकिन चूंकि सेना उत्तराखंड और देश के अन्य स्थान जैसे दूरस्थ स्थान पर भर्ती रैली कर रही है, इसलिए 120 बटालियन में , जो भुवनेश्वर में तैनात है, में ओडिशा के लोगों की भर्ती नहीं हो रही है।

जबकि ओडिशा का सेना में पहले से ही बहुत कम प्रतिनिधित्व है, जिससे इसकी रुचि और भी कम होती जा रही है, 120 इन्फैंट्री बटालियन देश में अन्य स्थानों पर भर्ती रैलियां आयोजित कर रही है। पिछले चार वर्षों में, हमारे राज्य में एक भी प्रादेशिक सेना भर्ती रैली नहीं हुई है। आश्चर्य की बात यह है कि पहले ज़ोन केवल "ओडिशा और आसपास के क्षेत्रों" तक सीमित था - उस समय, बिहार को आज के झारखंड के कुछ जिलों में विभाजित नहीं किया गया था। हालात ऐसे हो गये हैं कि ओडिशा के लोगों का प्रतिनिधित्व अब भुवनेश्वर में स्थित 120 इन्फैंट्री बटालियन में 50 प्रतिशत से भी कम हो गया है। यह पिछले वर्षों में 90 प्रतिशत हुआ करता था।

पिछले 5-7 वर्षों में स्थिति खराब हो गई है। मुझे यह जानकारी मिली है कि 120 इन्फैंट्री बटालियन के लिए भर्ती क्षेत्र का विस्तार अब दस राज्यों में किया गया है जो केंद्रीय कमांड सैन्य प्रशासन के अधीन हैं। यह बात तर्क की कसौटी पर खरी नहीं उतरती है। क्या हमें इस पर विश्वास करना चाहिए कि भारतीय सेना को ओडिशा के लोगों की वीरता पर कोई आस्था या दृढ़ विश्वास नहीं है? ओडिशा के लोगों ने 1962,1965,1971 में और ऑपरेशन विजय के दौरान भी देश के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। ऑपरेशन विजय में अधिकारी रैंक से लेकर सैनिकों तक 14 से अधिक ओडिशा के लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। फिर, ओडिशा के लोगों की उपेक्षा क्यों की जा रही है? ओडिशा के लोगों की आकांक्षाओं को क्यों लटकाया जा रहा है?

श्री रतन लाल कटारिया (अम्बाला): महोदया, मैं माननीय स्वास्थय मंत्री जी के संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूँ कि भारत में 5 मिलियन से अधिक लोग कॉर्नियल अंधेपन से पीड़ित हैं और हर वर्ष 30,000 नए मरीज इस संख्या में जोड़े जाते हैं। सालाना कम से कम दो लाख कॉर्निया दान की आवश्यकता होती है, लेकिन

दानदाताओं की कमी के कारण लगभग 50,000 लोगों का ही इलाज हो पाता हैं। दाता के शरीर से नेत्र को हटाने की तकनीक में बदलाव एक सराहनीय कार्य है जो देश के एम्स, पी.जी.आई. और विभिन्न अन्य अस्पतालों द्वारा किया गया है।

<u>अपराह्न 1.00 बजे</u>

पहले, अधिकांश परिवार शरीर के विरूपण को कारण बताते हुए अपने रिश्तेदारों की नेत्र दान करने की संभावना को अस्वीकार कर देते थे। लेकिन 2011 से जागरूकता और नई तकनीकों के कारण, शरीर की समग्र उपस्थिति को बरकरार रखने के लिए केवल कॉर्निया डिस्क को हटा दिया जाता है और वे सम्पूर्ण नेत्र को नहीं निकालते हैं। लेकिन अफसोस, दान किए गए ऊतकों का संरक्षण एक और प्रमुख समस्या बन गई है। इस समस्या के कारण, दान की गई लगभग 30 प्रतिशत नेत्र बेकार हो जाते हैं क्योंकि या तो ऊतक क्षतिग्रस्त हो जाता है या संक्रमित हो जाता है या प्राप्तकर्ता तुरंत उपलब्ध नहीं होता है।

इसलिए, मैं अनुरोध करता हूँ कि कॉर्निया को आयात करने की तुलना में कम लागत पर लंबे समय तक कॉर्निया को संरक्षित करने के लिए एक नई रिसर्च एंड डेवलपमेंट तकनीक विकसित की जा जाए। शरीर के विरूपण की धार्मिक भावनाओं के बावजूद, कुछ लोगों के रिश्तेदार एक अच्छे कारण के लिए अपने रिश्तेदारों के नेत्र दान के लिए आगे आए हैं।

अत: मैं अनुरोध करता हूँ कि ये प्रयास व्यर्थ नहीं जाने चाहिए क्योंकि इससे अधिक लोग नेत्र दान के लिए आगे आ सकेंगें।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्रा को श्री रतन लाल कटारिया द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध करने की अनुमति दी जाती है।

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): महोदया, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि ग्रामीण, स्थानीय नेता और जनता तेलंगाना के महबूबनगर बाईपास एल.सी. संख्या 27 पर शादनगर में एक रेल ओवर ब्रिज की मंजूरी के लिए अनुरोध कर रहे हैं। एल.सी. संख्या 27 स्थित चेतनपल्ली गांव में रेलवे गेट बंद होने से ग्रामीणों को

काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले, टी.वी.यू. रिपोर्ट कहती है कि यह 75,000 है और व्यापक विकास के कारण, वर्तमान टी.वी.यू. लगभग 1,25,000 हो गया है। कई फंक्शन हॉलों का निर्माण किया गया है और केशमपेट के ग्रामीणों को केवल इस रेलवे फाटक से हटना है जिसमें बहुत अधिक समय लग रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर (कन्नूर): महोदया, मैं इस हाऊस में आपके माध्यम से एक महत्वपूर्ण विषय पेश करना चाहती हूँ। हमारे देश में जन्म से ही शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों की संख्या लाखों में है। ये ज्यादातर जेनेटिक फैक्टर के कारण से होता है जैसे कि ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, डाउन सिंड्रोम, हीमोफिलिक आदि। इन बच्चों की देखभाल करना गरीब परिवारवालों के लिए बहुत ही कठिन होता है। इन्हें समझने एवं ध्यान रखने के लिए किसी न किसी को उनके साथ हमेशा रहना जरूरी होता है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों का जीवन चुनौतीपूर्ण है, उन्हें प्यार व सहयोग की सदा आवश्यकता होती है अन्यथा उनके किसी दुर्घटना के शिकार होने की संभावना आधिक है और वे पूरी जिंदगी बिस्तर पर जकड़े रहते हैं। इन परिस्थितियों के कारण इनके परिवारवाले दूसरे काम में ध्यान नहीं दे सकते और उन्हें अपनी नौकरी गंवानी पड़ती है। आय की हानि के कारण इन गरीब परिवारवालों का जीवन बहुत दुखी रहता है।

इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि ऐसे शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों तथा उनके परिवार वालों को इलाज की सुविधा एवं पेंशन दी जाए खासकर गरीबों के लिए चाहे वे एपीएल हों या बीपीएल

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री पी.के.बीजू, एडवोकेट जॉस जार्ज, श्री भैरों प्रसाद मिश्रा और डॉ. वीरेंद्र कुमार को श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदया, मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र के जिला धौलपुर-करौली में बन रहे नैशनल हाईवे-11 बी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। महोदया, इस हाईवे पर पिछले एक वर्ष से कार्य चल रहा है, जो कि धौलपुर-करौली-गंगापुर को जोड़ता है। महोदया, यह रोड़ धौलपुर शहर के कलैक्ट्रेट मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय, न्यायालय, जिलापरिषद् कार्यालय, मंदिर आदि महत्वपूर्ण स्थानों के सामने से निकलता है। पिछले एक वर्ष से एन.एच.ए.आई. के आधिकारियों एवं ठेकेदारों की लापरवाही से उक्त शहर में सड़कें खुदी पड़ी हैं और पूरे दिन धूल के गुबार उड़ते हैं तथा इनकी वजह से दुर्घटनाएं घट रही हैं।

इस संदर्भ में मैंने पूर्व में मंत्री महोदय को लिखित में जानकारी दी थी कि उक्त रोड निर्माण में गुणवत्ता के पैमानों की घोर उपेक्षा कर सरकारी धन लूटा जा रहा है।

अतः आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री से पुनः आग्रह है कि उक्त रोड की गुणवत्ता की पुनः जाँच कराकर नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया के दोषी आधिकारियों एवं ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।

श्री बिष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे हाथ में आज सुबह-सुबह डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर, मिडिल अंडमान से एक नोटिस आया है और नॉर्थ अंडमान नोटिस देने जा रहा है। नोटिस के मुताबिक करीब-करीब 40 से 50 साल से वहाँ फॉरेस्ट लैंड में पाँच हजार परिवार रहते हैं, उनकी कुल आबादी पचास हजार है, जबकि अंडमान की कुल आबादी साढ़े चार लाख है। उन परिवारों का एक महीने के अंदर में उनकी अपनी मेहनत से बनाया हुए नारियल पेड़ और सुपारी पेड़ को काट दिया जाएगा, घर को ध्वस्त किया जाएगा और उन्हें घर से बेघर कर दिया जाएगा। ये पाँच हजार परिवार आज मानसिक यंत्रणा झेल रहे हैं। वे मुझे धमकी देकर कह रहे हैं कि हम लोग आत्महत्या करेंगे, सुसाइड करेंगे। ऐसे पोस्ट 78 फॉरेस्ट परिवारों का वर्ष 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी

सरकार ने आइलैंड-डेवलपमेंट-अथॉरिटी मीटिंग में फैंसला किया और कहा कि ऐसे परिवारों का पुनर्वास किया जाएगा और उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए। चौदह साल बीत चुके हैं, पैकेज पूरा नहीं हुआ, आदेश का पालन नहीं हुआ।

मैं माँग करूँगा कि जो परिवार वहाँ 40-50 साल से रह रहे हैं, उन्हें वहाँ 15 बीघा जमीन का एलाटमेंट करके आर्थिक पैकेज दिया जाए। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की पुकार है। मैं फिर कहता हूँ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सरकार को बदनामी करने के लिए लंबी साजिश चल रही है। इसके पीछे कुछ अफसरों की साजिश है। इसके विरोध में मैंने आवाज उठाई है। भारत माता की जय।

[अनुवाद]

श्री आर.के. भारती मोहन (माइलादुत्रयी): माननीय अध्यक्ष, इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक 3 लाख रुपये तक के कृषि ऋण पर सात फीसदी ब्याज ले रहे हैं। इसके अलावा, ऋणों की शीघ्र अदायगी के लिए, रिज़र्व बैंक तीन प्रतिशत ब्याज की रियायत की अनुमति दे रहा है और किसानों को ऋण राशि केवल चार प्रतिशत ब्याज के साथ जमा करने की आवश्यकता है। लेकिन रिज़र्व बैंक ने इस ब्याज दर और रियायत की घोषणा केवल वर्ष 2014-15 के लिए की और बाद में इसे 30 जून, 2015 तक बढ़ा दिया।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ब्याज और रियायत की इस दर को एक स्थायी विशेषता के रूप में बनाए रखने के लिए भारत के रिज़र्व बैंक के नीतिगत निर्णय में हस्तक्षेप करें।

[हिन्दी]

श्रीमती कमला पाटले (जांजगीर-चाम्पा): महोदया, मैं अपने संसदीय क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण विषय को आपके समक्ष रखना चाह रही हूँ। ग्राम कापन के समपार रेलवे गेट क्रमांक 349 खम्भा क्रमांक 11,13 को दिनांक

29.11.2014 से बंद कर दिया गया है, जिससे ग्रामीणों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव की 70 प्रतिशत कास्तकारी जमीन, देव स्थल, शमशान घाट, निस्तारी तालाब आदि रेलवे लाइन के उस पार हैं।

उक्त समपार को बंद कर देने से गाँव की दैनिक दिनचर्या में लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। लोग अपनी जान को खतरे में डालकर रेल लाइन पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी जान माल की हानि हो सकती है और कोई भी आप्रिय घटना कभी भी घट सकती है।

महोदया, मैं सरकार से माँग करती हूँ कि उक्त समपार को चौकीदार सहित चालू रखा जाए या उक्त स्थान पर निचली पुल का निर्माण कर समस्या का समाधान किया जाए। जब तक निचली पुल का निर्माण नहीं हो जाता है, तब तक उक्त समपार को चौकीदार सहित चालू रखा जाए। धन्यवाद।

श्री कँवर सिंह तँवर (अमरोहा) : महोदया, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान देश में हो रहे रोड रेज के मामलों की ओर दिलाना चाहता हूँ। खासकर दिल्ली में रोड रेज के मामले बढ़ रहे हैं। मैं इनकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ। दिल्ली में रोड रेज के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी दिल्ली में कुछ दिनों पहले एक बाईक सवार को उसी के बच्चों के सामने पीट-पीट कर मार डाला गया। अभी रविवार को एक डीटीसी बस ड्राइवर की रोड रेज के मामले में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। ऐसी घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि देश में लोगों को कानून का कोई डर नहीं रहा है। जब तक लोगों को सख्त सज़ा का संदेश नहीं जाएगा, जब तक उनके मन में कानून का डर नहीं बैठेगा, लोगों की ऐसी वारदातें करने की आदत सी हो गई है। छोटी-छोटी बातों पर लोगों को इतना गुस्सा आ जाता है कि आजकल सीधे-सादे लोग सड़क पर चलने से भी डरने लगे हैं। दिल्ली में पाँच सालों में रोड रेज के मामले 40 से 50 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। वर्ष 2011 में रोड रेज के करीब 34 मामले दर्ज हुए थे, जबकि 2014 में वे 90 हो गए और इस साल काफी मामले दर्ज हुए हैं। आये दिन ये घटनाएँ हो रही हैं। मेरा सरकार से अनुरोध है कि रोड रेज के मामलों के लिए सख्त से सख्त कानून बनाए जाएँ ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लगे।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं श्री पी.पी.चौधरी को श्री कँवर सिंह तँवर द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्रीमती हेमामालिनी (मथुरा) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विषय है - भारत में बुज़ुर्गों की दुर्दशा। हमारे देश में अलग-अलग वर्ग के लोगों के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं लेकिन बुज़ुर्गों के लिए इतना नहीं है।

[अनुवाद]

एक अध्ययन के अनुसार, 24 प्रतिशत वरिष्ठ नागरिकों को उनके परिजनों द्वारा शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ता है। भारत के 9 प्रतिशत या नौ करोड़ वरिष्ठ नागरिक आज भी जीवित रहने के लिए काम करते हैं और तीन करोड़ लोग बिना किसी सहायता के अकेले रहते हैं और पांच करोड़ लोग भूखे सोते हैं। भारत में लगभग 10 करोड़ बुजुर्ग हैं और इस आंकड़े की वर्ष 2050 तक तिगुना होने की संभावना है। इसके बावजूद बुजुर्गों की आवश्यकताओं और देखभाल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना को छोड़कर कोई भरोसेमंद सामुदायिक सहायता प्रणाली या सरकारी कल्याणकारी योजनाएं नहीं हैं। भारत के बुजुर्गों के लिए कोई उचित सामाजिक सुरक्षा नहीं है। बजट केवल वरिष्ठ कर दाताओं को राहत देता है और इसके आगे इसमें और कुछ नहीं किया जाता है। वरिष्ठ लोगों में जो सबसे ज्यादा वरिष्ठ हैं वह बुरी तरह प्रभावित हैं क्योंकि कोई भी स्वास्थ्य बीमा योजना इस आयु वर्ग को कवर करने के लिए तैयार नहीं है। शारीरिक और आर्थिक अतिसंवेदनशीलता निर्भरता की इस उम्र में सबसे अधिक होती है। ऐसे निराशाजनक परिदृश्य में एक वरिष्ठ नागरिक मदद के लिए कहां और किसके पास जाएं? गरीबी का मुद्दा तब और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है जब बुजुर्गों की बात आती है, विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में जहां स्वास्थ्य सुविधाओं तक अपर्याप्त पहुंच है।

अत: मैं सरकार से उनकी आवश्यकता के लिए स्वास्थ्य सेवा, वित्तीय सहायता और पेंशन योजना का पालन करते हुए मुफ्त उपचार के लिए एक योजना तैयार करने का आग्रह करती हूँ। मेरे पास एक सुझाव भी है

कि आयकर दाताओं से उनके कल्याण के लिए एक कॉर्पस फंड बनाने के लिए उनके स्लैब के अनुसार 5 रूपए, 10 रूपए, 15 और 25 रूपए अलग रखे जा सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुमारी शोभा करंदलाजे, श्री पी.पी.चौधरी, श्री अश्विनी कुमार चौबे, श्री अरविन्द सावंत, श्री श्रीरंग आप्पा बारणे, श्रीमती रमा देवी, श्री भैरों प्रसाद मिश्रा और एडवोकेट जॉइस जॉर्ज को श्रीमती हेमामालिनी द्वारा उठाए गए मुद्दे से संबद्ध होने की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

श्री भरत सिंह (बलिया) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बलिया जो कि उत्तर प्रदेश और बिहार का जंक्शन है, जहाँ लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था, वह ऐतिहासिक जगह आज खतरे में है। मैंने कई बार इस सवाल की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया कि बिहार का लाला टोला माननीय कौशल विकास मंत्री राजीव प्रताप रूडी जी के क्षेत्र का है। हमारे जनार्दन सीग्रीवाल जी और बाबू आर.के.सिंह, पूर्व गृह सचिव का यह क्षेत्र है और हमारा भी यह जॉइंट क्षेत्र है। यह कट रहा है। लाला टोला कट गया, इब्राहिमाबाद, नबरार के हज़ारों घर गंगा और घाघरा में विलीन हो गए। गंगा नदी में शेरपुर, सेमरा, जगदीशपुर, बुसौला, गड़रिया, नरदा कट चुका है। लोग सड़कों पर आ गए हैं। उनके पास लाइट नहीं है, उनके पास रहने का आसरा नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार इसमें इंटरस्ट ले। मैं चाहता हूँ कि अध्यक्ष जी व्यवस्था दें कि भारत सरकार के कृषि मंत्री जी की तरफ से इसके समाधान के बारे में बताया जाए। यह काम अगर तत्काल चालू नहीं किया गया तो ये गाँव नहीं बचेगा। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह आपके क्षेत्र का है तो आप भी सहयोग कर दीजिए।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): महोदया, यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह जयप्रकाश नगर बिहार और उत्तर

प्रदेश के बीच अवस्थित है। इसमें सारण संसदीय क्षेत्र, आरा संसदीय क्षेत्र है। इसमें कठिनाई यह है कि यह गांव नदी के प्रवाह से कटता जा रहा है। यह दो प्रांतों का मामला है।

महोदया, मैं गृह मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि इस पूरे विषय पर एक समिति का गठन गृह मंत्रालय के माध्यम से किया जाए। जयप्रकाश नगर, जो उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों राज्यों में अवस्थित है, वहां हो रहे कटाव को रोकने के लिए समिति का गठन करने का आग्रह मैं सरकार और गृह मंत्रालय दोनों से करूंगा, ताकि इस पूरे विषय का अध्ययन करके, इस कटाव के कारण जो बिहार और उत्तर प्रदेश में हजारों लोग विस्थापित हो रहे हैं, इस पर हम कार्रवाई कर सकें। इसके लिए मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: सभा अपराह्न दो बजकर पन्द्रह मिनट तक के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 01.16 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न दो बजकर पन्द्रह मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 2.18 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजकर अठारह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*)

नियम 388 के निलम्बन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मद सं 7, श्री बीरेंद्र सिंह जी नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मंत्री जी, एक मिनट रुक जाईए।

… (*व्यवधान*)

डॉ. ए. संपत (अट्टिंगल): महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: किस नियम के अन्तर्गत? आप मुझे नियम बताइये।

… (*व्यवधान*)

डॉ. ए. संपत: महोदया, यह नियम 25 के अन्तर्गत है। आपको नियम अच्छी तरह पता हैं लेकिन मुझे नहीं है। नियम 25 के अनुसार:

> "सरकारी कार्य के सम्पादन के लिये नियत किए गए दिनों में ऐसे कार्य की पूर्ववर्तिता होगी और महासचिव उस कार्य का विन्यास ऐसे क्रम में करेगा जैसा कि अध्यक्ष सदन-नेता से परामर्श करने के बाद निर्धारित करे:

परन्तु जिस दिन वह कार्य निपटाने के लिए रखा गया हो उस दिन कार्य के ऐसे क्रम में तब तक परिवर्तन नहीं किया जायेगा जब तक अध्यक्ष का समाधान न हो जाये कि ऐसे परिवर्तन के लिये पर्याप्त आधार है।”

महोदया, कई अवसर आए हैं क्योंकि एक बार जब हमें कार्य सूची मिल जाती है, तो पुनरीक्षित कार्य सूची आ जाती है। मैंने माननीय अध्यक्ष महोदय को एक पत्र लिखा है, कि माननीय मंत्री श्री बीरेंद्र सिंह नियम 388 के अन्तर्गत प्रस्ताव रखने जा रहे हैं।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ कि नियम 388 के अन्तर्गत माननीय मंत्री जी का क्या करने का इरादा है। महोदया, मैं केवल आधा मिनट लूंगा। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है। मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। यह पहली बार है, मैं ऐसा कर रहा हूँ। महोदया, नियम 388 प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम के पृष्ठ संख्या 147 पर है। इसमें कहा गया है :

कोई सदस्य, अध्यक्ष की सम्मति से, प्रस्ताव कर सकेगा कि सभा के समक्ष किसी खास प्रस्ताव पर किसी नियम का लागू होना निलम्बित कर दिया जाये और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाये तो वह प्रासंगिक नियम उस समय के लिए निलम्बित कर दिया जायेगा।

यहाँ, मंत्री जी की मंशा क्या हैः

“कि यह सभा लोक सभा के वर्तमान सत्र के दौरान, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यर्वस्थापन (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 में निष्पक्ष प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार पर विचार करने और पारित करने के प्रस्तावों के लिए लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 338 को निलंबित करती है।

महोदया, यहाँ वह नियम 338 को निलंबित करने का इरादा रखते हैं। नियम 338 के अनुसार:

"प्रस्ताव

प्रस्ताव की पुनरुक्ति

338. किसी प्रस्ताव में कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिये जो सारवान रूप में उस प्रश्न के समान हो जिस पर सभा उसी सत्र में विनिश्चय कर चुकी है।"

अध्यक्ष महोदया, क्या मुझे इस तरह की शब्दावली का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है। मैं पूरा विधेयक नहीं पढ़ रहा हूँ। इस सभा में चर्चा हुई है और हमने विधेयक को दूसरे सभा में भेज दिया है। हम सभी जानते हैं कि वहां क्या हुआ था। मैं दूसरे सदन के विशेषाधिकारों में नहीं जा रहा हूँ। अब, सरकार एक और विधेयक लाने का विचार कर रही है। इस बीच, अध्यादेश को पहले ही प्रख्यापित किया जा चुका है। अब, आज ही, मद सं.4 में, महासचिव ने कोयला खान (विशेष उपबंध) विधेयक,2014 और संविधान (एक सौ उन्नीसवां संशोधन) विधेयक,2013 के बारे में राज्य सभा से दो संदेशों की सूचना दी है।

इस सदन में एक और घटना घटित हुई है। इस सभा में मोटर यान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा हुई है और पारित हुआ है। उसी सदन में, इसे वापस ले लिया जाएगा।

माननीय अध्यक्ष महोदया, आप सदस्यगण के संरक्षक हैं। हमने काफी होमवर्क किया है। हमने इन सभी मामलों पर चर्चा करने में काफ़ी समय बिताया है। यह हमारे भविष्य के लिए है कि हम चर्चा की इस विधायी प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने जो कानून बनाए हैं, यह उन सभी कानूनों का अभिन्न अंग है। यह केवल मेरी भावना नहीं है बल्कि पूरे देश को लगता है कि इस सभा में जो भी चर्चा हो रही है, वह एक निरर्थक कवायद बन जाती है। सरकार होमवर्क नहीं कर रही है। सदस्य के रूप में हम अपना होमवर्क कर रहे हैं लेकिन सरकार और विपक्ष में समन्वय नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण क्या यह किसी नियम के अन्तर्गत है? नियम यहां लागू नहीं होता है।

डॉ. ए. संपत: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे अपना विरोध व्यक्त करने की अनुमति दी जाए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह क्या है?

… (*व्यवधान*)

डॉ. एम. तंबिदुरै (करूर): अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने भूमि अर्जन विधेयक के संबंध में अपनी चिंताएं जताई हैं, जिस पर हम अभी चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, आमतौर पर हम इस सभा में विधेयक पर चर्चा करते हैं और इसे पारित करते हैं। राज्य सभा यह नहीं कर सकी लेकिन यह अलग मुद्दा है। बाद में, सरकार ने राज्य सभा का सत्रावसान किया। वे राज्य सभा का सत्रावसान क्यों करते हैं? यह सिर्फ एक अध्यादेश प्रख्यापित करना है। अध्यादेश प्रख्यापित करने के बाद इस विधेयक का क्या हुआ? लोक सभा का सत्रावसान नहीं किया जा सकता है। हम पहले ही इसे पारित कर चुके हैं। ऐसा प्रयास एक बार फिर क्यों किया जा रहा है? हम किस नियम के अन्तर्गत इस पर चर्चा कर रहे हैं? हम जानते हैं कि राज्य सभा उच्च सदन है और लोक सभा निम्न सदन है। लेकिन हम लोक सभा के साथ इस तरह बर्ताव नहीं कर सकते। सरकार ने राज्य सभा का सत्रावसान क्यों किया? यह सिर्फ सरकार को एक अध्यादेश जारी करने की सुविधा के लिए है और सरकार ने अध्यादेश जारी करने के लिए लोक सभा का सत्रावसान क्यों नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते।

… (*व्यवधान*)

डॉ. एम. तंबिदुरै: हम फिर से इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। हम जिस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, उसे पहले ही पारित कर दिया गया है। … (*व्यवधान*) अब, हम पहले से ही इस विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं। यह विधेयक पहले ही इस सदन द्वारा पारित किया जा चुका है... (*व्यवधान*) सरकार अध्यादेश क्यों ले कर आयी है? एक बार जब सभा ने इसे पारित कर दिया तो वह अध्यादेश क्यों लाए? यही मैं भी जानना चाहता हूँ_ (*व्यवधान*)

[हिंदी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदया, इसी वजह से राज्य सभा को प्रोरोग किया गया था।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 338 को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 को लोक सभा के वर्तमान सत्र के दौरान विचार और पारित किए जाने के प्रस्तावों को पेश किए जाने पर लागू होने से निलंबित करती है।"

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि यह लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 338 को भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 को लोक सभा के वर्तमान सत्र के दौरान विचार और पारित किए जाने के प्रस्तावों को पेश किए जाने पर लागू होने से निलंबित करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 2.27 बजे</u>

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा एक साथ मद संख्या 8 और 9 पर चर्चा करेगी।

श्री सी.एन. जयदेवन सांविधिक संकल्प प्रस्तावित करेंगे।

… (*व्यवधान*)

श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 3 अप्रैल, 2015 को प्रख्यपित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है। "

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 3 अप्रैल, 2015 को प्रख्यपित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है। "

"कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

…(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री सी.एन.जयादेवन

… (*व्यवधान*)

श्री के.एच. मुनियप्पा (कोलार): हम डिवीजन चाहते हैं… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज) : अध्यक्ष महोदया, हम मोशन पर डिवीजन मांग रहे हैं।…(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : होने के बाद डिवीजन कैसे बोलते हैं, पहले बोलना था।

… (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सी. एन. जयदेवन: मुझे बोलने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद, महोदया। मैं मलयालम में बोलूंगा… (*व्यवधान*)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (गुना): माननीय अध्यक्ष महोदया, हम डिवीजन की मांग कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष: मैंने पहले ही प्रक्रिया पूरी कर ली है। इसे स्वीकृत किया गया है। अब, कोई डिवीजन नहीं है।

श्री सी.एन. जयदेवन: माननीय अध्यक्ष महोदया, विपक्ष एक डिवीजन चाहता था जबकि मंत्री विधेयक पेश कर रहे थे। जब अध्यक्ष प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे थे तब अधिकांश लोग 'नहीं' कह रहे थे। (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह क्या है? क्या आप सांविधिक संकल्प पर बोलना नहीं चाहते हैं?

श्री सी.एन. जयदेवन: हाँ, महोदया, मैं उसके बाद बोलूंगा। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हम अब उस चरण को पार कर चुके हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: जब मैं नियम को निलंबित करने का प्रस्ताव रख रही थी, तो उस समय आपने डिवीजन के लिए नहीं कहा है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हम वापस नहीं जा सकते। ऐसा नहीं होता है।

… (*व्यवधान*)

श्री सी.एन. जयदेवन: महोदया, जब सभा व्यवस्था में नहीं है तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? … (*व्यवधान*)

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: महोदया, वे सांविधिक संकल्प पर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। महोदया, मैं पहले ही पेश कर चुका हूं और मैंने भी विचार करने के लिए कहा है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री जयदेवन, क्या आप बोलना नहीं चाहते?

श्री सी.एन. जयदेवन: मैं सांविधिक संकल्प का प्रस्ताव करता हूँ। मैं बोल रहा हूं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: इसके बाद, आप डिवीजन की मांग कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: प्रस्ताव केवल नियम को निलंबित करने के लिए था।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदया, नियम 338 के अनुसार, दो समान प्रस्तावों को पारित नहीं किया जा सकता है।

माननीय अध्यक्ष: वे समान नहीं हैं।

प्रो. सौगत राय: हम व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए कह रहे थे। आपने हमें अनुमति नहीं दी। आपने अचानक कहा कि जो लोग पक्ष में हैं, वे हाँ कह सकते हैं। हमने नहीं कहा, फिर हम खड़े हुए और कहा कि हम डिवीजन चाहते हैं। … (*व्यवधान*) यह प्रश्न तुरंत उठाया गया था कि क्या नियम को निलंबित किया जाएगा। … (*व्यवधान*) आप सभा के रिकार्ड से इसकी जांच कर सकते हैं। … (*व्यवधान*)

श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह: एक सदस्य ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उस समय, मैंने पहले ही प्रस्तावित किया है। तो, उसके बाद, कोई प्रश्न नहीं है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा की कार्यवाही दोपहर 2.45 बजे आरंभ होने तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 2.30 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा दो बजकर पैंतालीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 2.45 बजे</u>

लोक सभा दो बजकर पैंतालीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*)

[अनुवाद]

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: श्री सी.एन. जयदेवन।

… (*व्यवधान)*

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम.वेंकैया नायडू): महोदया, मैं सभा को यह बताना चाहता हूँ कि सरकार इस विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को सौंपने के लिए तैयार है। … (*व्यवधान*)

ऐसा होने पर, विस्तृत चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं यही सुझाव दे रहा हूँ। … (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): नहीं हम चर्चा चाहते हैं। … (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: आप नियम पढ़िए। जब हम इसे एक समिति के पास भेज रहे हैं, तो वे क्या चर्चा करना चाहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। … (*व्यवधान*)

अध्यादेश 452 बार पहले जारी किए जा चुके हैं। यह सभी को पता है। … (*व्यवधान*)

यदि आप एक समिति नहीं चाहते हैं और आप चर्चा और मतदान करना चाहते हैं, तो यह ठीक है। … (*व्यवधान*)

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): आप एक समिति नहीं चाहते हैं। कल, आप नहीं कहिएगा... (*व्यवधान*)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया (गुना): चर्चा करने के लिए कहना हमारा अधिकार है। … (*व्यवधान*)

श्री राजीव प्रताप रूडी: जी नहीं … (*व्यवधान*)

श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया: जी हाँ … (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा): आइए देखें कि यह कैसे हो पाता है। नियम भी हैं और महोदया भी हैं। अंतत:, मैडम ही आपके भाग्य और हमारे भाग्य का फैसला करेगी। मैडम, मुझे एक ही अपील करनी है कि रूल 338 के तहत दो मैम्बर्स ने यहां सदन में उस रूल को ससपेंड करने के बारे में अपने विचार रखे थे और उस पर उन्होंने रूलिंग मांगी थी। डिप्टी स्पीकर साहब ने भी उठकर उसके बारे में पूछा। फिर उधर से हमारे सौगत राय जी ने पूछा। दो तीन मैम्बर्स के पूछने के बाद भी उसके ऊपर कोई रूलिंग नहीं आई। सम्पत जी ने भी पूछा। उसके बारे में कोई निर्णय नहीं आया। मैम्बर्स यह चाहते हैं कि ऐसे वक्त जो संदिग्ध परिस्थिति रहती है तो उसमें माननीय स्पीकर महोदय की क्या राय होगी और रूल्स क्या कहते हैं।

दूसरी चीज यह है कि जब यह मुद्दा उठा तो माननीय मंत्री, रूरल डवलपमेंट पंचायत राज ने अपना बिल पेश किया। तब आपने पूछा कि इसके फेवर में कितने हैं? हां और नां में कितने हैं? ना और हां की बात चली। तो हमने तुरंत ही उठकर पूछा।...(व्यवधान) इस बिल के लिए डिवीजन करिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : यह सेन्ट्रल हॉल नहीं है। जब कोई एक बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए। इधर से, उधर से एक साथ बोलते रहते हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, वे अपनी अपनी मेजोरिटी दिखा रहे हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सभी दिखा रहे हैं।

... (व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, डिवीजन के लिए हमने पूछा। डिवीजन पूछना सही था। उस वक्त शायद उनका नम्बर नहीं था तो उसी कारण से उस वक्त...(व्यवधान) इसीलिए हमें यह बात हर्ट हुई है क्योंकि नियम 338 के तहत भी हमें रूलिंग नहीं मिली।...(व्यवधान) फिर डिवीजन पूछा तो उसमें भी नहीं हुआ। ये सारी चीजें रूल्स के मुताबिक पूछ रहे हैं। रुल्स के मुताबिक पूछने के बावजूद भी अगर कोई निर्णय इस सदन में नहीं होता,...(व्यवधान) और सरकार भी तैयार नहीं होती तो इसका मतलब यह है कि सरकार को यह एक्ट नहीं चाहिए। ...(व्यवधान) सरकार इसमें आस्था नहीं रखती है।...(व्यवधान) यह इसका अर्थ होता है।...(व्यवधान) इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन दोनों विषय पर आप अपना निर्णय दीजिए ताकि हम फिर आगे चलें।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पहली बात तो यह है और आपने भी जो रूल्स उठाये थे, मैंने सब देखे हुए हैं और आप देख रहे हैं कि उसी के अनुसार काम हो रहा है कि कल जब यह बिल इंट्रोड्युस हुआ था और यह करीब-करीब आइडेंटिकल है जो पहले हमने पास किया था। हाउस भी कंटीन्युएशन में चल रहा था। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर रूल 338 का सस्पेंशन मंत्री जी द्वारा मांगा गया। वही मोशन हम रख रहे थे। उस रूल का हवाला देने का कोई सवाल नहीं है। उन्होंने मोशन रखा और रूल 338 के सस्पेंशन की बात कही। जब मैंने अलाऊ किया तभी उन्होंने मोशन रखा।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप लोग या तो आपस में तय कीजिए और मुझे बता दीजिए, नहीं तो ऐसे ही बोलते रहिए। सौगत राय जी, आप हमें बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं। एक तो हम आगे निकल गए हैं, इसलिए वोटिंग का सवाल नहीं है। आप क्या चाहते हैं, डिस्कशन चाहते हैं या नहीं चाहते हैं या इस बारे में ज्वायंट कमेटी चाहते हैं।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय (दमदम) : खड़गे जी ने जो बात उठाई है, मैं उसका समर्थन करता हूं कि जब वह मोशन 338 में था, उस समय आपने वायस वोट लिया। हम लोग वायस वोट से सैटिसफाई नहीं थे, इसलिए हमने डिविजन मांगा।...(व्यवधान) हमारे डिविजन मांगते-मांगते आपने हाउस एडजर्न्ड कर दिया।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप ऐसा नहीं बोलेंगे।

... (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): यह सत्य है। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय : महोदय, मैं इतने लोगों के साथ तो बात नहीं कह सकता हूं। मैं आपके सामने बोल सकता हूं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सौगत राय जी, पहली बात तो यह है कि गलत बात रिकार्ड में नहीं जानी चाहिए। पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आपने जो दो बातें कही हैं, मैं पहले उनके बारे में बोलती हूं।

... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय : महोदया, इस तरह इशारा करने से मैं नहीं बैठूंगा।...(व्यवधान) मैं स्कूल का बच्चा नहीं हूं। मुझे कानून पता है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : यह कोई तरीका नहीं है।

... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : सौगत दा, आपको क्या चाहिए?...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी कहा है कि अभी यह बिल ज्वायंट पार्लियामेंटरी कमेटी में जाएगा तो क्यों बहस की जाए, क्यों डिटेल्ड डिस्कशन की जाए। उनके राज्य मंत्री ने एक क़दम आगे बढ़कर कहा कि आप ज्वायंट कमेटी नहीं चाहते हैं तो डिस्कशन कीजिए। यह बोलने का तरीका नहीं है।...(व्यवधान) हम कहते हैं कि चर्चा पूरी हो जाए, उसके बाद अगर सरकार ज्वायंट कमेटी चाहती है तो उसमें आपोजिशन शामिल होगा लेकिन बिजनेस एडवाइज़री कमेटी में चार घंटे की चर्चा का समय अलाट किया गया, आप चर्चा कीजिए, उसके बाद मोशन ला सकते हैं। जयदेवन जी जो स्टेट्यूटरी रेज्योलूशन लाए हैं, उस पर भी वोटिंग होगी और प्रोपर तरीके से बटन दबाकर होगी। ऐसे ही होना चाहिए। बटन दबाने की प्रक्रिया तो पहले भी होनी चाहिए थी, लेकिन आप कहते हैं कि हमने बाद में अपनी बात उठाई है। मेरे विश्वास में हमने साथ ही साथ अपनी बात कह दी थी।

अंत में मैं आपके विचार को मान लूंगा, लेकिन तरीके से सब चीज होनी चाहिए। मेरा यही आपसे विनम्र निवेदन है। आप प्यार से जो बोलेंगे, हम उसे मान लेंगे।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: आप चर्चा शुरू करना चाहते हैं या नहीं?

… (*व्यवधान*)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: जी हाँ, महोदया … (*व्यवधान*)

अनेक माननीय सदस्य: जी हां, महोदया।

[हिन्दी]

माननीय अध्यक्ष : मैंने जब जयदेवन जी को बोलने के लिए कहा था, उसके बाद आपने वोटिंग के लिए कहा था। उस समय मैं आगे निकल गई थी। अब मैं वापस नहीं जा सकती।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

<u>अपराह्न 2.50 बजे</u>

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 - जारी

माननीय अध्यक्ष: अब, श्री जयदेवन।

… (*व्यवधान*)

*__श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर):__ मुझे चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद महोदया।

माननीय अध्यक्ष: अब हम आठवाँ और नौवाँ एक साथ लेंगे।

श्री सी.एन. जयदेवन: मैं अपनी मातृभाषा मलयालम में बोलूंगा। महोदया, यह विधेयक लोक सभा में पहले ही पारित हो चुका है और फिर दूसरे सदन में गया, अध्यादेश बना और फिर से लोक सभा में वापस आया है। इसमें शामिल तकनीकी और कानूनी मुद्दों पर पहले ही कई सदस्यों द्वारा चर्चा की जा चुकी है। इसलिए, मैं उन मुद्दों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से विनम्रतापूर्वक पूछना चाहता हूँ, विशेष रूप से संसदीय कार्य मंत्री, वेंकैया नायडू, और सत्ता पक्ष में बैठे अन्य लोगों से जिनके लिए आप इस विधेयक को कानून बना रहे हैं?

---

*मूलत: मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तरण।

क्या यह इस देश के लोगों के लिए है, या भारत के गरीब किसानों और खेत में काम कर रहे मजदूरों के लिए है? क्या यह औद्योगिक श्रमिकों, या सेवा क्षेत्र में काम करने वाले शिक्षित भारतीयों के लिए है?

आप यह विधान किसके लिए ला रहे हैं? इतने संकल्प के साथ, बार-बार आप इसे राज्य सभा में पारित करने की हिम्मत के बिना लाए हैं। इसे आप चयन समिति को भेजने के सुझाव के साथ पुनः लाए हैं। आप यह नाटक किसके लिए कर रहे हैं?

मैं आपको दोष देता हूं। बैंकिंग पूंजी और भारत के उद्योगपतियों ने संयुक्त रूप से स्वयं को एक वित्तीय पूंजीवाद में समेकित किया है।

जिस वित्तीय पूंजीपति के हितों की रक्षा के लिए ही आप यह विधेयक समय-समय पर सभा में लेकर आए हैं। उस वित्तीय पूंजीपति के पीछे न केवल भारत की एकाधिकार कंपनियों की मजबूत उपस्थिति है, न केवल अडानी, अम्बानी, टाटा, या बिरला, सिंघानिया, गोदरेज, गोलचंद, या बजाज, बल्कि विदेशों की एकाधिकार कंपनियां हैं, जो सभी भारत के लोगों द्वारा लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार पर दबाव बनाने के लिए हाथ मिला चुकी हैं। इस सरकार पर इस देश के किसानों और मजदूरों के हित के लिए कानून लाने का दबाव डाला गया है। आप इस देश के लोगों के विरुद्ध विधान लाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आप बार-बार इस दबाव में आकर कानून ला रहे हैं। मैं इसके लिए आपको दोष देता हूं।

मैं दोहराता हूँ, यह विधान केवल भारत और विदेशों में पूंजीपतियों के हित की रक्षा करने के लिए है, मैंने पहली बार अपने गृह राज्य - केरल में भूमि अर्जन शब्द सुना है। 1970 में, कानून के अनुसार केरल में भूमि सुधार विधेयक पारित किया गया था, सरकार द्वारा भूमि का अर्जन किया गया था। विधेयक तब पारित किया गया था जब सी.अच्युता मेनन केरल के मुख्यमंत्री थे। विधान के कारण, मार्तंडम कयाल, चिल्तीरा कयाल जैसे बड़े जमींदारों की भूमि का अर्जन हुआ। सरकार ने उद्योग शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि भूमिहीन खेत मजदूरों को वितरित करने के लिए उनकी कृषि भूमि पर कब्जा कर लिया। और एक कवि को यह लिखने के लिए प्रेरित किया गया, "जो भूमि हम बोते हैं, हम स्वयं उसके स्वामी होंगे"।

मुप्पिलम्मा से संबंधित हज़ार एकड़ भूमि केरल सरकार ने इसके मालिक को एक पैसा दिए बिना अधिग्रहित की थी।

ये वन भूमि अभी भी सरकार द्वारा वन भूमि के रूप में संरक्षित की जा रही है। महोदय, लेकिन आप किसके लिए भूमि का अर्जन कर रहे हैं?

आप दावा करते हैं कि आप औद्योगिक गलियारा बनाना चाहते हैं और आप औद्योगिक क्षेत्र में नवाचार करना चाहते हैं।

बजट प्रस्तुत करते समय और उसके बाद के वित्त विधेयक पर चर्चा में भाग लेते समय भी माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि पूंजी विदेशों से और देश के भीतर से भी प्रवाहित होने वाली है और इससे हमारी अर्थव्यवस्था के बड़े पैमाने पर विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। उस विकास के कारण भारत में आम आदमी सशक्त होगा, इस देश से गरीबी खत्म होगी।

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग जो भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध कर रहे हैं वे लोग इस उपलब्धि से ईर्ष्या करते हैं और वे गरीबी उन्मूलन में सरकार की सफलता के असहिष्णु हैं।

अरुण जेटली जी, मुझे आपके इस आशय से संबंधित शब्द याद हैं। ईर्ष्या की किसी भावना के कारण हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। दिन-प्रतिदिन, आप और आपकी सरकार भारतीय और विदेशी एकाधिकारवादी कंपनियों के हितों के आगे घुटने टेक रही है। हम इस प्रकार गरीबों के हितों से समझौता करने के विरोध में आपसे प्रश्न कर रहे हैं। आपकी नीतियां इस देश की बहुसंख्यक जनता के हित में नहीं हैं। यह जंतर मंतर पर हुई विशाल रैली से साबित हुआ है। जिसमें कई दल, किसान संगठन और सामाजिक कार्य में लगे संगठन शामिल थे जो राजधानी के केंद्र में जंतर-मंतर पर एकत्र हुए थे।

इस कानून के खिलाफ देश के विभिन्न राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 14 मई को, मेरी पार्टी, जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, इस निर्धारित अधिग्रहण विधेयक के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन कर रही है। वामपंथी दल, लोकतांत्रिक दल, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जो विभिन्न

राज्यों में सबसे धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक दल हैं और वामपंथी कम्युनिस्ट दल संयुक्त रूप से विरोध आंदोलनों का आयोजन कर रहे हैं।

<u>अपराह्न 3.00 बजे</u>

यह आपके विरूद्ध एक विद्रोह है। क्या आप इस देश के लोगों के इस गुस्से और विरोध को नहीं पहचान पा रहे हैं? आप किसके लिए इस विधेयक को लाना चाहते हैं? मैं इस प्रश्न को बार-बार उठाना चाहता हूँ। हमारे पास सरकार की संसदीय प्रणाली है। मैं मानता हूँ कि इस संसदीय प्रणाली की बहुत सारी सीमाएँ हैं। मैं इसे बड़े पूंजीपतियों की संसदीय प्रणाली कहता हूँ। अर्थात्,अधिकांश के पास मतदान करने का अधिकार नहीं है, और उन अल्पसंख्यक संपन्न लोगों को शासन करने का अधिकार है। अधिकांश वोट, और कुछ चुनिंदा नुमाईदे जो अल्पसंख्यक पूंजीवादी लॉबी के हितों की रक्षा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा, इस लॉबी में एकाधिकारवादी कंपनियां और हमारे गांवों के बड़े जमींदार शामिल हैं, जिनके पास दस हज़ार एकड़ से अधिक भूमि है। अत: शासन का अर्थ उनके हितों की रक्षा करना है। अधिकांश गरीब, भूमिहीन, खेत में काम करने वाले मजदूर और गरीब औद्योगिक श्रमिक, स्व-नियोजित गरीब और कई बेरोजगार गरीब जो सड़कों पर भटकते हैं और भूखे भूमिहीन गरीब हैं, क्या आप उनके लिए कानून बना सकते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप इन लाखों गरीबों के लिए विधि विधान बनाएं। अक्सर बी.जे.पी. और संघ परिवार जो उनका समर्थन करने का दावा करते हैं कि वे इस देश के हिंदुओं के लिए खड़े हैं। मैं राजनीतिक चर्चा में शामिल नहीं हो रहा हूँ। मैं बी.जे.पी. सदस्यों से एक मित्र के रूप में, गरीब हिंदुओं के लिए, पूछता हूँ कि कम से कम उन राज्यों में यदि आप शासन करते थे, तो क्या आप एक भूमि सुधार विधेयक नहीं ला सकते हैं जो भूमिहीनों को भूमि दे सकता है? क्या आपके पास ऐसा कानून लाने का साहस है? क्या आप अपनी पार्टी द्वारा शासित राज्य सरकारों को ऐसा निर्देश दे सकते हैं? भूमिहीनों को भूमि मिलनी चाहिए। आप उन भू-स्वामियों से भूमि अर्जन कीजिए, जिनके पास हज़ार एकड़ भूमि है। वह भूमि भूमिहीन और गरीब किसान मजदूरों में वितरित की जानी चाहिए।

इस तरह इस देश में गरीबों की श्रम शक्ति का उपयोग उनके स्वयं के उत्थान के लिए किया जाएगा। हम एक ऐसा विधान चाहते हैं जो इस तरह के सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत कर सके।

क्या आप सत्ता में अपने कार्यकाल के शेष चार वर्षों में गरीबों के लिए ऐसा कानून ला सकते हैं? या क्या आप भारत और विदेश की बड़ी एकाधिकारवादी कंपनियों को भूमि अर्जन करके सौंपने जा रहे हैं, जिससे वे यहाँ अपने उद्योग शुरू कर सकें? क्या यह इस देश के लोगों द्वारा चुनी गई सरकार की ज़िम्मेदारी है?

निश्चित रूप से, आप एक समिति बनाने जा रहे हैं। मैं दृढ़ता से मांग कर रहा हूँ, कि मैं अकेला सदस्य हो सकता हूँ जो आज इस सभा में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा है। लेकिन हम इस देश के उनतीस राज्यों में और इस देश के सभी संघ राज्यक्षेत्र में अंडमान और निकोबार द्वीपों को छोड़कर कार्य कर रहे हैं।

इसलिए एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते कम्युनिस्ट पार्टी को इस विधायी प्रक्रिया में अपनी राय रखने का अवसर मिलना चाहिए। मैं इस सदन का मुखर सदस्य नहीं हूँ। लेकिन मैं इस सभा से और अध्यक्ष महोदया से और सरकार में जो लोग हैं, उनसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि उनको मेरी आवाज़ भी सुननी चाहिए, भले ही मेरे जैसे सदस्य, सभा में हंगामा नहीं करेंगे। मैं अपना संकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्यवाद।

श्री राहुल गांधी (अमेठी): महोदया, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं बी.जे.पी. के सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो इतनी बड़ी संख्या में आए हैं कि मुझे जो कहना है उसे सुनें। मैंने सोचा, मैं खाली अध्यक्षपीठ से बात करूंगा लेकिन अब आप सभी यहां हैं। मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा। … (*व्यवधान*) [हिन्दी] धन्यवाद...(व्यवधान) कोई शॉपिंग कर रहा था, कोई खाना खा रहा था, सब दौड़ कर आए। धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा। ...(व्यवधान)

स्पीकर मैडम मैं लैण्ड बिल पर यहां कुछ कहना चाहता हूं...(व्यवधान) मैं यहां लैण्ड बिल पर थोड़ा सा कहना चाहता हूं...(व्यवधान) थोड़ा इसलिए, क्योंकि नायडु जी ने कहा कि थोड़ा बोलना चाहिए। जल्दी से डिसक्शन हो जाना चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा ही बोलूंगा।...(व्यवधान) क्योंकि मैं आपकी बात भी मानता हूं।...(व्यवधान) लैण्ड बिल को लाने में हमें तकरीबन दो साल लगे और एनडीए सरकार ने कुछ ही दिनों में उस बिल की हत्या कर दी। पहली कुल्हाड़ी उठाकर यहां मारी गले पर। कनसेंट क्लॉज़, जो सबसे जरूरी क्लॉज़ है। हमने कहा कि अगर गरीब जनता से, किसान से, मजदूर से जमीन ली जाएगी तो उससे पूछ कर ली जाएगी। और आपने कहा नहीं, हम नहीं पूछेंगे, अगर हम जमीन छीनेंगे तो बिना पूछे हम जमीन छीनेंगे ।...(व्यवधान) कुछ फर्क नहीं पड़ता कि ये किसान कौन है, ये मजदूर कौन है, हम जमीन छीनेंगे।...(व्यवधान)

<u>अपराह्न 3.07 बजे</u>

[माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन हुए*]

दूसरी कुल्हाड़ी, जब गला कटा और लाश नीचे गिरी, फिर आपने दूसरी कुल्हाड़ी मारी और आपने कहा कि सोशल इम्पैक्ट असैसमेंट नहीं होगा।...(व्यवधान) हमने कहा कि सोशल इम्पैक्ट असैसमेंट होना चाहिए, पता लगना चाहिए, किसको नुकसान हुआ, किसको असर हुआ जमीन के ले जाने का ? आपने कहा कि कोई जरूरत नहीं।...(व्यवधान) इन्होंने कहा कि सोशल इम्पैक्ट असैसमेंट की कोई जरूरत नहीं है। किसान का नुकसान, मजदूर का नुकसान कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा था कि छः महीने में जांच हो जानी चाहिए। लेकिन इनके बिल में जांच की कोई जरूरत नहीं है। फिर तीसरी कुल्हाड़ी मारी। शायद सबसे जरूरी हमने कहा

था कि अगर पांच साल के अंदर...(व्यवधान) आप बोलना चाहते हैं, आप बोल लीजिए।...(व्यवधान) आप खड़े होकर बोलिए, मैं सुन रहा हूं।...(व्यवधान) आप खुश हैं। फिर से बोलना चाहते हैं तो फिर से बोल लीजिए।...(व्यवधान) तीसरी बात, हमने कहा कि यदि किसान की, मजदूर की जमीन जाती तो अगर पांच साल में उस जमीन पर प्रोजेक्ट पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, अगर प्रोजेक्ट चालू नहीं हुआ तो वह जमीन किसान को वापस दी जाएगी। इनके नये बिल में उसको भी रद्द कर दिया गया है। अब क्या होगा? चाहे प्रोजेक्ट बने या न बने, दस साल लगें, बीस साल लगें या पचास साल लगें, जमीन किसान को वापस नहीं मिलेगी। ...(व्यवधान) अब देखिए सरकार को इस बिल को पास करने में बहुत जल्दी है। किसी ने आरटीआई लिखी और आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा कि बताइए कि ज़मीन के कारण कितने प्रोजेक्ट रूके पड़े हैं। हमने सोचा था कि शायद 80 प्रतिशत होंगे, 70 प्रतिशत होंगे, मगर आपकी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि सौ में आठ प्रोजेक्ट्स ज़मीन के कारण रूके हुए हैं। ...(व्यवधान) हिंदुस्तान की सरकार के पास ज़मीन है। राज्य की सरकार के पास ज़मीन है। एसईज़ेड में 40 प्रतिशत ज़मीन खाली पड़ी हुई है। मगर आप किसान की ज़मीन चाहते हैं। ...(व्यवधान) आप किसान की ज़मीन क्यों छीनना चाहते हैं? सरकार के पास ज़मीन की तो कोई कमी नहीं है तो क्यों खरीदना चाहते हो और कहां-कहां ज़मीन लेना चाहते हो? यह मैं आपको बताना चाहता हूँ। ...(व्यवधान)

मैडम स्पीकर, ज़मीन बुंदेलखण्ड में एक्वॉयर नहीं होती है। राजस्थान के रेगिस्तान में एक्वॉयर नहीं होती है। ...(व्यवधान) शहरों के पास गुड़गांव और नोएडा तथा पुणे के पास होती है। क्योंकि इस ज़मीन का दाम तेज़ी से बढ़ रहा है। ...(व्यवधान) हिंदुस्तान के किसानों, आपके पैरों के नीचे सोना है और ये लोग वह सोना आपसे छीनना चाहते हैं। जो ज़मीन आज लाखों में जाती है, जिसको आप एकड़ में बेचते हो, वह ज़मीन आज से पांच-दस साल बाद करोड़ों रूपये में जाएगी, उसको आप स्क्वेयर फुट में बेचोगे। ...(व्यवधान) दस साल में, पंद्रह साल में, बीस साल में आपके बच्चों को दस करोड़, बीस करोड़, पचास करोड़ रूपये उस ज़मीन से मिल सकते हैं। मगर यह सरकार वह ज़मीन आपको नहीं देना चाहती है। यह सरकार वह ज़मीन अपने उद्योगपति दोस्तों को, क्रोनिक कैपिटलिस्ट्स को देना चाहती है। यह सरकार किसान विरोधी और गरीब विरोधी सरकार है। ...(व्यवधान) यह सूट-बूट की सरकार है और मंत्री जी मुस्कुरा रहे हैं। ...(व्यवधान) मैं देख रहा हूँ कि मंत्री

जी इधर देख कर मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि एक समय वे हमारे साथ खड़े थे और जो मैं कह रहा था वे भी वही कह रहे थे। ...(व्यवधान) मगर आज वे उस साईड बैठे हैं तो उनको देख कर मुस्कुराना पड़ रहा है। उनके पास सीनियर लीडर भी बैठे हैं। सुषमा जी थीं, वे आज नहीं हैं। आडवाणी जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं और शायद मुझे ठीक से याद हो तो वे यहां बैठते थे और जब हमने बिल पास किया था तो उन्होंने यूं ताली बजाई थी। ...(व्यवधान) उसी बिल का समर्थन किया था और आज पता नहीं क्यों पलट गए हैं। दो कारण हो सकते हैं। एक सचमुच में उनका दिल बदल गया, दूसरा वे घबराते हैं कि भई गलत बात न बोल दें, नहीं तो फंस जाएंगे। ...(व्यवधान) ज़मीन के दाम बढ़ रहे हैं, उसका फायदा किसान को जाना चाहिए, फायदा मज़दूर को जाना चाहिए, मगर आप लोग चाहते हो कि फायदा आपके जो मित्र हैं, उनको मिले। ...(व्यवधान) हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इतनी आसानी से नहीं होगा। ...(व्यवधान) अगर यहां नहीं रोक पाएंगे तो सड़क पर रोकेंगे। ...(व्यवधान) आपको सड़क पर जा कर रोकेंगे। ...(व्यवधान) यह सूट-बूट का काम नहीं चलने देंगे। कुछ समय पहले एक इकोनॉमिस्ट आए। ...(व्यवधान) अब मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। कुछ समय पहले मेरे पास एक इकोनॉमिस्ट आए थे। ...(व्यवधान) उन्होंने सोवियत यूनियन पर काम किया था। ...(व्यवधान) इकोनोमिस्ट आए और वे सोवियत यूनियन पर काम करते थे।...(व्यवधान) वे सोवियत यूनियन पर काम करते थे और उन्होंने कहा कि मैं सोचता था कि... *रात को 12 बजे आता है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री राहुल गांधी: छुपकर आता है।...(व्यवधान) और खिड़की के ...(व्यवधान) इकोनोमिस्ट ने कहा, सोवियत

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

यूनियन पर काम करते थे, ...(व्यवधान) उन्होंने कहा कि मैं सोचता था कि... *रात को आते हैं,...(व्यवधान) छुपकर आते हैं,...(व्यवधान) खिड़की के अन्दर से कूदकर आते हैं...(व्यवधान) मगर मुझे पता लगा कि सबसे बड़े... * खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहनकर आते हैं।...(व्यवधान) धन्यवाद।

---

* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (रतलाम) : महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। अभी आदरणीय राहुल जी बोल रहे थे...(व्यवधान) कि इतना बहुमत इस साइड को दिया, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। राहुल जी, आपकी बधाई नहीं चाहिए, देश की जनता की बधाई चाहिए, उन लोगों ने हमें वोट दिया है, हम आपकी बधाई से नहीं आए हैं।...(व्यवधान) राहुल जी ने एक बात और कही कि कुल्हाड़ी चली, कुल्हाड़ी लकड़ी पर चलती है, आदमी पर नहीं चलती है। क्या आपने कुल्हाड़ी देखी है, हम लकड़ी काटते-काटते यहाँ आए हैं।...(व्यवधान) पता नहीं आप इतने क्यों चिंतित हैं? यह संसद कानून बनाने के लिए बनी हुई है। इतनी बड़ी मेजोरिटी आई है, देश की जनता क्या चाहती है, आप किसानों को बहुत गुमराह कर रहे हैं। कहीं सुसाइड हो रहा है, तो वहाँ चले जाते हैं, वहाँ फोटो खिंचवा लेते हैं। इससे आपकी कोई समस्या हल होने वाली नहीं है।...(व्यवधान) क्या आपने एक भी...(व्यवधान) राहुल जी जहाँ जा रहे हैं, आदिवासी, गरीब की झोपड़ी में जा रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने कभी मदद की है?...(व्यवधान) ज्योतिरादित्य जी, आप हल्ले में शामिल मत होइए।...(व्यवधान) मध्य प्रदेश में 29 में से 2 आए हैं, अबकी बार 2 भी नहीं आएंगे।...(व्यवधान) खड़गे साहब, आप बहुत ही बुजुर्ग आदमी हैं, अच्छे आदमी हैं, समझदार हैं, आप 44 लेकर बैठे हैं, ये इस तरह क्यों हल्ला कर रहे हैं? ...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : एक समय आप भी दो थे।...(व्यवधान)

श्री दिलीप सिंह भूरिया: वर्ष 2013 में जब आप बिल लाए थे, तब बीजेपी का दिल इतना बड़ा था कि उसने सपोर्ट किया। आपका दिल कहाँ गया? ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: भूरिया जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया: उपाध्यक्ष जी, आज देश का किसान भी जानता है, देश का गरीब भी जानता है, देश

के नौजवान भी जानते हैं, देश की महिलाएँ जानती हैं कि नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस देश का विकास होगा। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: भूरिया जी, कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया: उपाध्यक्ष जी, मैं आपको ही देख रहा हूँ, इनको नहीं देख रहा हूँ। ये मुझे देख रहे हैं, मैं सिर्फ आपको ही देख रहा हूँ। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, आज की तारीख में सरकार जो बिल लाई है, हम चार गुना कंपनसेशन किसान को दे रहे हैं। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष जी, इनको मालूम नहीं कि हम किसान की कितनी ज़मीन लेंगे। 0.5 परसेंट ज़मीन लेंगे। जहाँ देश में 75 परसेंट किसान थे आज 65 परसेंट पर आ गए हैं। आज अमेरिका में 12 परसेंट किसान हैं, जापान में 13 परसेंट किसान हैं, कनाडा में 13 परसेंट किसान हैं। आज किसान की माली हालत क्या है, उसके लिए कौन जवाबदार है? 50 साल कांग्रेस ने राज किया, क्या हालत है आज किसानों की? ...(व्यवधान) किसान की क्या हालत आप लोगों ने कर रखी है? एक कहावत थी कि पहले खेती, दूसरा व्यापार और तीसरे नंबर पर नौकरी आती थी। आज कौन आदमी खेती करना चाहता है? कितनी मेहनत लगती है किसान को? आसमान से अगर बहुत पानी बरस गया, या ओला गिर गया तो सबसे ज्यादा नुकसान किसान को होता है। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की हालत क्या है? बहुत सी सरकारें आईं और उन पर ये टैक्स लगाया, वह टैक्स लगाया। कहाँ से वह टैक्स देंगे? किसान की माली हालत क्या है?

महोदय, मैं झाबुआ से आता हूँ जो आदिवासी एरिया है। आदिवासी अभी भी 60-70 परसेंट मज़दूरी करना जानते हैं, वे किसान हैं। जब आज़ाद हुए थे तो एक आदमी था जिसके पास 20 बीघा ज़मीन थी। चार बेटे हुए और अब उन सबके 15-16 बेटे हुए। एक-एक बीघा ज़मीन उनके पास नहीं है। आप क्यों विरोध कर रहे हैं, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है। आप 44 से 4 हो जाओगे, आप इसका विरोध मत करो। जैसे बंग्लादेश की

सीमा का विवाद हमने सुलझाया, कितना अच्छा कानून हमने बनाया। दुनिया आज उसकीतारीफ कर रही है। इसलिए यह जो सरकार बनी है, मोदी जी के नेतृत्व में बनी है। मोदी जी चाहते हैं कि अच्छा काम करें। आज एक साल होने जा रहा है, क्या कहीं घपले वाली बात आई? आपके घपलों की बात करें तो मुझे घंटों भाषण देना पड़ेगा। ...(व्यवधान) आप नरेन्द्र मोदी की बात क्यों करते हैं? नरेन्द्र मोदी खुद कहता है कि मैं चाय बेचता-बेचता इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो आपको तकलीफ क्यों होनी चाहिए? ये जनता की सेवा करने के लिए आए हैं, जनता का काम करने के लिए आए हैं, किसानों का काम करने के लिए आए हैं। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, इनको चुप तो कराइए। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी राहुल जी कह रहे थे कि यह सूट-बूट की सरकार है। तो अपने .... *[††††*]का नाम लो, वह सूट-बूट पहनता है, हम नहीं पहनते हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, अभी राहुल जी कह रहे थे कि क्या हम वहां रेलवे लाइन ले जा रहे हैं? क्या जहां खाली जमीन पड़ी हैं, क्या हम वहां रेलवे लाइन ले जाएंगे?...(व्यवधान) जहां रेलवे की पटरियां बिछीं हैं, वहीं रेलवे लाइन जाएगी।...(व्यवधान) यह तो कॉमन बात है।...(व्यवधान) मैं यहां कोई राजनीतिक भाषण नहीं देना चाहता हूं।...(व्यवधान) मेरे पास आंकड़े भी हैं, पर मैं आंकड़ों के बारे में नहीं बोल रहा हूं।...(व्यवधान) मैं तो आपको समझा रहा हूं कि आप इसे समझें।...(व्यवधान) यह देश के लिए बहुत अच्छा कानून है।...(व्यवधान) अगर यहां छोटे-छोटे उद्योग लग सकते हैं तो यह अच्छी बात है।...(व्यवधान) आज हमारे बाज़ारों में चीनी माल बड़ी मात्रा में आ रहे हैं।...(व्यवधान) इनके राज में कितने चीनी माल हमारे बाज़ारों में आए।...(व्यवधान)

ज्योतिरादित्य जी, व्यापम के मामले में आपके नेता ने माफी मांगी।...(व्यवधान) कोर्ट ने खारिज़ कर दिया।...(व्यवधान) आपको और क्या चाहिए? अभी मध्य प्रदेश में नगरपालिका के चुनाव हुए।...(व्यवधान) हमारी पार्टी के पास नगर निगम की पूरी की पूरी सीटें आईं, पंचायतों की पूरी सीटें आईं।...(व्यवधान) आप क्या फैसला चाहते हैं? जनता तो फैसला दे रही है कि इस देश में नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी

[††††*] कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

राज करे।...(व्यवधान) यह गरीबों, दलितों, किसानों की सरकार है।...(व्यवधान) किसान खुद ऐसा चाहते हैं।...(व्यवधान) आप लोग जो इतना चिल्ला रहे हैं तो आप यह बताइए कि आप में से कौन खेती करना चाहते हैं? आइए, हम आपको झाबुआ में ज़मीन देना चाहते हैं।...(व्यवधान) आइए और वहां खेती करिए।...(व्यवधान) राहुल जी को हम वहां ज़मीन देना चाहते हैं।...(व्यवधान) हम उन्हें खेती करने के लिए ज़मीन भी दे देंगे और अगर उन्हें चाहिए तो हम उन्हें लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी भी दे देंगे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना चाहता हूँ। बोलते समय, एक सदस्य को ऐसा कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए जिससे अन्य सदस्यों को ठेस पहुंचे। उसे अपमानजनक या अशोभनीय शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन वह इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया: उपाध्यक्ष महोदय, मैं कानून के बारे में जानता हूं।...(व्यवधान) मैं डॉ. अम्बेडकर के विचारों को भी मानता हूं।...(व्यवधान) खड़गे साहब यहां कानून के बारे में बात कर रहे हैं।...(व्यवधान) ये आंकड़े बताकर आप इस देश की जनता को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं।...(व्यवधान)

डॉ. अम्बेडकर ने क्या कहा था? गरीब लोगों को, दलितों, आदिवासियों को पढ़ाओ-लिखाओ। इन्हें संगठित करो और संघर्ष करो। उन्होंने यह कहा था। इसीलिए जो चुनाव हुआ है उसमें सबसे ज्यादा एस.सी./एस.टी. के एमपी भारतीय जनता पार्टी में चुन कर आये हैं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: उपाध्यक्ष महोदय, हम जो ऑर्डिनैंस लाये थे उसे इन्होंने वापस ले लिया।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो. सौगत राय (दमदम): मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना चाहता हूँ। मैं नियम 75(1) पढ़ता हूं - नियम 74 में निर्दिष्ट प्रस्ताव पर, विधेयक के सिद्धांत और इसके प्रावधानों पर आम तौर पर चर्चा की जा सकती है। [हिन्दी] मैंने भूरिया जी का भाषण सुना, [अनुवाद] विधेयक के नियम [हिन्दी] को लेकर,या विधेयक के प्रोविजन्स पर,इन्होंने कुछ भी चर्चा नहीं की है।...(व्यवधान) मध्यप्रदेश के चुनाव के बारे में चर्चा हुयी। ...(व्यवधान) यह कोई डिस्कशन हो रहा है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए। आपने कुछ मुद्दे उठाए हैं।

... (*व्यवधान*)

प्रो. सौगत राय: उन्हें विधेयक पर चर्चा करनी चाहिए। ... (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : गरीबों के लिए मकान बनाया है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: श्रीमान कटारिया जी, मेरी बात सुनिये। अपनी सीट पर बैठें। मैंने आपको नहीं बुलाया है।

... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: यह सदस्य का विशेषाधिकार है कि वह वही बोलें जो वह बोलना चाहते हैं। मैं किसी सदस्य को किसी निश्चित तरीके से बोलने का निर्देश नहीं दे सकता। यह सदस्य पर छोड़ दिया जाता है कि वह क्या बोलना चाहते हैं। यदि कोई असंसदीय अभिव्यक्ति होती है, तो मैं उसे हटा दूंगा। मैं यही कह सकता हूँ।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया: उपाध्यक्ष जी, जब वर्ष 2013 में यह कानून लाये थे तो उनके मुख्यमंत्रियों ने उस कानून का विरोध किया था। इस कानून से हमारा फायदा होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्रियों के नाम उन्हें पता हैं।...(व्यवधान) आज भी वह लोग चाहते हैं कि यह कानून पास हो, इस देश में औद्योगिक घरानों को किसने पनपाया है? हमने तो उन्हें नहीं पनपाया है। हमारी सरकार तो अभी सत्ता में आयी है। कभी 'टाटा' का नाम तो कभी 'बिरला' का नाम लो,...(व्यवधान) आप ऐसा नहीं करिए। ...(व्यवधान) अभी यह रूस का नाम ले रहे थे। रूस फार्मिंग सिस्टम में फेल हुआ। यहां कोई फार्मिंग सिस्टम लेकर जमीन बनायेंगे तो फेल हो जायेंगे। इंडीविजुअल खेती है, उनको खेती करने दो। किसानों को उत्तेजित नहीं करिए। आज देश के किसान आत्म हत्या कर रहे हैं। संसद को और हम लोगों को लज्जा आ रही है। वे क्यों मर रहे हैं? किसान स्वाभिमानी व्यक्ति है। अगर उसके घर पर मांगने चले जायें तो सुसाइड के अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता है कि यह मेरे घर पर कैसे चला आया? बड़े-बड़े लोग अपने-आपको दिवालिया घोषित करते हैं और पीछे से माल निकालते हैं और आगे अपने जूते रखते हैं, यह किसान नहीं कर सकते हैं, यह आदिवासी नहीं कर सकते हैं, यह दलित नहीं कर सकते हैं। राहुल जी, मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप इस झगड़े में ज्यादा मत पड़िए।...(व्यवधान) अगर ये किसानों के घरों में ...(*व्यवधान*)... ‡‡‡‡*

[अनुवाद]

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: श्रीमान उपाध्यक्ष, महोदय, मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोलना चाहता हूँ। मैं लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 380 को उद्धृत करना चाहूंगा। नियम 380 के अनुसार:

---

‡‡‡‡* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

" यदि अध्यक्ष की यह राय हो कि वाद-विवाद में कोई ऐसा शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वह, स्वविवेक से आदेश दे सकेगा कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सभा की कार्यवाही में से निकाल दिये जायें। "

अब वह विधेयक पर नहीं बोल रहे हैं। वह विधेयक के गुणों या खामियों के बारे में नहीं बोल रहे हैं। वह केवल व्यक्तिगत रूप से सदस्यों पर हमला कर रहे हैं और उन्होंने विधेयक पर अपने विचार व्यक्त नहीं किए हैं। इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि इन्होंने अमर्यादित तरीके से या अमर्यादित तरीके से जो भी शब्द व्यक्त किए हैं, उनको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाए। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं कार्यवाही वृत्तांत को देखूंगा। यदि कुछ भी आपत्तिजनक है या यदि कुछ असंसदीय है, तो मैं इस पर गौर करूंगा।

[हिन्दी]

श्री दिलीप सिंह भूरिया: उपाध्यक्ष जी, हमने कानून में प्रावधान किया है कि जिस व्यक्ति की जमीन लेंगे, उसे नौकरी देंगे। यह इनके कानून में नहीं था। ...(व्यवधान) यह मुझे मत समझाइए।...(व्यवधान) इनके कार्यकाल में बड़े-बड़े बांध बने, बड़े-बड़े उद्योग लगे। वे आदिवासी आज भी भटक रहे हैं। इन्होंने न जमीन दी और न ही नौकरी दी।...(व्यवधान) चाहे गुड़गांव, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिसा या हरियाणा हो, इन्होंने कोई प्रबंध नहीं किया। हमने कहा है कि वर्ष 2022 तक सब लोगों को मकान बनाकर देंगे। भारतीय जनता पार्टी, एनडीए सरकार बोल रही है। क्या इन्होंने मकान बनाए?...(व्यवधान) आज जो किसान का बेटा पढ़ रहा है, वह नौकरी चाहता है, अच्छे मकान में रहना चाहता है। वह समझता है कि औपोजिशन वाले क्या कर रहे हैं। उन्होंने 68 साल झोंपड़ी में गंवा दिए, अब वे पक्के मकान में रहेंगे। उसके लिए जमीन चाहिए। मकान बनाने के लिए जमीन चाहिए, रेलवे लाइन निकालेंगे तो उसके लिए जमीन चाहिए, हवाई जहाज चलाएंगे तो उसके लिए जमीन चाहिए, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल, सड़क के लिए सब लोगों को जमीन देंगे। जैसा हिन्दुस्तान 1947 में था, वैसा अब

नहीं रहेगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया में एक नम्बर पर होगा।...(व्यवधान) अगर तालाब नहीं बनते तो आज हमारे देश में जो इतना अनाज पैदा होता है, क्या उतना अनाज पैदा हो सकता था? ये बहुत सारी चीजें हैं।

इस बिल में विकास की बात है, आगे बढ़ने की बात है, किसानों को आगे बढ़ाने की बात है, लेकिन ये लोग किसानों को पीछे रखना चाहते हैं, ये किसान विरोधी हैं, ये भ्रमित करने वाले लोग हैं। अगर कहीं आत्महत्या होती है तो इसके दोषी अपोजिशन वाले होंगे। मैं आपको सलाह दूंगा कि आपने जिस तरह से बांग्लादेश पर बिल का सर्वसम्मति से पास कराया उसी तरह इस बिल को भी पास करने में समर्थन दीजिए। देश को यह मैसज दीजिए कि यह संसद विकास की संसद है। मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार गरीब, किसान और दलितों को मदद करके विकास करना चाहती है। इन्हीं शब्दों के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

हमारे प्रिय नेता, पुरात्ची थलाइवी अम्मा द्वारा निर्देशित, मैं इस विधेयक के प्रावधानों को इंगित करने के लिए यहां हूं, जिस पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए।

मैंने पहले ही एक संशोधन पारित किया है ताकि निजी उद्योगों के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति खंड को अनिवार्य किया जाए, भले ही भूमि सरकार के पास हो।

हमारी तमिलनाडु की सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को संरक्षण देने के लिए है। हम विशेष रूप से सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण के बारे में व्यापक सहमति के लिए जोर दे रहे हैं।

इससे पहले कि यह सरकार अपना मूल संशोधन विधेयक पारित कर पाती, यह इस सभा के सामने दूसरा संशोधन विधेयक लेकर आ रही है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि इस सरकार द्वारा एक प्रकार का इतिहास बनाया जा रहा है। मैं यह नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह सरकार खुद को क्यों बाध्य करती है। इसमें अभी भी समय लग सकता है। इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जा सकता है ताकि हम इस संबंध में सभी हितधारकों के विचारों को जान सकें।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बेहतरी और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए ऐसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की स्थापना के लिए जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, उनके कल्याण का ध्यान रखा जाना चाहिए। सामाजिक प्रभाव विश्लेषण (एस.आई.ए) और सहमति प्रावधान की आवश्यकताओं से पूर्ण छूट की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

मैं नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन के मामले में हमारी नेता अम्मा द्वारा व्यक्त की गई चिंता का उल्लेख करना चाहूंगा। जब पिछली सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचने का काम किया, तो तमिलनाडु की हमारी सरकार वित्तीय संकट के बावज़ूद, शेयर को खरीदने के लिए आगे आई ताकि यह निजी क्षेत्र के लोगों के हाथों में न चले जाएं। एन.एल.सी. के हित में, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई और उसके कर्मचारियों को हमारी दयालु नेता,अम्मा की पहल से संरक्षित किया गया है। … (*व्यवधान*)

इस (दूसरा संशोधन) विधेयक में ऐसी बातें हैं जिनके कारण हमारे मन में शंका उत्पन्न होती है। नए अध्याय 3क का अंतःस्थापन बहुत चिंता का विषय है। हालांकि केंद्र राज्य सरकारों को यह विश्वास दिलाना चाहता है कि उन्हें केस-टू-केस आधार पर छूट पर विचार करने का अधिकार है, लेकिन हम बहुत चिंतित हैं। इस विधेयक के माध्यम से कुछ परियोजनाओं को दी जाने वाली छूट देने की उपयुक्त सरकार की शक्ति अध्याय 2 और 3 के प्रभावी होने से छिन जाती है। इसके कारण विधेयक में अध्याय 2 और 3 को रखे जाने का औचित्य ही समाप्त हो जाता है। इसलिए, स्वाभाविक रूप से यह एक कठोर कानून के रूप में सही सोच वाले लोगों की परेशानी का कारण बनता है। इसलिए हम इस सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का आग्रह करते रहे हैं।

हमारी एक कृषि-आधारित आर्थिक व्यवस्था है। जिसमें किसान अहम भूमिका निभाते हैं। जिन कृषि श्रमिकों के पास भूमि नहीं है, वे भी हितधारक हैं। इसलिए गरीबों की चिंता को त्यागा नहीं जा सकता है। इसीलिए, हम आग्रह करते हैं कि सरकार को इस संशोधन विधेयक के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक को जे.पी.सी. में भेजने के अलावा, इस विधेयक पर राष्ट्रीय विकास परिषद और नीति आयोग, दोनों में राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गहन चर्चा होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि इस संबंध में अब तक राजनीतिक दलों की बैठक नहीं बुलाई गई है।

मैं यह बताना चाहूंगा कि तमिलनाडु की हमारी सरकार ने सरकारी परियोजनाओं में अनावश्यक गड़बड़ी से बचने के लिए मुकदमेबाजी की अवधि से संबंधित धारा में संशोधन करने के लिए एक व्यापक विधेयक पारित किया है।

हमें बलपूर्वक अर्जन को लेकर सतर्क रहना चाहिए। हमें सुरक्षा उपाय और अपील तंत्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। हम विस्थापितों के पुनर्वास और पुनर्स्थापना पर चुप नहीं रह सकते। चूंकि वर्तमान विधेयक में 'अत्यावश्यकता खंड' की सबसे अधिक आलोचना की गई धारा है, इसलिए सरकार को इस पर फिर से विचार करने के लिए आगे आना चाहिए।

अध्याय 3क के अंतःस्थापन के बारे में अपनी गंभीर आशंका व्यक्त करते हुए और सरकार से इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करते हुए, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्री सुदीप बन्दोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 का विरोध करने के लिए खड़ा हूं।

मैं जानना चाहता हूँ कि इसे फिर से सभा के पटल पर क्यों लाना आवश्यक था जिसे 2013 में यू.पी.ए. सरकार द्वारा लाया गया था। इस पर 28 अगस्त को बहस हुई थी। दोनों दल, कांग्रेस और बी.जे.पी. ने विधेयक का समर्थन किया था। मतदान भी हो चुका है। मेरे संशोधन पर मतदान का परिणाम 'हाँ 268' और 'नहीं 19' था। वे 19 कौन थे? वे 19 सिर्फ तृणमूल कांग्रेस से थे। परिणामस्वरूप, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। लोक सभा में बी.जे.पी. की ओर से मुख्य वक्ता कौन था? मुख्य वक्ता राजनाथ सिंह जी थे, जिन्होंने लोक सभा में इस विधेयक पर बी.जे.पी. की ओर से अपनी बात रखी। राज्य सभा में बी.जे.पी. की ओर से मुख्य वक्ता कौन थे? श्री कटियार मुख्य वक्ता थे, जिन्होंने राज्य सभा में इस विधेयक पर बी.जे.पी. की ओर से अपनी बात रखी। सामान्यतः, एक प्रश्न यह उठता है कि जब एक विधेयक मत विभाजन के साथ पहले ही सभा में पारित हो चुका हो, तो दूसरे विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता है। अब हर व्यक्ति को हर दल की भूमिका पता चली है।

तृणमूल कांग्रेस की राय है कि जहां तक भूमि अधिग्रहण विधेयक का सवाल है, इसमें किसानों के हित की सभी बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। हम पूरी तरह से इस भूमि पर जबरन कब्जा किए जाने के खिलाफ हैं। राहुल गांधी जी ने बहस शुरू कर दी है। उनका भी यही मत था और मेरा मानना है कि हम सभी को किसानों की भूमि पर जबर्दस्ती कब्जा किए जाने का विरोध करना चाहिए।

हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य में हमारी अपनी लड़ाई है। जब सिंगूर में भूमि पर एक बहुत बड़े कॉरपोरेट घरानों ने कब्जा कर लिया था, तो हमने इसका विरोध किया। हमने भूखे किसानों को भूख से लड़ते देखा है। वे अपनी आजीविका कैसे बनाए रख सकते हैं? भूमि लोचदार नहीं है कि यदि आप इसे फैलाये, तो यह बढ़ जाएगी। भूमि उतनी ही है लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। यदि जनसंख्या एक निश्चित रूप से बढ़ती है; यदि भूमि को जबरदस्ती हड़प लिया जाता है और सभी निर्णय उद्योगों के कप्तानों के पक्ष में

या कारपोरेट घरानों के पक्ष में लिए जाते हैं तो, धीरे-धीरे भूमि का आकार कम हो जाएगा। आज या कल, खाद्य की कमी होगी। हमारे देश में आज नहीं तो खाद्य की कमी होगी, यह 20 वर्ष या 30 वर्ष के बाद होगा।

इसलिए, महोदय, हमारा रुख शुरू से ही बहुत स्पष्ट रहा है। स्थायी समिति ने 13 सिफारिशों के साथ एक निर्णय लिया गया। यू.पी.ए. सरकार ने 11 सिफारिशों को स्वीकार किया लेकिन शेष दो सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। तृणमूल कांग्रेस स्थायी समिति की सभी 13 सिफारिशों को स्वीकार करने के पक्ष में थी। ऐसे दो बिंदु थे जिनके कारण तत्कालीन माननीय मंत्री जयराम रमेशजी द्वारा उन दो सिफारिशों को खारिज कर दिया गया था। वे थी : (1) कि 80 प्रतिशत भूमि मालिक के पास रहेगी और 20 प्रतिशत सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्रों के लिए किसी भी तरह से लिया जाएगा, (2) 70 प्रतिशत मालिक द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा और शेष भूमि का अधिग्रहण सरकार द्वारा किसी भी तरह से किया जाएगा। हमने उस समय आपत्ति जताई और कहा कि भूस्वामी और किसान आपस में चर्चा करें और एक दाम पर आएँ। यह किसान के विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए कि वह अपनी ज़मीन बेचने के लिए इच्छुक है या नहीं। कीमत दोनों की चर्चा के बीच में तय होनी चाहिए; और सरकार को मध्यस्थ की भूमिका नहीं निभानी चाहिए। दोनों के बीच बातचीत कैसे होती है यह देखने में मध्यस्थ की भूमिका निभाना सरकार का कर्तव्य और जिम्मेदारी नहीं है।

आमतौर पर, एक किसान को लगता है कि जब इस तरह के प्रश्न उत्पन्न होते हैं या बातचीत होती है, तो सरकार का रवैया स्वचालित रूप से कॉर्पोरेट कार्यालयों या उद्योगों के कप्तानों के पक्ष में झुका हुआ होता है।

इसलिए, स्वाभाविक रूप से, किसी भी स्तर पर, किसी भी स्तर पर इस बलपूर्वक कब्जे का हमारे द्वारा विरोध किया जाना चाहिए। जो लोग भूमि खरीदना चाहते हैं, उनके पास जो भी प्रस्ताव और परियोजनाएं हैं, उनके साथ उद्योग स्थापित करने के लिए 100 प्रतिशत भूमि पर कब्जा कर लिया जाए। वे किसानों से बातचीत कर जमीन खुद ले सकते हैं। यह बिना किसी डिवीजन के 100 प्रतिशत होना चाहिए। यू.पी.ए. के समय पर, यह 80 प्रतिशत और 70 प्रतिशत था; और अब, हम सुन रहे हैं कि पूरी भूमि सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा सकती है। हम इस बात से सहमत नहीं है।

महोदय, हमें पता है कि किस प्रकार की भूमि को अधिगृहीत किया जा सकता है। भूमि के दो प्रकार हो सकते हैं। एक बंजर ज़मीन है जिसे पतित जमीन कहते हैं। दूसरी एकल-फसल भूमि है, जिस जमीन पर एक फसल होती है। यह बहु-फसल भूमि नहीं है। उन जमीनों पर जहां बहू-फसल का उत्पादन होता है, वहां कभी ऐसा न हो कि उन जमीनों पर किसी भी स्तर पर, किसी भी स्तर पर कब्जा होने दिया जाए। इस बात पर गंभीर प्रतिबंध होने चाहिए कि बहु-फसल भूमि को किसी भी कारपोरेट कार्यालय द्वारा अपने कब्जे में लेने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इसलिए, हमें बंजर भूमि और एकल-फसल भूमि पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सरकार की नीति होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस, शुरू से ही, यू.पी.ए. सरकार के समय से विरोध कर रही है और हम अभी भी अपने रुख पर कायम हैं। हम इसपर पूरा विश्वास करते हैं कि यह विधेयक आम किसानों के हितों की पूर्ति नहीं करेगा। इसे निश्चित रूप से किसानों के विरोधी के रूप में पेश किया जाएगा। इसलिए, तृणमूल कांग्रेस इस विधेयक का पूरा विरोध करती है।

इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री बलभद्र माझी (नबरंगपुर): माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार यह बिल संशोधित करके लाई है। इस पर चर्चा हो चुकी है। जैसा कि सभी जानते हैं कि यह बिल लोक सभा में पास भी हो गया था लेकिन इस बिल के कुछ प्रावधानों पर हमारे दल का विरोध था। जब भूमि आधिग्रहण की बात आती है तब बहुत से पहलुओं को देखना पड़ता है। जब जमीन का आधिग्रहण होता है तो बहुत प्रकार के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बहुत ढंग से होता है। हमें इसी तरफ थोड़ा ध्यान देना होगा। रेलवे लाइन, हाईवे प्रोजेक्ट, कैनाल आदि, जिसे लीनियर प्रौजेक्ट कहते हैं, उसका रिपरकेशन, उसका प्रभाव समाज के प्रति, किसान के प्रति, गांव वालों के प्रति अलग होता है। अन्य प्रकार के प्रौजेक्ट्स को कन्सेन्ट्रिक प्रौजेक्ट कहते हैं, स्टील प्लांट बन रहा है, कहीं डैम बन रहा है। इसमें पूरा गांव उजड़ जाता है। एक गांव नहीं कई गांव उजड़ जाते हैं। गांवों में बहुत किस्म के लोग रहते हैं, भूमिहीन लोग भी रहते हैं, जमीन वाले भी रहते हैं। समाज केवल एक गांव नहीं है, उसकी कल्चरल, सोशल-इकोनामिक, एक-दूसरे के प्रति डिपेंडेसी, इस प्रकार की बहुत सी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि मुआवजा दे दिया और उनको हटा दिया। ऐसी बात नहीं है। अगर एक गांव को आप विभाजित कर रहे हैं, टुकड़े-टुकड़े कर रहे हैं, विशेषकर आदिवासी एरिया में, पिछड़े एरिया में लोगों की मानसिकता ऐसी होती है और वे लोग बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत संवेदनशील होते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, सरकार के प्रावधान से गरीब लोगों, आदिवासियों का घर बना दिया जाता है लेकिन वे अपना गांव, अपना घर छोड़कर दूसरी जगह जाकर बसने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वे लोग इतने संवेदनशील होते हैं। गांव उजड़ जाता है, यह इसका बहुत बड़ा रिपरकेशन है। यह सामाजिक और मानसिक स्तर की बात हो गई।

अब कम्पेनसेशन की बात आती है। तीन, चार, पांच बार मुआवजे की बात हो रही है। पैसा ऐसी चीज है कि आप कितना भी दे दें, वह पैसा कुछ महीने, कुछ साल में खत्म हो जाता है। अभी तक जितनी भी भूमि का ग्रहण हुआ है, वर्ल्ड बैंक की स्टडी है कि पैसा कितना भी दे दें, कुछ साल बाद देखा गया है कि जिनकी जमीन का आधिग्रहण किया गया है, वह गरीब हुआ है। कोई भी आदमी जिसकी जमीन का आधिग्रहण हुआ है, वह

आगे नहीं बढ़ा है। उसकी हालत बदतर से बदतर हुई है। कारण क्या है? जब पैसा हाथ में मिल जाता है, आदमी की मानसिकता होती है कि इसे खर्च किया जाए।

मैं इसके एक-दो उदाहरण दूंगा। यहां कुछ साल पहले मैक्सी कैब क्राइम की घटना गुड़गांव में हुई थी। यह क्यों हुई? जब वहां के लोग जमीन ज्यादा रेट में बेचने लगे, उन्होंने जमीन को बहुत ज्यादा रेट में बेचा लेकिन पैसा बहुत कमाया। लेकिन जब हाथ में पैसा आ गया तो उनको खर्च करने की ऐसी आदत हो गई, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो गई, फाइव स्टार होटल में जाकर खाना खाते थे, मौज मस्ती करते थे और कुछ दिन बाद पैसा खत्म हो गया। हाई-फाई स्टाइल में उनको जीने की आदत पड़ गई और इसे जारी रखने के लिए मैक्सी कैब क्राइम हुआ।

महोदय, मैं एक दिन अपने शहर में मछली खरीदने गया था। बगल में एक और आदमी मछली खरीद रहा था, उसने पी हुई थी। जब मछली बेचने वाले ने बताया कि मछली का दाम दो सौ रुपए है, वह गुस्से में आ गया, कहने लगा कि क्या समझता है? मैं एक स्टैंड जमीन को बीस लाख में बेच रहा हूं और तुम मुझे मछली का दाम बता रहे हो। मेरे कहने का मतलब है कि जब पैसा आ जाता है तो ऐसी आदत बन जाती है। मैं नाम नहीं लूंगा, एक स्टील प्लांट ने 1985 में जमीन का आधिग्रहण 5000 में किया गया। तब किसानों को लगा कि 5000 रुपए बहुत बड़ी रकम है। लोगों ने खुशी से जमीन दे दी। आज स्टील प्लांट से जब एरिया विकसित हुआ, टाउनशिप बना तो जमीन की कीमत डेढ़ करोड़ रुपए हो गई। कहां 5000 रुपए और कहां डेढ़ करोड़ रुपए, तीन हजार गुना। 1985 से अब तक यानी 30 साल में जमीन की कीमत तीन हजार गुना बढ़ गया। फायदा किसका हुआ? किसान को क्या मिला? 5000 रुपए में लिया, खाया-पिया और अब मजदूरी कर रहा है। हमारी पार्टी का पहले भी स्टैंड रहा और अभी भी यही स्टैंड है कि मुआवजा कितना भी दे दो, हो सके तो आप मुआवजा थोड़ा कम भी कर सकते हैं। एक परिवार में एक व्यक्ति को नौकरी देने का प्रावधान रखा है, अच्छी बात है। लेकिन नौकरी देंगे तो उनके भाई बंधुओं को तो नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि आप एक परिवार में एक ही व्यक्ति को देंगे। अगर एक परिवार में चार भाई हैं तो एक भाई को नौकरी मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। बाकी

क्या करेंगे? इलैक्शन के दौरान हमारे मेनिफैस्टो में भी था कि जो जमीन कमर्शियल परपज़ के लिए खरीदी जा रही है, जिसकी जमीन जा रही है, परिवार के लिए उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए।

<u>अपराह्न 4.00 बजे</u>

पंचायत की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमारी पार्टी का स्टैंड रहा है कि उसमें पंचायत की तथा संबंधित व्यक्ति की कन्सेंट जरूरी होनी चाहिए। कानून में प्रावधान किया जाए कि कमर्शियल प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी जरूर होनी चाहिए। जहां कम जमीन का आधिग्रहण होता है, वहां अगर नौकरी दे दें तो भी शायद पर्याप्त होगा लेकिन जो डैम प्रोजेक्ट्स हैं, इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, जिसकी वजह से गांव के गांव उजड़ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, उनके लिए विशेष प्रावधान करने की जरूरत है। पचास-साठ साल पहले जिस जमीन का आधिग्रहण इर्रीगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया था, अभी भी लोग अपना मुआवजा प्राप्त करने के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए जितनी जमीन किसान से ली जा रही है, उतनी जमीन अगर खेती योग्य दी जाए, तब तो विकास का फायदा उसे मिलेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और उसे जंगल में बसा देते हैं, जहां न तो बिजली है, न पानी है, न खेत हैं, वहां जंगल की थोड़ी-सी जमीन दी जाती है, अगर ऐसी जमीन दे रहे हैं तो वह जमीन खेती करने योग्य होनी चाहिए। किसानों को लगना चाहिए कि हमने विकास के लिए अपनी जमीन दी है और जो विकास हुआ है उसके हम हिस्सेदार हैं। अगर किसी को हटाकर दूसरे लोगों का विकास किया जाएगा, तो मेरे खयाल से यह बहुत अन्याय है। इस संशोधित बिल का मैं अपनी पार्टी की तरफ से विरोध करता हूं। मैंने जो सुझाव दिए हैं, सरकार उन्हें जरूर स्वीकार करे।

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर जब पहले भी चर्चा हुई थी तब भी मैंने अपने विचार प्रकट किए थे आज दोबारा इस बिल में बदलाव करके पुनस्थारपित करने की कोशिश हमारी सरकार की तरफ से हो रही है।

हाल ही में हमारे सदन में किसानों की बात आयी थी। ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश की बात आयी थी। अकाल की बात आयी थी। किसान उजड़ रहा था। उसके बाद हमारी केन्द्र सरकार ने मदद भेजी। उस मदद के बाद हम लोगों को जो अनुभव हुआ, वह मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय जानते होंगे कि जो मदद गयी, उसमें से 460 करोड़ रुपये वापस आ गए। क्यों आए, क्योंकि जिस किसान को मुआवजा देना था, उसका बैंक अकाउंट नहीं था। कुछ किसान ऐसे थे जो खेती का काम तो कर रहे थे, लेकिन उनका नाम सातबारा के उतारे पर नहीं था। कुछ परिवार ऐसे पाए गए, जहां ज्वाइंट परिवार है और उसमें दो-चार भाई हैं, तो किस को मुआवजा दिया जाए, इस बात का झगड़ा था इसलिए पैसे वापस आ गए। हम भूमि आधिग्रहण की जब बात करते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि हमने पहले भी इसका विरोध किया था लेकिन मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूं।

हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास। देश ने आज जितनी भी प्रगति की है, राज किसी का भी रहा हो, क्या देश ने कुछ भी प्रगति नहीं की है? अगर की है तो क्या किसानों का उसमें कुछ हाथ नहीं है? उनका कुछ सहयोग है या नहीं है? उनका कितना सहयोग है, किसानों ने कितनी जमीन दी है। हां भ्रष्टाचार हुआ, हमारे महाराष्ट्र में हुआ। जब डैम की बात आती है तो पूरे का पूरा गांव उजड़ जाता है। न तो डैम बना और न उनका पुनर्वास हुआ। कोयना प्रकल्प वर्ष 1960 में बना, लेकिन उसके कारण उजड़े लोगों का आज भी पुनर्वास नहीं हुआ है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि बार-बार हमारी सरकार इस पर इतना प्रैशन क्यों डाल रही है? हम क्यों नहीं चाहते हैं कि लोगों से कंसेंट लिया जाए। जब सुरक्षा की बात आती है तो हम भी कहते हैं कि सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। कलम एक है, दस कलम में से एक नंबर की कलम छोड़ दीजिए, उसके लिए जब भी जमीन आधिग्रहित करनी हो, तब कीजिए। लेकिन वहां भी सोशल इम्पैक्ट की बात आती

है। अगर हम जमीन आधिग्रहण कर लेते हैं और गांव के गांव उजड़ गए, आदिवासी उजड़ गए या हमारे मछुआरे उजड़ गए तो उनका पुनर्वास आप कहां करेंगे? मैंने उस वक्त भी कहा था, उनकी एक जीवन पद्धति है, उस जीवन पद्धति को आप ठुकरा नहीं सकते हैं, न उनका अवमान कर सकते हैं और न अवमान करने का हमें कोई आधिकार है। फिर भी, जब हम जमीन लेंगे, उसके सोशल इम्पैक्ट की बात देखेंगे। नर्मदा का प्रकल्प हुआ, वहां भी वही बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और रोजाना पूछना पड़ा कि कितनी उंचाई कर रहे हो, इतनी उंचाई करने के बाद कितने किसानों का पुनर्वास कर रहे हो, उनको कितना पैसा दे रहे हो? हम बार-बार कहते हैं कि चार गुना दाम दे रहे हैं। आपने अनुभव किया, मैंने भी अनुभव लिया है।

हमारे महाराष्ट्र में पूना में जब आईटी सेक्टर के लिए जमीन अधिग्रहित की गयी, क्या हुआ? किसानों को बहुत पैसा मिला, लेकिन दस वर्ष भी नहीं हुए हैं, परिवार के परिवार बर्बाद हुए हैं। महोदय, पैसा नहीं रुकता है। अब आप कहते हैं कि नौकरी देंगे। नौकरी कब देंगे? जब वहां कोई इंडस्ट्री खड़ी होगी, तब देंगे। उसमें कितना समय लगेगा, किसको नौकरी देंगे? परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे, परिवार में चार भाई हैं, कितने सदस्यों को देंगे? परिवार में दो नौकर हैं, उनमें से एक नौकर को मिलेगी, दूसरे नौकर का क्या होगा? आपने इन सारी चीजों को नहीं सोचा है, इससे हम व्यथित हैं। वह परिवार, जिसे पैसा देना है, चार गुना पैसा देने के बाद उस परिवार का आगे क्या होगा? इसीलिए मैंने उस वक्त भी कहा था कि अगर कोई कंपनी बन रही है तो उसे भी शेयरहोल्डर बनाइए या उसकी जमीन लीज पर लीजिए, सरकार जमीन लीज पर ले, उसे लीजी बनाए और इससे उसको जीवनभर पैसा मिलेगा। भूमि अधिग्रहण में और भी एक किस्सा है। हमारे देश में जितने भी किसान हैं, उनमें से 75 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है। अब जब भूमि अधिग्रहण करेंगे, एक किलोमीटर यहां और एक किलोमीटर वहां अधिग्रहण किया, उसमें किसी की पूरी जमीन जाएगी, किसी की आधी जमीन जाएगी। उसमें भी दो चीजें हैं। जहां पर सीमा आएगी, मान लीजिए एक किलोमीटर तक जमीन एक्वायर करने के बाद, उससे आगे जिसकी जमीन आ रही है, एक किलोमीटर के अंदर जिनकी जमीन आएगी, उनको आप चार गुना दाम देंगे, वे खुश हो गए, लेकिन उसके बाजू वाला क्या सोचेगा। अरे, इसको एक करोड़ रुपये मिले, मेरी जमीन उस सीमा से बाहर है, मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है और वह किसान दुखी

होगा। वह एक किलोमीटर जमीन यहां और एक किलोमीटर वहां तक क्या सिर्फ किसानों की ही जमीन है? वहां कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ होटल्स हैं, वहां पर अगर कोई एक छोटा-मोटा कारखाना है तो उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? क्या वह इंडस्ट्री आप वहां से हटाएंगे? उस एक किलोमीटर कॉरीडोर के अंतर्गत अगर कोई कारखाना खड़ा है तो इस कानून के अनुसार क्या आप उसे हटाने वाले हैं? किसानों की जमीन अधिग्रहित करेंगे, लेकिन उस कारखाने का क्या करने वाले हैं? क्या उस कारखाने को अपने कब्जे में लेने वाले हैं या उसको हटाने वाले हैं? अगर उसकी सुरक्षा करने वाले हैं तो किसानों की भी सुरक्षा करने की आवश्यकता है। मैंने उस वक्त भी यह बात कही थी, जब जमीन ले रहे हैं तो जमीन बैरेन लैण्ड है, सिंगल क्रॉप लैण्ड है या मल्टीपल क्रॉप लैण्ड है। जब हम जमीन लेते हैं तो जमीन हमारा एक परमानेंट एसेट है, वह परमानेंट एसेट परमानेंटली जाने वाली है और मुझे एक नॉन-परमानेंट नौकरी मिलने वाली है। नौकरी कितने साल बाद मिलेगी, पता नहीं। जब नौकरी मिलेगी तो उसमें तनख्वाह कितनी मिलेगी, पता नहीं। उसके आगे आने वाली जेनरेशन को नौकरी मिलेगी या नहीं, पता नहीं। अगर कारखाना बन्द करेंगे तो क्या होगा। अभी हमारे लेबर लॉज रहे नहीं।

हमने एसईजेड बनाए हैं, हाल ही में साउथ इंडिया के हमारे लोगों ने बताया था कि वहां पर नोकिया ने कंपनी बन्द कर दी। क्या सरकार उसे रोक पाई? नहीं रोक पाई। पांच हजार लोग बेकार हो गए। [अनुवाद] क्या आप बेरोजगार युवाओं की संख्या बढ़ाने जा रहे हैं? यह अराजकता को जन्म देगा। इसलिए मैं सरकार से आगाह करता हूँ कि वह इन बातों पर आगे न बढ़े। हम अराजकता का नेतृत्व नहीं करना चाहते हैं। [हिन्दी] इससे अनार्किज्म आएगा। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, जब नौकरी की बात आती है तो आप इसमें क्या सुरक्षा देते हैं? तनख्वाह कितनी होगी, पांच हजार रुपये या छः हजार रुपये। क्या इतने पैसों में उसका परिवार चल जाएगा? वह वैसे भी जान दे रहा है, यहां भी जान देगा। उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैंने उस वक्त भी कहा था, किसानों के पास जिस दिन एश्योर्ड इनकम आएगी, किसान आत्महत्या नहीं करेगा। हम हमेशा दूसरे देशों की बात करते रहते हैं। अगर हमने तय कर लिया कि किसी सामान का एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1000 रुपये तय कर दिया और मार्केट में भाव गिरता है, उस बेचारे को 700-800 रुपये में बेचना पड़ता है। हमारे किसान

को 200 रुपये घाटा मिलेगा तो वह मरने वाला है। वह 200 रुपए जो बीच वाला ले जाता है, उसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार ले और किसान को मिनीमम सपोर्ट प्राइस परमानेंट मिले तो फिर किसान जिंदगी भर आत्महत्या नहीं करेगा। हम सिर्फ मिनीमम सपोर्ट प्राइस की बात करते हैं, लेकिन होता क्या है, अगर उसके उत्पाद का भाव गिर गया तो हम क्या करें, टमाटर, प्याज आदि सस्ते पर बेच दिया या जमीन पर फेंक दिया। उसके बाद वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाता है। इसलिए यह मिनीमम सपोर्ट प्राइस तो सिर्फ कागज पर रहता है और यहां भी कागज पर रहेगा। नौकरियों की जहां तक बात है, वे भी सिर्फ कागज पर रहेंगी। आप कहते हैं कि जमीन का चार गुना भाव देंगे, वह भी कागज पर रहेगा। उसका परिवार बर्बाद होगा। इसलिए हम आपसे बार-बार कहते हैं कि [अनुवाद] बिना सहमति के और सामाजिक प्रभाव के बिना ऐसा करना विधेयक के अनुरूप नहीं है, मैं रक्षा उद्देश्यों को छोड़कर, हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा। डिफेंस के लिए छोड़ दो, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन बाकी सब चीजों के लिए हम आपसे विनती करते हैं कि ऐसा काम न करें।

हम घर देने की बात करते हैं कि किसानों को घर देंगे, लेकिन बताएं कि कितने एरिया का घर दिया जाता है। इन्होंने भी इंदिरा आवास योजना के तहत घर बनाए थे। घर मिलता है 100 स्केयर फीट का, उससे ज्यादा एरिया में तो हमारे आदिवासी जंगलों में रहते हैं। उनकी झोंपड़ी ही 300-400 स्केयर फीट में होती है, लेकिन वह वहां भी घुटन महसूस करता है। इसलिए आप यह भी बताएं कि उन्हें जो आवास दिया जाएगा, वह कितने एरिया का होगा?

इसलिए मैं शिव सेना पार्टी की तरफ से आपसे विनती करता हूं कि इस बिल को जो संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजने की बात सोच रहे हैं, वही करिए। वहां पर इस बिल पर पूरी चर्चा होने दें, उसके बाद देखेंगे, तब तक इस बिल पर हमारा विरोध रहेगा।

[अनुवाद]

श्री जयदेव गल्ला (गुंटूर): महोदय, आपने मुझे भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।

महोदय, मेरी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और हमारे नेता श्री नारा चंद्रबाबू नायडू *गारु* की ओर से, जैसे हमने पहले के विधेयक का समर्थन किया था, मैं इस विधेयक का भी समर्थन करता हूँ लेकिन मैं इससे पहले कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूँ।

महोदय, हम जिस मूल समस्या की बात कर रहे हैं, वह है कृषि-संबंधी संकट । हम उन समस्याओं की बात कर रहे हैं जिनका हमारे देश में किसान सामना कर रहे हैं और इस विधेयक को कथित रूप से गरीब विरोधी कैसे माना जाता है। लेकिन महोदय, मैं एक बहुत ही बुनियादी तथ्य बताना चाहूंगा। हमारी साठ प्रतिशत आबादी हमारे जी.डी.पी. के केवल 14 प्रतिशत पर रह रही है। जब तक हम इस विसंगति को ठीक नहीं करते, मुझे नहीं लगता कि इसके अतिरिक्त कुछ और हमारे कृषक समुदाय को राहत देने वाला है। किसान अपनी उपज में सुधार कर सकते हैं, वे अपनी इनपुट लागत को कम कर सकते हैं, वे खेती को मशीनीकृत कर सकते हैं और अपने परिणामों को बेहतर बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक हमारी 60 प्रतिशत आबादी हमारे जी.डी.पी. के केवल 14 प्रतिशत पर रह रही है - शायद यह 20 या 25 प्रतिशत तक जा सकती है - यह अस्वीकार्य है और इसे बदलना होगा।

महोदय, हमें कृषि से कम-से-कम 20 करोड़ से 30 करोड़ लोगों को या तो विनिर्माण या सेवाओं या स्व-रोजगार में स्थानांतरित करने की आवश्यकता है। ऐसा करने के लिए, हमें रोज़गार सृजित करने की आवश्यकता है और रोजगार सृजित करने के लिए, हमें भौतिक अवसंरचना और सामाजिक अवसंरचना की आवश्यकता है। इसके लिए हमें भूमि की आवश्यकता है और इन परियोजनाओं को विकसित करने के लिए हमें व्यावसायियों की आवश्यकता है। मुझे एक व्यापारी के रूप में स्वयं यह बहुत आपत्तिजनक लगता है कि व्यापारियों को केवल

क्रोनी पूंजीपतियों के रूप में चित्रित किया जा रहा है। मैं कोई साठगांठ वाला पूंजीवादी नहीं हूँ और इस देश के 90 प्रतिशत कारोबारी साठगांठ वाले पूंजीपति नहीं हैं। हमें इस तरह से वर्गीकृत करना उचित नहीं है। हम गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। मेरी कंपनी में, हम 10,000 लोगों को रोजगार देते हैं, जिनमें से 90 प्रतिशत किसान समुदाय से आते हैं। अपने परिवारों के इतिहास में पहली बार, उनके जीवन में पहली बार, उन्हें एक निर्धारित मासिक आय मिल रही है जिसके चलते वे अपनी वित्तीय स्थिति के संबंध में योजना बना सकते हैं। इसलिए, मुझे नहीं लगता है कि रोजगार पैदा करने के लिए, रोजगार देने के लिए और गरीबी से लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए इस विधेयक की आवश्यकता है। इसी कारण मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

पहले भी और अब भी इस पर गहन चर्चा हुई है और अभी भी कुछ चिंताएँ बाकी हैं। इसलिए, मैं अपनी पार्टी की ओर से यह सिफारिश करना चाहता हूँ कि हम इस विधेयक को पूरा करने के लिए उचित समय-सीमा के साथ संयुक्त संसदीय समिति को भेजें।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एन.के.प्रेमचन्द्रन (कोल्लम): महोदय, मैं इस विधेयक का तीन आधारों पर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहला, संविधान के उपबंधों के आधार पर; दूसरा प्रक्रिया के नियमों के आधार पर और तीसरा, तथ्यात्मक रूप से भी मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

महोदय, संवैधानिक प्रावधान, जिनका मैंने कल अनुच्छेद 107 और अनुच्छेद 123 के आधार पर उल्लेख किया है, जिसमें मैंने अध्यादेश को अस्वीकार करने के लिए एक नोटिस भी दिया है, जो अभी लंबित है। यहां, विधेयक के तथ्यों पर आते हुए, कल भी, मैंने उल्लेख किया है कि मैं माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गयी व्यवस्था को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ और उसका पालन करता हूँ।

यदि ऐसा मामला है, तो मैं एक और बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि माननीय द्वारा एक प्रस्ताव पेश करके, नियम 338 के तहत मंत्री ने कहा कि यह समान है क्योंकि माननीय मंत्री जी द्वारा एक प्रस्ताव पहले ही पेश किया जा चुका है, और अब एक और प्रस्ताव पेश किया जा रहा है जो नियम 338 के तहत एक समान प्रस्ताव है। इसलिए, इसे प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, और यही कारण है कि आपके विवेक से माननीय अध्यक्ष ने नियम 338 के अन्तर्गत नियम को निलंबित करने का फैसला किया है। मैं सहमत हूँ, लेकिन इसका अर्थ है कि सरकार इस तथ्य को स्वीकार करती है कि समान विधेयक हैं। यदि समान विधेयक हैं, तो मेरा बिंदु यह है कि नियम 112 (2) लागू होगा। कल, मैंने नियम 112 (2) पढ़ा है, जिसमें कहा गया है कि:

> "सभा के सामने लंबित विधेयक का सभा द्वारा सारवान् रूप से समान विधेयक को पारित करने या नियम 110 के अन्तर्गत विधेयक वापस लिये जाने की अवस्था में सभा में लम्बित विधेयकों को पंजी में से हटा दिया जायेगा।
>
> व्याख्या - सभा के सामने लंबित विधेयक में ये सम्मिलित होंगे -
>
> (1) सभा में पुर:स्थापित विधेयक..."

इसलिए, यह आपके प्रस्ताव के अनुसार एक समान विधेयक है, और सरकार इस तथ्य को स्वीकार कर रही है कि यह एक समान विधेयक है। तो, यह प्रक्रिया के विरुद्ध है। आज, उन्होंने प्रस्तुत किया है और स्वीकार किया है कि यह एक समान विधेयक है। इसलिए, यह प्रक्रियात्मक रूप से गलत है।

अनुच्छेद 123 कहता है कि केवल असाधारण स्थितियों के दौरान - आपातकाल और व्यवसाय करने की आवश्यकता के मामले में; और संसद सत्र में नहीं है - अध्यादेश प्रख्यापित किया जा सकता है। यहाँ, अध्यादेश का प्रख्यापन ही नहीं है - मैं उचित तरीके से *सद्भावनापूर्वक*- शब्द का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दूसरे सभा को *अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया गया था* या सभा का सत्रावसान नहीं किया गया था, और सभा का सत्रावसान करने के बजाय, सभा को एक विशेष तिथि के लिए स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद, दूसरे सभा का सत्रावसान कर दिया गया है जिससे अध्यादेश जारी किया जा सके या लाया जा सके। भारतीय संसदीय प्रथा के इतिहास में इसके बारे में कभी नहीं सुना गया है। ऐसा पहली बार हुआ है। तो, मेरा प्रश्न यह है। इतनी जल्दी क्या है? यहां तक कि शिव सेना के विद्वान सदस्य भी विधेयक का पुरजोर विरोध कर रहे थे; बी.जे.डी. कमोबेश विधेयक का विरोध कर रही है; और इस सभा के लगभग सभी वर्ग विधेयक का विरोध कर रहे हैं। तो, इस विधेयक को तत्काल पारित किए जाने की जल्दबाजी क्यों है? यह दूसरा प्रश्न है जिस पर मैं अपने विचार रखूंगा।

विधेयक के बारे में, धारा 10 (क) के अन्तर्गत प्रस्तावित संशोधन एक बहुत ही विवादास्पद प्रावधान है। हम स्वीकार करते हैं (क), (ख) और यहां तक कि (ग) हम स्वीकार कर सकते हैं कि किसी सहमति की आवश्यकता नहीं है और किसी सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है। हम उस हद तक तो मान सकते हैं, लेकिन समुचित सरकार और उसके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक गलियारे और दोनों तरफ एक किलोमीटर का क्या होगा। औद्योगिक गलियारा क्या है? कृपया परिभाषा को पढ़िए, और इससे विधेयक का आशय बहुत स्पष्ट होगा।

(घ) की बात करें तो सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत परियोजनाओं सहित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं जहां भूमि का स्वामित्व सरकार के पास रहता है, वहां भी यही बात लागू होती है। इसलिए, इन मामलों में, मेरा कहना है कि इन प्रावधानों को धारा 10 (क) से बाहर निकालना होगा, और फिर निश्चित रूप से पूरा सभा रक्षा उत्पादन, रक्षा उद्योग होने के संबंध में सहमत होगा, और पूरा सभा सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन पर सहमत होगा।

जहां तक सामाजिक प्रभाव आकलन का संबंध है, हम इससे कभी छुटकारा नहीं पा सकते क्योंकि सामाजिक प्रभाव आकलन प्रमुख मुद्दों में से एक है, जो प्रतिकर की मात्रा के मानदंड को निर्धारित करता है। मुआवज़े की मात्रा सामाजिक प्रभाव आकलन के आधार पर होती है कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है; क्वांटम क्या है; और सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन क्या है? ये सभी मुआवजे की मात्रा का आकलन करने में अभिशासित करेंगे। इसलिए, सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन *पक्का* है और यह अनिवार्य है, लेकिन रक्षा उत्पादन के मामले में और राष्ट्रीय हित में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मामले में भी सहमति दी जा सकती है, और हम एक हद तक सहमति को भी माफ कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन एक आवश्यक और अत्यधिक आवश्यक है।

मैं एक और बिंदु का उल्लेख करूंगा और फिर मैं समाप्त करूंगा, और यह पाँच वर्ष की अवधि के बारे में है। किसी कंपनी को या किसी को भी, उनके पक्ष में ज़मीन मिलने के बाद भी, यदि वे भूमि अर्जन के बाद भी कोई व्यवसाय शुरू नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें मूल विधेयक के अनुसार दो वर्ष तक का समय दिया जा रहा था, लेकिन अब इसे पाँच वर्ष कर दिया गया है। इसका अर्थ है कि भूमि अर्जन की पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी उन्हें अब पाँच वर्ष का समय दिया जाएगा। इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह मेरी आपत्तियां हैं।'

महोदय, मुझे बिना बारी के समय दिया गया है क्योंकि मुझे एक जरूरी मामले में भाग लेने के लिए अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वापस जाना है। मुझे यह मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

मैं रोजगार के संबंध में एक और बात करना चाहूंगा। खंड 7 कहता है,"कृषि श्रमिक के ऐसे प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को अनिवार्य रोज़गार सहित।" मान लीजिए कि कृषक या सरकारी सेवक की भूमि ली जाती है, तो इसका मतलब है कि उसे रोज़गार नहीं मिलेगा। संशोधित प्रावधान में एक व्यक्तिपरक खंड शामिल किया गया है कि *कृषि श्रमिक के ऐसे प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार दिया जाएगा*। इसका अर्थ है कि केवल खेतिहर मजदूर को ही रोज़गार मिलेगा और कृषक या किसान को रोज़गार नहीं मिलेगा; एक सामान्य या एक आम आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा। यह महज एक दिखावा है।

इसलिए, इन तीन आधारों पर - तथ्यात्मक आधार, संवैधानिक आधार और प्रक्रियात्मक आधार - इस विधेयक का विरोध किया जाना चाहिए। मैं इसे संसद की संयुक्त समिति को भेजने के सरकार के विचार की सराहना करता हूँ।

इन शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर आपका आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, महोदय।

श्री बी. विनोद कुमार (करीमनगर): महोदय, आज हम एक बार फिर भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर चर्चा कर रहे हैं। मूल अधिनियम इस संसद द्वारा वर्ष 2013 में पारित किया गया था। छह महीने के भीतर, आम चुनाव हुए और श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एक नई सरकार ने शपथ ली। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकार को पहला अध्यादेश जारी करने के लिए किस बात ने उकसाया। इससे पहले, मार्च के महीने में, जब हमने उस अध्यादेश के साथ-साथ विधेयक पर भी चर्चा की थी, तो मैंने अपनी दल की ओर से विधेयक के कई खंडों पर कुछ बिंदु सुझाए थे। आज मैं खंड-दर-खंड विवरण में नहीं जा रहा हूँ। हालाँकि, आज तक सरकार ने यह व्यक्त नहीं किया है कि मूल विधेयक ने किस तरीके से विकास में बाधा उत्पन्न की। है

नियम 112 के अन्तर्गत, कई राज्यों को नियम बनाने होंगे। केवल मेरे तेलंगाना राज्य ने, मेरे मुख्यमंत्री श्री के.चन्द्रशेखर राव के नेतृत्व में, नियम बनाए हैं जिसमें हमने किसान समुदाय को, विशेष रूप से उन लोगों को कई प्रोत्साहन दिए हैं जो अपनी भूमि खो रहे थे। हालांकि, पिछले दो वर्षों से, किसी भी राज्य सरकार को रिकार्ड संबंधी किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ा था। उन्होंने बड़े पैमाने पर जनता के ध्यान में नहीं लाए हैं कि 2013 के मूल अधिनियम के तहत अधिग्रहण ने विकास की प्रगति में बाधा उत्पन्न की थी। इस सरकार के समक्ष कोई समस्या आने की स्थिति में, हालाँकि मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था इससे पहले जब मैंने पहले संशोधन विधेयक पर बहस में भाग लिया था, तो माननीय मंत्री ने इस सभा के ध्यान में कुछ भी नहीं लाया कि 2013 के मूल अधिनियम को लागू करने में किस राज्य को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह संशोधन लाने से पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए।

यह सभा इस विधेयक को पहले ही एक बार पारित कर चुका था, लेकिन वह राज्य सभा से पारित नहीं हो पाया। इस सरकार के गंभीर होने की स्थिति में उसे सभी राजनीतिक दलों और सभी मुख्यमंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए।

मैंने पहले भी यह प्रस्ताव दिया था। लेकिन वे विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आगे नहीं आए हैं। कम से कम अब, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि इसे संयुक्त प्रवर समिति के पास भेजा जाए ताकि उन्हें कुछ सहमति मिल सके। कई मुद्दे हैं। मैं खंडवार मुद्दों पर नहीं जा रहा हूँ। लेकिन आम सहमति बनाने के लिए यह अच्छा होगा कि अगर सरकार इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति को भेजती है।

श्री मोहम्मद सलीम (रायगंज): महोदय, मैं इस विधेयक - भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

तकनीकी रूप से, हम एक निरर्थक कोशिश कर रहे हैं। यही हम बार-बार कर रहे हैं, न केवल इस विधेयक पर बल्कि पहले भी कई मौकों पर हमनें ऐसा किया है। हर दिन हम देखते हैं कि कुछ विधेयक राज्य सभा में अटक रहे हैं। सरकार एक संशोधन लेकर आ रही है, कभी-कभी इसे वापस भी ले रही है। कभी-कभी विधेयक पारित होने के बाद लंबित हो जाता है। फिर एक और अध्यादेश आ जाता है और फिर दूसरा विधेयक आ जाता है। यह किस लिए हो रहा है?

[हिन्दी]

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार पक्ष से यह कहूँगा कि कोई काम करने से पहले योजना और हकीकत का सामना करना पड़ता है। जिन्होंने संसद की जिम्मेदारी ली है, लोग समझे थे कि सरकार में जो परिर्वतन आया, डिजिटल इन्डिया की बात कर रहे हैं और रिअल टाइम डेटा एक्स्चेंज कर रहे हैं तो जरूर कुछ योजनाबद्ध तरीके से सरकार चलेगी। लेकिन यह इस बात को उजागर कर रहा है कि एक तो सरकार संसद को गम्भीरता से नहीं ले रही है और दूसरी तरफ उनकी योग्यता के बारे में सवाल उठ रहा है कि वे ऐसेस नहीं कर पा रहे हैं कि हकीकत क्या है। हमारे संविधान में जब बाइकैमरल बंदोबस्त किया गया और सदन की शक्ति किसकी कितनी है, वह परीक्षित है तो कोई बिल लाने से, पास करने से, कमेटी में भेजने के लिए सरकार का तो एक अध्ययन होना चाहिए। इस बारे में अभी मैं खेद प्रकट कर रहा हूँ, हमारे सरकार पक्ष के सभी माननीय सदस्य दोपहर को सो रहे थे, जब यहाँ हंगामा हो गया, हमने मोशन के ऊपर डिविजन माँग लिया तो फिर सबको नींद से उठकर यहाँ पर आना पड़ा। फिर हंगामा होने लगा।...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, यह गलत बात है।...(व्यवधान)

श्री मोहम्मद सलीम: अब यह बार-बार करना पड़ रहा है।...(व्यवधान) वे लोग हमारे ही साथी हैं।...(व्यवधान) उनको अपने नेतृत्व से पूछना चाहिए।...(व्यवधान) माननीय सदस्यों को अपने संसदीय नेतृत्व से पूछना चाहिए कि आखिर यह क्यों हो रहा है?...(व्यवधान) क्यूँ ऐसी योजना नहीं बन रही है, सरकार को मालूम होना चाहिए कि सरकार क्या कर रही है और क्यूँ कर रही है?...(व्यवधान) भमि कितनी महत्वपूर्ण है हमारे इस देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारी जनता के लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारी खेती के लिए, यह कोई नई बात तो नहीं है तो इस बात को गम्भीरता से लेना चाहिए।

अब मैं बिल पर आता हूँ तो पहला सवाल यह है, एक मार्क्सिस्ट होने के नाते हमें गर्व है, आजादी के पहले से हमने आजादी के सवाल के साथ भूमि के सवाल को जोड़ने की कोशिश की कि आजादी का मतलब है कि लैंड टू दी टिलर्स, जो हल कर रहे हैं, जमीन की मिल्कियत उनकी होगी या नहीं। हम सामन्ती वर्ग से लड़े हैं, तेलंगाना से लेकर तेभागा तक, किसान को खेती का हक जरूर मिलना चाहिए। वह दौर और था जब लोग फौज भेजकर के, जहाँ तक फौज के घोड़े दौड़ गए, वहाँ तक की जमीन उनकी हो गई। आज नई व्यवस्था में हम पूरे विश्व में और हमारे देश में क्या देख रहे हैं कि फौज के बजाए पूँजी, जिसके पास जितनी पूँजी है, वह उतनी मिल्कियत हासिल कर लेगा। यह सरकार एक साल में एक के बाद एक जो-जो कानून लेकर आई है, हमारी कायनात में, हमारे मुल्क में जो भी कुदरती सम्पदा है, प्राकृतिक सम्पदा है, उसको एक हाथ से दूसरे हाथ में ले जाने की कोशिश की जा रही है।...(व्यवधान) चाहे वह कोयला हो, मिनरल्स हो या ज़मीन हो। अब इसके बाद पानी, नहर और नदी के संबंध में कानून आएंगे। कुछ-कुछ प्रांत में तो नदी के पानी का भी निजीकरण हो चुका है। इसलिए हम बुनियादी तौर पर इस बिल के विरोध में हैं।

महोदय, आज़ादी के बाद से सवाल यह था कि भूमि का किस तरह आबंटन होगा, बड़े-बड़े सामंतों से भूमि लेकर किसानों के बीच किस तरह बांटा जाएगा? इस कानून के पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं, वे इसे समझ नहीं पाएंगे। अगर हम हजार एकड़ ज़मीन की बात करते हैं तो यह कहीं एक सामंत तो कहीं यह दो सामंतों के हाथों में है। मैं पूर्वी प्रांत से आता हूं, जहां भूमि का आबंटन हुआ। चाहे वह बंगाल में हुआ हो, चाहे त्रिपुरा में, चाहे

केरल या जम्मू-कश्मीर में हो, जहां ज़मीन के ऊपर ज्यादा आबादी का प्रभाव है और ज़मीन बहुत उपजाऊ है, अगर वहां पर आप एक हजार एकड़ ज़मीन को लेंगे तो उस ज़मीन पर दो हजार, चार हजार परिवार निर्भर हैं। इसलिए यह इतना आसान नहीं है कि आपने कह दिया कि रेलवे लाइन या इंडस्ट्रियल कॉरीडोर के दोनों तरफ दो मील की दूरी तक की ज़मीन ली जाएगी। यह तो हम पहले राजा-रजवाड़ों से सुनते थे कि जहां तक आंख चला जाएगा, वहां तक हमारी सल्तनत है।...(व्यवधान) जहां आपके प्रोजेक्ट होंगे, उसके आस-पास की दो मील की ज़मीन आप ले लेंगे। इसमें सरकार क्या कह रही है? आपके माननीय सदस्यों को बुलाकर आपके नेता यह कह रहे हैं कि किसानों को जाकर बोलो कि यह सब किसानों के हित के लिए हो रहा है। अगर यह हित के लिए है तो आप किसानों का कंसेन्ट लेने में पीछे क्यों हट रहे हैं? उनकी राय लेनी चाहिए। जिस दिन प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं कि उनकी सहमति लेने की जरूरत नहीं है, उस दिन विश्व बैंक कह रहा है कि जो प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसका सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट भी चाहिए और सहमति भी चाहिए, नहीं तो सरकार को जो विश्व बैंक से सहायता मिलने वाली है, वह नहीं मिलेगी। हमारे संविधान में जो नागरिक आधिकार मौलिक आधिकार के रूप में दिए गए हैं, अगर आप उसके बुनियादी हक़ को मानते हैं तो क्या आप उनकी सहमति नहीं लेंगे? क्या आप किसी पूंजीपति या बड़े-बड़े सरमाया की पूंजी या कारखाने को उनकी सहमति के बिना ले सकते हैं? आप किसान को इतना लाचार समझ रहे हैं कि आप कानून ले आएंगे और उसकी सहमति के बिना आप उसकी ज़मीन को ले लेंगे।

महोदय, इसमें दूसरी बात है - सोशल एण्ड इनवायरनमेंट इम्पैक्ट। यह सरकार पर्यावरण के ऊपर भाषण तो बहुत दे रही है, लेकिन इस सरकार के ऊपर यह लांछन होगा कि पूंजी और विकास के नाम पर पर्यावरण का बलिदान कर रहे हैं। अगर इस कानून में भी सोशल एण्ड इनवायरनमेंट इम्पैक्ट का मामला नहीं रहेगा तो हमारे पर्यावरण की जो क्षति हो रही है, यह और ज्यादा गंभीरता से होने वाली है और इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।

तीसरी बात है, क्या आप किसानों के हक़ के बारे में बात कर रहे हैं? हमेशा कानून में लिखा होता है - विचएवर इज आर्लियर। अगर पांच सालों के समय का आपने विकास के नाम पर, जिसके नाम पर आपने ज़मीन लिया, वह विकास नहीं किया तो उसमें कहते हैं कि जो टाइम फिक्स हो जाएगा और उसमें यह लिखा हुआ है - विचएवर इज लैटर। इसका मतलब कि यह अनादि, अनंत काल तक चलता रहेगा। अगर आप किसानों के हक़ में हैं तो आपको कहना चाहिए - विचएवर इज़ द आर्लिएस्ट - जो जल्दी हो, पांच साल या अगर उससे पहले हो। लेकिन, आप यह नहीं कर रहे हैं। जिसके हाथ में आप ज़मीन देंगे, उसको आप यह आधिकार दे रहे हैं।

महोदय, इसी तरह से यूपीए-। को हम लोगों ने फॉरेस्ट कानून लाने के लिए मज़बूर किया था। हम आदिवासियों की बात कर रहे थे और आदिवासियों को ज़मीन देने का एजेण्डा था। आप उन्हें क्या दे रहे हैं? उनके जो आधिकार हैं, वह आप उन्हें कितना दे रहे हैं? आपने पिछले एक साल में क्या किया? आपने केन्द्र सरकार की तरफ से राज्य सरकारों पर कितना दबाव डाला है कि आदिवासियों की जो जंगल की ज़मीन हैं, उसमें उन्हें हक़ और अधिकार दिया जाए? उसे तो आपने गायब कर दिया। हमारे लिए किसान और खेती बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारा समाज, हमारी धरोहर, हमारी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस बात को याद रखिए। आप इसमें जो उनके पुनर्वास की बात कर रहे हैं, तो उन्हें उसमें एक नौकरी दे देने से बात नहीं बनती है। यह हमारे जीवन, जीविका, संस्कृति व जीवन-पद्धति इत्यादि सभी के साथ जुड़ा हुआ है।...(व्यवधान) आप अफसरशाही की सोच से बात करते हैं। ...(व्यवधान) मैं संघ परिवार के सदस्यों से कह रहा हूं। वे संस्कृति और परंपरा के बारे में इतनी बातें कहते हैं। हमारी जो परंपरागत बसावट है, क्या आप उसे खत्म करेंगे और उन्हें एक भवन या फ्लैट बनाकर रहने के लिए दे देंगे? हमारी जो बसावट है, जो सांस्कृतिक जीवन-पद्धति है, आप उसे खत्म कर रहे हैं।

अगर मैं आपकी भाषा में कहूं तो हम रात दिन भगवान-भगवान कहते हैं। पर, भगवान का मतलब हमारे लिए 'भ' से भूमि, 'ग' से गगन, 'व' से वायु, 'आ' से आग अर्थात् आग्नि और 'न' से नीर है। ये पांच तत्व हैं - क्षीति, आब, तेज, मरूत और व्योम, आप उससे सौदाबाजी कर रहे हैं। आप 'भ' से शुरू किए हैं और 'न' तक जायेंगे। आप 'भूमि' से लेकर 'नीर' तक सबको बेचने की बात कर रहे हैं। अब यह कहते हैं कि वर्ष 2013 में जो कानून लाया गया था उसे सुधारना पड़ेगा। दरअसल, जरूरत इस बात की है, अगर जरूरत हो तो अलग बात है। यह आवश्यकता पर आधारित नहीं है। यह लालच पर आधारित है। 'नीड' के लिए जितनी जमीन की जरूरत थी, उससे ज्यादा जमीन सरकार के संस्थाओं के पास है, चाहे वह डिफेन्स, रेलवे या और भी सरकारी जो प्रबंधन हैं, हम क्या उनको देखते नहीं है, आप रेल के किनारे दो किलोमीटर जमीन कॉरिडोर के नाम पर लेना चाह रहे हैं, एनक्रोचमेन्ट होगा, न। आप एनक्रोचमेन्ट को हटा रहे हैं, न। यह कानून में है, मैं सैक्शन पढ़ दूं। चैप्टर थ्री (ए) सेक्शन 10ए(1)(डी) में आप डाल रहे हैं, आपको नहीं बताया गया है, इसलिए मैं बोल रहा हूं :

[अनुवाद]

"उपयुक्त सरकार और उसके उपक्रमों द्वारा औद्योगिक गलियारा स्थापित करने की स्थिति में निर्दिष्ट रेलवे लाइन या सड़क के दोनों ओर एक किलोमीटर तक भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।"

[हिन्दी]

इसका मतलब है कि हजार स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा, अगर आप मुंबई से दिल्ली तक इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर की बात कर रहे हैं ...(व्यवधान) ऐसे कभी नहीं बनता है...(व्यवधान) यह तो ग्रीड...(व्यवधान) चूंकि, एप्रेशिएशन...(व्यवधान) आप बताइए इकोनॉमी...(व्यवधान) ऐसे नहीं बनता है।...(व्यवधान) आप क्यों बना रहे हैं?...(व्यवधान) आप उसे कानून में क्यों ला रहे हैं?...(व्यवधान) देसी और विदेशी एकाधिकारवादी पूंजीपतियों को, आपने गुजरात में अडानी को कितनी जमीन दी है? ...(व्यवधान) गुजरात मॉडल का मतलब है कि आप

पूरे देश में गुजरात की तरह किसानों की जमीन को अडानी और अंबानी को देंगे?...(व्यवधान) और फिर कहते हैं कि ऐसा नहीं बनता है। मैं साफ-साफ कह रहा हूं। यह कानून किसानों के लिए नहीं है। यह कानून जमीन के लिए नहीं है। यह कानून इस देश में चंद अपने दोस्त, अडानी जैसे दोस्तों को नीलाम करने के लिए है। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आप बारबार ऑर्डिनैंस ला रहे हैं। आपको हिम्मत नहीं है कि जनता का सामना करें और लोक तंत्र को मान कर संसद में पास करे। आप उसे ऑर्डिनैंस के रूप में ले आते हैं? एक बार ऑर्डिनैंस फेल हो रहा है, आपको लज्जा आनी चाहिए कि एक बार वह फेल होता है तो दोबारा सर झुका कर आते हैं। आप बार-बार फेल कर रहे हो, फिर भी आप सर उठा कर छाति दिखाना चाहते हैं।

आप हमारी आवाज को सदन में दबा सकते हैं लेकिन इस देश के किसानों की आवाज को आप दबा नहीं सकेंगे। आपकी प्राथमिकता क्या थी? आपकी प्राथमिकता थी - किसानों की आत्महत्या को रोकना, किसानों की फसलों की कीमत देना, किसानों के इनपुट्स के कॉस्ट को कम करना, उनके बजाय आप किसानों की जमीन को लेना चाहते हैं, लज्जा करें,...(व्यवधान)

भाषण, भ्रमण और भ्रम - एक साल में भाषण, भ्रमण और भ्रम चलता रहा और किसान आत्महत्या करते रहे।

[अनुवाद]

श्री मेकापति राजा मोहन रेड्डी (नेल्लोर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमारी पार्टी औद्योगिकीकरण, राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, थर्मल प्लांट, स्कूल, अस्पताल आदि के निर्माण के माध्यम से आधुनिक भारत के निर्माण के पक्ष में है लेकिन हम किसानों की ज़मीन जबरदस्ती लेने के विरोध में हैं। श्री जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली हमारी वाई.एस.आर. कांग्रेस पार्टी इस विधेयक के मौजूदा स्वरूप के विरुद्ध है।

हम बहु-फसल और अधिक उपजाऊ भूमि पर कब्जा करने के विरुद्ध हैं। हम किसानों की भूमि पर उनकी सहमति के बिना कब्जा करने के विरुद्ध हैं। हम सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन का अध्ययन किए बिना और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन किए बिना भूमि अधिग्रहण के भी विरुद्ध हैं।

मैं कहना चाहूंगा कि हम शेष आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी बनाने के पक्ष में हैं। हम या तो लैंड पूलिंग के विरुद्ध हैं या भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने या अधिग्रहण करने के विरुद्ध हैं। हमारे आन्ध्र प्रदेश राज्य में, उदाहरण के लिए, गुंटूर जिले में, सरकार एक नई राजधानी बनाने की योजना बना रही है, लेकिन इसे बहुत मजबूती से किया जा रहा है। किसान आंदोलन कर रहे हैं क्योंकि 32,000 एकड़ ज़बरदस्ती अधिग्रहित की गई है। किसान आंदोलन कर रहे हैं और हम वर्तमान सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह किसानों को समझाने, उनकी सहमति लेने, उन्हें उपयुक्त मुआवजे का भुगतान करने, जमीन पर कब्जा करने और एक नई और आधुनिक राजधानी बनाने का काम करे। हम इसके पक्ष में हैं। हमारी वाई.एस.आर.सी. दल इसके पक्ष में है लेकिन वे गरीब किसानों से जबरदस्ती भूमि पर कब्जा कर रहे हैं।

ऐसे कई सीमांत किसान और छोटे किसान हैं जिनके पास कुछ एकड़ या 50 सेंट भूमि भी है। वे यहां विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने के लिए दिल्ली आए थे। वे वास्तव में परेशान हैं। छोटे और सीमांत किसानों की ज़मीन जबर्दस्ती अधिग्रहण करके सरकार बहुत गलत काम कर

रही है। आस-पास विभिन्न भूमि हैं, जो सरकारी भूमि हैं। वे किसानों की भूमि के अलावा इन भूमि पर कब्जा कर सकते हैं और नई राजधानी का निर्माण कर सकते हैं लेकिन वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वे किस उद्देश्य से ऐसा कर रहे हैं। किसान बहुत संकट में हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए हम सामाजिक प्रभाव और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन किए बिना और उपयुक्त मुआवजे का भुगतान न करके किसानों की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने के विरुद्ध हैं। हमें पहले पूरा मुआवजा देकर उन्हें खुश करना चाहिए और फिर केवल औद्योगिक विकास या किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनकी भूमि पर कब्जा करना चाहिए। इसलिए हमारी पार्टी इस विधेयक के बहुत खिलाफ है, जैसा कि यह है, उसी रूप में है। पिछली बार, हमने संशोधन प्रस्तावित किए थे। इस बार भी, इसी प्रकार हमारी पार्टी इस विधेयक के खिलाफ है।

धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री तारिक अनवर (कटिहार): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में भूमि आधिग्रहण बिल जो ग्रामीण मंत्री द्वारा पेश किया गया है, मैं उसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने भी एक कहावत सुनी होगी -- 'विनाश काले विपरीत बुद्धि'। ...(व्यवधान) यह सरकार कुछ उसी रास्ते पर चल रही है। जब बुद्धि भष्ट हो जाती है तो कुछ नजर नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब आंख खुलती है कि हमसे क्या बड़ी भूल हो गई। इस सरकार का कौरपोरेट जगत से जो प्रेम है, मैं उसे समझता हूं, हम सब लोग समझते हैं। यह प्रेम इतना ऑब्वियस और खुल्लम-खुल्ला है जो दिखाई पड़ रहा है, जिसे सारा देश देख रहा है और हम उसे बेशर्मी के साथ दिखा रहे हैं। मैं ऐसा मानता था और हमारे प्रधान मंत्री बार-बार कहते हैं कि हमारे अंदर राजनीतिक सूझबूझ की कोई कमी नहीं है। लेकिन आज किसानों के बीच इस बिल या अध्यादेश को लेकर जो एक बेचैनी है, उससे हमारे प्रधान मंत्री अनजान हैं। उन्हें वह बेचैनी दिखाई नहीं पड़ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, दो दिन पहले की बात है हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा विवादित बयान दिया जिससे खुद उनकी पार्टी के अंदर एक भूचाल आ गया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 में जो बिल लाया गया था, उस बिल को भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं करना चाहिए था, वह हमारी भूल थी। उस समय विपक्ष की नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी और अरूण जेटली जी सहित भारतीय जनता पार्टी के लोगों में सूझबूझ की कमी थी। वर्ष 2013 के बिल का समर्थन करके बहुत बड़ी भूल हुई और अब सरकार उस भूल को सुधारना चाहती है, यह प्रधानमंत्री जी का बयान है।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछली बार जब वर्ष 2103 में कानून बन रहा था, उस समय स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन आज की मानीनय स्पीकर थीं। उस स्टैंडिंग कमेटी में तमाम बातों पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई। उसके बाद एक बिल बना, विपक्ष की ओर से जो भी संशोधन आया, उसे सरकार ने स्वीकार किया। बहुत दिनों के बाद पहली बार ऐसा कानून बना जिसका सभी राजनीतिक दलों ने समर्थन किया जबकि हम सभी अलग-

अलग विचाराधारा मानने वाले लोग हैं। हम पार्टी की बात कर रहे हैं, राजनीतक दल की बात कर रहे हैं, किसी व्यक्ति ने विरोध किया होगा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऐसे अवसर बहुत कम आए हैं जब तमाम दल के लोग किसी एक बिल या विचार पर सहमत होते हैं, लेकिन इस बिल पर सभी लोगों की सहमति हुई और वह बिल पास होकर कानून बना। भूमि आधिग्रहण विधेयक, 2013 अभी पूरी तरह से लागू भी नहीं हुआ था और सरकार संशोधन लेकर आ गई। अभी राहुल जी ने बताया कि देश में जो भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसमें से केवल 8% प्रोजेक्ट में ही रुकावट है क्योंकि वह विवादित जमीन है। लगभग 92% जमीन ऐसी है जिस पर कोई विवाद नहीं है। सरकार कह रही है कि हमें जमीन चाहिए, ऐसी जल्दबाजी क्यों है? किस प्रकार का दबाव है? कुछ लोगों से किए हुए वादे पूरे करने हैं या कोई पुराना कर्ज सरकार को उतारना है। आखिर किस बात की इतनी जल्दी है? अध्यादेश पर अध्यादेश लाए जा रहे हैं और बिल को पास कराने की कोशिश हो रही है। यह जल्दबाजी किसी दबाव में ही हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता है। सारे किसान संगठन चाहे वह किसी भी पार्टी या दल के हों, सभी ने इस बिल का विरोध किया है। खुद संघ परिवार में भी इस बात को लेकर आम सहमति नहीं है। मैं यहां तक कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को इस बिल का समर्थन करने की खुली छूट दे दी जाए तो आधे से भी ज्यादा लोग इसका विरोध करेंगे। जिस दिन यह बिल पास हो जाएगा, ये सांसद अपने क्षेत्र में किसानों को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। किसान इनके पीछे डंडा लेकर दौड़ेंगे। यह बात ये सांसद अच्छी तरह से समझ रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह कहां का इंसाफ है कि हमारी जमीन भी ले ली जाए और हमसे इजाजत भी न ली जाए, जरूरी सहमति भी न ली जाए। हमारे एक साथी ने ठीक कहा कि मिडिल मैन की जरूरत नहीं है। किसान और उद्योगपति, जो कारोबार करना चाहते हैं, उनके बीच में सरकार को मिडिल मैन बनने की जरूरत नहीं है, बिचौलिया बनने की जरूरत नहीं है। किसान और उद्योगपति आपस में बातचीत करके तय करेंगे कि उन्हें कैसा सौदा करना है और उसकी क्या कीमत होनी चाहिए?

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बैरन लैंड बहुत है, जिसके बारे में भी कहा गया। आज खेती की जमीन क्यों लेने की कोशिश हो रही है? सरकार यह जो प्रस्ताव लेकर आयी है, जिसमें कहा गया है कि एक ज्वाइंट पार्लियामैंट्री कमेटी बनायी जायेगी और एक बार फिर इस पर विचार-विमर्श होगा। मैं समझता हूं कि सरकार को थोड़ी सी बुद्धि आयी है और सरकार ने जो फैसला लिया है, वह सही फैसला है। एक बार फिर हम सब लोग बैठकर उस पर विचार करेंगे और सही नतीजे पर पहुंचेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आज किसान प्राकृतिक प्रकोप से कराह रहा है। आज बेमौसम बारिश और ओले से किसान की फसल बर्बाद हो चुकी है। ऐसी हालत में जब किसान कराह रहा है, तो हम यहां बैठकर, उसकी जमीन कैसे ली जाये, उसके लिए बिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कानून बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा ...(व्यवधान) उर्दू की एक कविता है। ...(व्यवधान) मैं आप सबसे इतनी ही अपील करूंगा कि ज्यादा अहंकार मत कीजिए। ...(व्यवधान) उर्दू का एक शेर है। ...(व्यवधान) मैं उर्दू का एक शेर आप सबकी नज़र कर रहा हूं। ...(व्यवधान) कीर्ति जी, आप सुन लीजिए। ...(व्यवधान) आप कांग्रेस परिवार से आते हैं। ...(व्यवधान) आपको यह शोभा नहीं देता है। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, उर्दू का एक शेर है --

खुदा जब हुस्न देता है, तो नजाकत आ ही जाती है।

यही हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं। यह भूल रहे हैं कि इन्होंने जनता से जो वायदा किया था, किसानों को अच्छे भविष्य और अच्छे दिन दिखाने की बात कही थी, वह आज पूरी नहीं हो पा रही है और उसके उलटे, उसके विपरीत आज यह फैसला ले रहे हैं, इस प्रकार का बिल ला रहे हैं। धन्यवाद।

अपराह्न 4.53 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

19वां प्रतिवेदन

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं कार्य मंत्रणा समिति का उन्नीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)… §§§§

---

§§§§* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

<u>अपराह्न 4.54 बजे</u>

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 - जारी

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमि आधिग्रहण बिल के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम सब लोग गुनगुनाते हैं कि 'मेरी देश की धरती, सोना उगले, उगले हीरा-मोती।' लेकिन आज जो भूमि आधिग्रहण का बिल आया है, उसमें सरकार की नीयत ठीक नहीं है। पहले अध्यादेश लाया गया और फिर दोबारा अध्यादेश लाया गया। अध्यादेश की सरकार जब बनती है तो लोकतंत्र की हत्या होती है, संसदीय लोकतंत्र गुलाम होता है। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि आप संवेदनशील नहीं बन सकते हैं। अन्नदाता दुखी है, आप कैसे उसे सुखी बना देंगे? जमीन हमारी पूंजी है। किसान, नौजवान, जमीन, यही हमारी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करते हैं। यही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। अर्थव्यवस्था को सुधारने में किसान अपना खून बहाता है। आदरणीय सोनिया गांधी जी यहां बैठी हुई हैं, इसी अध्यादेश के खिलाफ 14 पार्टियों ने महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां कूच किया था। उस दिन यह अहसास नहीं था कि इतनी बड़ी लड़ाई छिड़ जाएगी। महामहिम राष्ट्रपति जी के यहां यही संदेश दिया गया, हाथ जोड़ा गया। बिहार में आदरणीय लालू जी सड़कों पर आए।...(व्यवधान) आदरणीय नीतिश कुमार जी उपवास पर बैठे। क्यों बैठे? इसलिए क्योंकि किसान हरि है। कभी आदमी को चिंतन कर लेना चाहिए।...(व्यवधान) किसान इस देश का हरि है। महाभारत भी हरि ने कराई थी। यह कहा गया था-

दे दो केवल पांच ग्राम, रखो सारी धरती तमाम।

दुर्योध्यन वह भी दे न सका, आशीष समाज का पा न सका,

उलटे हरि को (यानी किसान को) बांधने चला,

जो था असाध्य, उसे साधने चला,

हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया।

अगर इस सरकार का कोई नुकसान करेगा तो भारत का किसान और नौजवान करेगा। काला कानून ला रहे हैं, वह करेगा। ...(व्यवधान) यह अनर्थ है। आपको बुरा लग सकता है।...(व्यवधान) उद्योगपतियों के लिए कानून बनाया जा रहा है। पहले जमींदार हुआ करते थे। जमींदारों की जमींदारी चली गई, अंग्रेज चले गए लेकिन अब उद्योगपतियों को पैदा किया जा रहा है।

महोदय, सामाजिक आकलन नहीं किया गया। दलित, शोषित, आदिवासी है जो दो कट्ठा, चार कट्ठा वाला है, उसका सामाजिक आकलन नहीं करेंगे। देश के लोग कहां जाएंगे? गरीब कहां जाएंगे? मांग से आधिक जमीन मांग रहे हैं। यूपीए सरकार ने पांच साल निधाररित किया था, आपने 15 साल कर दिया और कहा कि ये छोड़ देंगे। डीएम के यहां केस नहीं कर सकते हैं। किसान कोर्ट में नहीं जा सकते। इससे बढ़कर अन्याय क्या हो सकता है कि कानून के रखवाले किसानों के रखवाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी को कहा जा रहा था कि क्या टांगी जानते हैं? हम जानते हैं। कुल्हाड़ी के बारे में हम जानते हैं। आड़, मेढ़, गिड्ढी, मिट्टी, खेत, खलिहान, बगीचे में काम करने वाला बेटा यहां खड़ा हैं। यह सब जानते हैं इसलिए हम लोगों से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। आप जानते हैं आदिवासी कौन हैं। सिद्धु कान्हू को याद कीजिए, बिरसा भगवान को याद कीजिए, जिन्होंने उस समय कहा था आदिवासियों की जमीन मत लो, जमीन नहीं ली गई, अंग्रेज भी नहीं ले सके थे। क्या मां का कोई मुआवजा होता है? जमीन मां का रूप है। इसके रखवाले बनिए। उद्योगपतियों के हवाले मत कीजिए। बहुफसलीय जमीन को बचाइए। कंपनियों के लिए जमीन नहीं छीनी जानी चाहिए। आपने स्मार्ट सिटी के बारे में कहा। इसके बारे में अब पता चल रहा है। नहीं, हमें इस बार स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए, हमें इस बार गेहूं चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

भूमि अधिग्रहण करना बंद कीजिए, हम यह चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं ...(व्यवधान) कितना पानी पीते पीते उधर चले गये।...(व्यवधान) अगर हंसी आ रही है तो आपको हंसना नहीं चाहिए। इसीलिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं।...(व्यवधान) अहंकार में नहीं रहना चाहिए। अध्यादेश की सरकार नहीं होनी चाहिए। जमीन की लूट बंद करें। सारा देश लामबंद हो रहा है और माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि दुष्प्रचार चल रहा है। दुष्प्रचार नहीं, जितना भी कानून बना दीजिए लेकिन जमीन पर कानून आपका खत्म हो गया। ...(व्यवधान) कितनी बहस कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यू.पी.ए. वाले ठीक थे। उसके साथ वाले लोग भी ठीक थे। लेकिन यहां गड़बड़ है। इसमें आपका नाश होने वाला है।...(व्यवधान)

"जब तक मनुज-मनुज का सुख-भाग्य न सम होगा,

शांत न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा।"

संघर्ष कम नहीं होने वाला है। आदिवासियों की झारखंड में सरकार थी। किसी आदिवासी को आप मुख्य मंत्री बनाते।...(व्यवधान) भाई साहब बोल रहे थे।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… *(व्यवधान)*... ******

****** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : माननीय उपाध्यक्ष जी, देश की सरकार द्वारा भूमि आधिग्रहण के नाम पर अध्यादेश एक बार नहीं, दो बार और दो बार भी ऐसे समय पर जबकि पूरे देश के किसान आज त्राहि-त्राहि कर रहे हैं क्योंकि ओला-वृष्टि, आति बारिश से लेकर तमाम कारणोंवश पूरी की पूरी फसलें चौपट हो गई हैं, उसी कारण से आज देश का किसान त्राहि त्राहि कर रहा है।

भारत सरकार को इस समय किसानों को मदद करने की जरूरत थी। आश्वासन पचासों बार दिये गये लेकिन मदद के नाम पर आज तक एक रुपया भारत सरकार ने खर्च नहीं किया।...(व्यवधान) एक रुपया भी खर्च नहीं किया है, नहीं किया है।...(व्यवधान) उत्तर प्रदेश की सरकार ने साढ़े सात हजार करोड़ रुपये की मांग की लेकिन सरकार ने एक रुपया आज तक नहीं दिया है।...(व्यवधान) देश को क्यों गुमराह कर रहे हो?...(व्यवधान) बजाए इसके मदद करते, बजाए इसके किसानों के आंसू पौंछते, ये लगातार किसानों पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। राहुल गांधी जी ने ठीक कहा था। मैं राहुल गांधी जी की बात से सहमत हूं।...(व्यवधान) किसानों के ऊपर लगातार कुल्हाड़ी चला रहे हो। एक अध्यादेश राज्य सभा में पास नहीं करा पाए।...(व्यवधान) अगर नेता जी बोलेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा।...(व्यवधान) नेता जी, पार्टी की तरफ से आप बोलिए। मैं बैठ जाता हूं। धन्यवाद।

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष जी ने हमें बोलने का मौका दिया है। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब भी ये भूमि अधिग्रहण वाला बिल आया था, हमने उसका विरोध किया था। उस समय कम से कम माननीय मंत्री जी ने यह तो कहा कि मुलायम सिंह जी ने गंभीर सवाल उठाया है और फिर उन्होंने पास नहीं कराया। लेकिन गलती उन्होंने यही की। उनको विदड्रॉ कर लेना चाहिए था, वापस कर लेना चाहिए था। अब जो कांग्रेस का लाया हुआ बिल था, उसे आप ले आए। अब आडवाणी साहब कहेंगे कि अच्छी तरह सुनाते हो। यह विषय बहुत गंभीर है। स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं और विकास के बहुत काम हो रहे हैं।

जमीन कम होती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है। पहले जब यहां संकट आता था तो अस्ट्रेलिया, अमरीका अन्न दे देता था लेकिन अब यह संकट अस्ट्रेलिया, अमरीका में हो गया है। अगर आज ज्यादा से ज्यादा भूमि आधिग्रहण करना है तो ऊसर, बीहड़, बंजर जमीन क्यों नहीं देते हैं? किसानों की जमीन का आप आधिग्रहण मत कीजिए। हमने किसानों की 65 हजार एकड़ जमीन ली। आप पता लगा सकते हैं कि लखनऊ और कानपुर के बीच की ऊसर जमीन, हरदोई और लखनऊ के बीच की ऊसर जमीन, बाराबंकी की ऊसर जमीन ली। हमने किसानों की जमीन नहीं ली है। अगर किसानों की जमीन ली भी है तो किसानों से सीधी बात करके उनकी जमीन ली है। अगर किसान की मर्जी है तो उसने जमीन दी है और यदि किसान की मर्जी नहीं है तो उसने जमीन नहीं दी है। हमारा देश कृषि आधारित है और कृषि प्रधान देश है। अगर आज किसानों पर कोई हमला कर रहा है तो आपकी सरकार कर रही है। किसान अगर आज कमजोर हो रहा है तो इसका मतलब देश कमजोर हो रहा है। जिस देश में किसान मजबूत हैं, वही देश आज मजबूत है।

आप अमरीका का इतिहास पढ़िए। अमरीका ने सबसे पहले किसानों पर ध्यान दिया। मैं यूरोप में गया था। आप वहां के खेत देखिए। आप उनकी फसल देखिए। मैंने वहां उनसे बातचीत की। यूरोप में पहले किसानों को आगे बढ़ाया गया। जो देश किसानों को आगे बढ़ाएगा, वही शक्तिशाली होगा। अब चीन हमारा पड़ोसी देश किसानों के द्वारा पैदावार बढ़ाने का काम कर रहा है और आप किसानों को बरबाद करने के लिए खड़े हैं। मैं

आपसे कहना चाहता हूं कि मैं विरोध में नहीं हूं, आप कीजिए। लेकिन पता चलना चाहिए कि कौन है उद्योगपति, कितने लोगों को रोजगार देगा और क्या-क्या काम कराएगा? अगर सदन को इन बातों का पता चलेगा तो हम भी देश के विकास के लिए इस बिल से सहमत हो जाएंगे।...(व्यवधान) किसानों को बरबाद करके देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जहां-जहां किसान आगे बढ़ा है, वही देश मजबूत हुआ है। अडवाणी साहब, आप इस विषय में हस्तक्षेप कीजिए। आप अपनी राय दीजिए और मीटिंग बुलाकर इस प्रस्ताव को पास मत होने दीजिए। आप सभी पार्टियों के नेताओं को बुला लीजिए। हम इस बात से सहमत हैं कि आपकी सभी नेताओं से बातचीत होनी चाहिए। अगर आपको लगे तो इस बिल को पास करवा दीजिए वरना वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ है। मैं आपको कह रहा हूं कि अगर किसानों पर हाथ डाला तो कल आप यहां आ जाएंगे। पहले ये लोग ही बिल लाए थे, लेकिन अब इसके विरोध में बोलने लगे हैं। ये लोग बिल लाए थे लेकिन अब ये दोषी नहीं ठहराए जाएंगे। अब आप दोषी माने जाएंगे क्योंकि आप सत्ता में हैं। मैं आपको लिख कर दे रहा हूं और आप रिकार्ड में रख लीजिए कि इस बिल को पास करोगे तो आप भी यहीं आ जाओगे।

उपाध्यक्ष महोदय, सरकार से हमारी अपील है कि इस बिल को वापिस लीजिए। हम लोग इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हैं। क्या हमने इंडस्ट्री नहीं लगाई है? हमने अगर किसानों की जमीन ली थी, तो किसानों से बातचीत करके ली है। डीएम और किसान एक साथ बैठे और उन्होंने मिल कर अपना फैसला किया है तथा उचित कीमत मांग ली। किसानों को उचित कीमत दी गई। आप सीधे किसानों से बात कीजिए। उद्योगपति से पता चलना चाहिए कि क्या-क्या काम करेगा, कहां-कहां काम करेगा। हमने सुझाव दिया है कि आगरा से बांदा तक बीहड़ है। ऊसर, बंजर जितनी जमीन है, उसे आधिग्रहण कीजिए। हमने 65 हजार एकड़ जमीन खेती लायक बनाई है। लखनऊ से लेकर हरदोई तक देखें, औरइया से लेकर कानपुर और बाराबंकी में दिखा देंगे कि ऊसर जमीन को हमने खेती लायक बनाया है और वहां फसल खड़ी है, वहां पैदावार हो रही है।

[अनुवाद]

†††††***श्री रंजीत सिंह ब्रह्मपुरा (खडूर साहिब):** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015" पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। इस विधेयक के संबंध में पिछले सत्र में भी मैंने अपने विचार व्यक्त किए थे। मैंने इस विधेयक का विरोध किया था क्योंकि विधेयक में गरीब किसान की भूमि के अर्जन के समय उसकी सहमति लेने की कोई बात नहीं कही गयी है।

महोदय, किसान अपनी भूमि का मालिक है। यदि उसकी भूमि के अर्जन के समय उसकी सहमति नहीं ली जाती तो यह सरासर अन्याय होगा। किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इससे सरकार के विरुद्ध किसानों में आक्रोश पैदा हो सकता है।

महोदय, सत्ताधारी दल शिरोमणि अकाली दल ने विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों जैसे स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के निर्माण आदि के लिए पंजाब में किसानों की भूमि का अर्जन भी किया है। हालांकि, हमें इस मुद्दे पर कभी किसी समस्या या विरोध का सामना नहीं करना पड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास भूमि-अर्जन की बहुत लाभकारी और किसान हितैषी नीति है। यह किसानों को अधिग्रहण के उद्देश्य से सरकार को अधिक भूमि प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है। पंजाब में इस मुद्दे पर कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ है। इसलिए, सरकार को संबंधित किसान के भूमि अर्जन से पहले उसकी सहमति लेनी चाहिए।

इस विधेयक में कुछ बिंदु अच्छे और सराहनीय हैं। हालांकि, कुछ अन्य मुद्दे हैं जिन पर पुनर्विचार की आवश्यकता है। इसलिए, मैं इस सभा से आग्रह करता हूँ कि इस विधेयक को संयुक्त समिति को गहन विचार के लिए भेजा जाए। धन्यवाद।

†††††* मूलत: पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपान्तरण।

श्री ई.टी.मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं सात प्रासंगिक कारणों के आधार पर इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

पहला कारण यह है कि सरकार संसदीय प्रणाली के अस्तित्व को कमजोर कर रही है और "अध्यादेश राज" का आनंद ले रही है। दूसरा कारण यह है कि एक तरफ आप कॉरपोरेट्स को भव्य स्वागत रिसेप्शन दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप औद्योगिक श्रमिकों और किसानों के लिए गहरी और तेजी से खाई खोद रहे हैं। तीसरा कारण यह है कि आप पर्यावरणीय प्रभावों और सामाजिक प्रभावों के बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं हैं। चौथा कारण यह है कि आप इस पर चुप हैं कि किसानों को उनकी आजीविका के नुकसान पर आप क्या वास्तविक मुआवजा दे रहे हैं। पाँचवाँ कारण यह है कि आप स्थानीय निकायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से पूरी तरह दूर रख रहे हैं। छठा कारण यह है कि यदि भूमि का उपयोग अधिग्रहण के इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है, तो भूमि को उसके वास्तविक मालिकों को लौटाने के संबंध में खंड अस्पष्ट और अनिश्चित है। सातवां कारण यह है कि यह विधेयक राष्ट्र की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं बल्कि गरीब किसानों की ज़मीन हड़पने वालों के लालच को पूरा करने के लिए है।

इन प्रासंगिक कारणों के साथ, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा) : उपाध्यक्ष महोदय, भूमि अर्जन, पुनर्वास, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार संशोधन विधेयक, 2015 का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

महोदय, सबसे पहले वर्ष 2013 में यूपीए सरकार द्वारा जो भूमि आधिग्रहण बिल लाया गया था, उसमें यह व्यवस्था बनाई गयी थी कि अगर किसी जमीन के आधिग्रहण को कागजों पर पांच साल हो गये है, सरकार के पास जमीन का कब्जा नहीं है और मुआवजा नहीं दिया गया है तो मूल मालिक जमीन को वापस मांग सकता है, लेकिन अब सरकार ने इसमें यह प्रावधान जोड़ दिया है कि अगर मामला अदालत में चला गया है तो मुकदमेबाजी के समय को पांच वर्ष की मियाद में नहीं जोड़ा जाएगा। सरकार ने जमीन पर पांच साल के भीतर काम शुरू करने की शर्त भी हटा दी है। पुराने बिल के तहत जमीन लेने के बाद कंपनियों को पांच साल के भीतर उस पर काम शुरू करना जरूरी था। लेकिन अब यह पाबंदी हटा ली गई है और इसके साथ ही पुराने बिल में यह व्यवस्था भी थी कि पांच साल में बराबर काम शुरू न होने पर जमीन मालिक उस पर दावा पेश कर सकता है। पुराने बिल के मुताबिक इसमें सम्बन्धित व्यक्ति को मिलने वाला मुआवजा उसके खाते में नहीं भी गया हो और सरकार ने अदालत में या सरकारी खजाने में मुआवजा जमा करा दिया गया है तो उसे मुआवजा माना जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब एनडीए सरकार बनी तो उसने कानून की अनदेखी की है, क्योंकि कानून तोड़ने वाले आधिकारियों के खिलाफ मुकदमा करने के लिए जो प्रावधान था, उसमें भी ढील दे दी गई है। बिल में नए बदलाव के मुताबिक किसी भी अफसर कार्रवाई के लिए अब सम्बन्धित विभाग की अनुमति लेना जरूरी होगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा 2013 के बिल में एक और महत्वपूर्ण प्रावधान था - लोगों की सहमति। इसके तहत सरकार और निजी कम्पनीज को साझा प्रोजेक्ट में 80 फीसदी जमीन मालिकों की सहमति जरूरी थी। अगर परियोजना पूरी तरह सरकारी है तो उसके लिए 70 प्रतिशत मालिकों की मंजूरी थी, लेकिन इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया है।

केन्द्र सरकार ने जिस तरह से नया अध्यादेश जारी किया है, उससे साफ जाहिर है कि जमीन मालिक चाहे या न चाहे, भूमि आधिग्रहण होकर ही रहेगा। अगर वह मुआवजा लेने से इनकार करता है तो उसे सरकारी खजाने में जमा करके जमीन मालिक की भूमि का अधिग्रहण कर लिया जाएगा। इस तरीके के अध्यादेश लाना और लगातार एक नहीं दो-दो बार लाना, जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि पूरे देश के किसान देख रहे हैं कि यह देश हित में नहीं है। सत्ता पक्ष के भी कई लोगों ने इसका विरोध किया है। ऐसी परिस्थिति में मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध होगा कि इस बिल को वापस लें और माननीय मुलायम सिंह जी तथा राहुल जी ने जो कहा है, उस पर ध्यान दें।

आज बिल इस बात पर लाने की जरूरत थी कि किसानों को खेत में कैसे पानी मिले। आज बिल लाने की जरूरत थी कि किसानों और गरीबों के लिए कैसे पक्के मकान बनाए जाएं। इन चीजों के लिए बिल लाया जाता। अगर गांव नहीं रहेंगे तो देश भी नहीं बचेगा। हम तमाम सांसद, 80 प्रतिशत लोग, किसानों के बच्चे हैं। अगर हि किसान के हित में काम नहीं करेंगे तो जनता इसे विश्वास नहीं करेगी। एनडीए सरकार के पास जो अहम् आया है, इसे बिहार की धरती ने उतार दिया है और हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने मुख्य मंत्री रहते हुए एक दिन का उपवास रखा, माननीय लालू प्रसाद ने उपवास रखा।

हम मंत्री जी से विनती करेंगे कि इस बिल को वापस लिया जाए।

श्री राजू शेट्टी (हातकणंगले) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस भूमि अधिग्रहण बिल का, जो सदन में पेश किया गया है, विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मुझे किसानों की जमीन बचानी है। हमारे प्रधान मंत्री जी जब लोक सभा चुनावों के दौरान देश में घूमते थे तो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर किसानों के सामने भाषण करते थे। वह कहते थे कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक किसानों को उनकी फसल के लागत मूल्य का 50 प्रतिशत मुनाफा देकर समर्थन मूल्य देंगे। उन्होंने तब यह जो आश्वासन दिया था वह आज तक पूरा नहीं हुआ है और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है कि हम 50 प्रतिशत मुनाफा किसानों को नहीं दे सकते।

मुझे इस सदन से और सरकार से यह जानना है कि इस देश के किसानों ने बड़ी अपेक्षा से सरकार को वोट दिया था और इस सरकार को चुनकर यहां भेजा है। अगर हम लागत मूल्य का 50 प्रतिशत मुनाफा समर्थन मूल्य में नहीं दे सकते तो उसका कारण यह है कि आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उस पर उनकी जमीन छीनने की साजिश यहां हो रही है। जंतर-मंतर पर खुदकुशी करने वाले शहीद गजेन्द्र सिंह की तस्वीर चिल्ला-चिल्ला कर कह रही है कि हमारे खेत में हमें काम करने दो। कई पीढ़ियों से हम अपने खेतों में काम कर रहे हैं और पूरे देश के लिए अनाज की जरूरत पूरी कर रहे हैं। हमने किसी का कर्ज नहीं डुबाया है, हमने किसी को नहीं फंसाया है, हमने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है, फिर हमारी जमीन लेने के लिए हमारे साथ विश्वासघात क्यों हो रहा है, यह बात गांव-गांव का किसान चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा है।

इस देश के किसान ने विकास के नाम पर, देश के हित में जमीन न देने की बात कभी नहीं कही है। मैं इस सदन में बड़े गर्व से इस बात को कहना चाहता हूं कि 18 अप्रैल, 1951 को जब विनोबा भावे जी ने भू-दान मूवमेंट शुरू किया था। वह हर एक किसान के पास जाते थे और कहते थे कि इस देश में कई ऐसे किसान हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, मुझे अपना एक भाई समझ कर एक हिस्सा मुझे दे दो, मैं गरीब किसानों को वह जमीन बांटने वाला हूं। 37 लाख एकड़ जमीन किसानों ने मुफ्त में विनोबा जी को दी थी। इसका मतलब यह नहीं है कि अच्छे काम के लिए, विकास के काम के लिए किसान जमीन देने के लिए न कहता है। आठ लाख

किसानों को विनोबा जी ने मुफ्त में जमीन बांटी थी। अनेक समाज सुधारक ऐसे हैं, जिन्होंने किसानों से जमीन लेकर कई बड़े अस्पताल खड़े किए हैं, कई स्कूल खड़े किए हैं। उनको किसान जमीन देते हैं। आज किसान देख रहा है कि उनकी जमीन सरकार अलग-अलग कानून बना कर छीन लेती है। उसको लाख-दो लाख रुपये देती है और वही जमीन करोड़ों रुपये में इंडस्ट्रीयल और उद्योगपति बेचते हैं, तब किसानों को लगता है कि हम ठगा गया है, हमारे साथ विश्वासघात हुआ है। इसलिए किसान इसका विरोध कर रहा है। अगर आपको जमीन चाहिए तो आप किसानों को समझाइए, उनकी राय लीजिए, उनकी कनसेंट लीजिए। अगर किसानों को लगेगा कि मेरी जमीन में विकास का काम होगा, मेरी जमीन पर गरीबों का कल्याण होने वाला है तो किसान हंस कर अपनी जमीन दे देगा। लेकिन जब उसको पता चलता है कि मेरी जमीन उद्योगपतियों के लिए ली जा रही है, मेरी जमीन लेकर बीओटी के तहत सड़क बनाने वाले हैं और वहां से टोल वसुला जाएगा। उससे बाकी सब लोग मालामाल होने वाले हैं और मैं अकेला कंगाल होने वाला हूं। इसलिए किसान इसका विरोध कर रहा है। अगर आपको सड़क के लिए जमीन चाहिए तो टोल में किसानों का हिस्सा रखिए। इस देश की जीडीपी में उद्योगों का हिस्सा 21 प्रतिशत है, जबकि कृषि का हिस्सा 13.5 प्रतिशत है। लेकिन कृषि क्षेत्र इस देश के 50 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है और उद्योग क्षेत्र इस देश के 20 प्रतिशत लोगों को रोजगार देता है। इसका मतलब यह है कि सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार हम किसान देते हैं। बेरोजगारों को काम देने का काम हम करते हैं, भूखों की भूख मिटाने का काम हम किसान करते हैं तो हमारे साथ अन्याय क्यों? हमारी जमीन छीनने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। यदि पांच साल तक कोई प्रोजेक्ट इम्पलीमेंट नहीं हुआ तो जमीन किसानों को क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि यह एक बड़ी साजिश है, किसानों की जमीन छीनने की बड़ी साजिश है। मैं यहां तो विरोध कर ही रहा हूं, लेकिन मैं इस सदन को चेतावनी देता हूं, सब को चेतावनी देता हूं कि अगर बहुमत के जोर पर यह बिल पारित हो गया तो सड़क पर उतरेंगे, खून की नदियां बहेंगी और किसानों की जमीन बचाएंगे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

एडवोकेट जोएस जॉर्ज (इडुक्की): धन्यवाद उप सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदय, जहां तक किसानों की बात है, उनके लिए भूमि ही सब कुछ है। उनके लिए भूमि उनकी आजीविका कमाने का एकमात्र साधन नहीं है। यह उसके लिए एक संपत्ति है। केवल उसके लिए ही नहीं, यह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक परिसंपत्ति है। अगर हम उससे ज़मीन हड़प लें, तो वह परिसंपत्तिहीन हो जाएगा और आने वाली पीढ़ियां भी परिसंपत्तिहीन हो जाएगीं। अत: इस संशोधन के द्वारा सरकार ने किसान से भूमि लेने से पहले उससे सहमति प्राप्त करने के प्रावधान को छीन लिया है। सामाजिक प्रभाव आकलन का प्रावधान भी अधिनियम के माध्यम से छीन लिया जाएगा।

महोदय, इस प्रावधान के द्वारा लोगों का अधिकार छीना जा रहा है। मेरा मानना है कि हम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए चुने गए हैं। लेकिन यदि यह संशोधन विधेयक यहां पारित किया जाता है, तो यह एक नरसंहार होगा; यह गरीब किसानों और कृषि प्रधान लोगों के अधिकारों का हनन होगा। तो, इस संशोधन विधेयक का उद्देश्य क्या है? यदि संशोधन विधेयक की धारा 10क को देखें, विशेष रूप से खंड (ग) (घ) और (ङ) तो इसमें कहा गया है कि हम औद्योगिक गलियारों का निर्माण कर सकते हैं। परंतु क्या उसके लिए हम गरीब किसानों की ज़मीन हड़प सकते हैं। निजी-सार्वजनिक भागीदारी के तहत भी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए, हम गरीब किसानों की भूमि को उनकी सहमति के बिना और किसी सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन के बिना हड़प सकते हैं। यदि बिना किसी सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन के गरीब किसानों से ज़मीन हड़पी जाती है, तो लोग अपने आवासों से विस्थापित हो जाएंगे। वे जड़हीन हो जाएंगे। वे शरणार्थी बन जाएंगे। इसलिए, जहां तक इन सभी सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययनों का संबंध है, किसानों के लिए एक उचित पुनर्वास कार्यक्रम होना चाहिए। उस उचित पुनर्वास पैकेज के बिना किसानों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकती है।

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

एडवोकेट जॉइस जॉर्जः मैं बस समाप्त कर रहा हूँ।

हमने दोनों सदन में उचित विचार-विमर्श करने के बाद 2013 में इस अधिनियम को पारित किया था। हमने स्थायी समिति में उचित विचार-विमर्श किया और उसके बाद हमने विधेयक पारित किया। अब, सरकार पूरी संसदीय प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए, बिना किसी उचित विचार-विमर्श के और स्थायी समिति में उचित विचार-विमर्श के इन सभी संशोधनों को पारित करने की जल्दी में क्यों है? इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह विधेयक को विस्तृत विचार-विमर्श के लिए संसदीय स्थायी समिति को भेजे और फिर हम विधेयक को पारित कर सकते हैं। धन्यवाद, महोदय।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं इस बिल के विरोध में खड़ा हुआ हूँ। पूर्व में भी इस पर चर्चा हुई थी और आश्चर्य की बात है कि अगर प्रधान मंत्री जी, जो देश भर में मन की बात कर रहे हैं, अगर अपनी पार्टी के सांसदों की आत्मा और मन की बात को भी सुनेंगे तो वह विरोध स्पष्ट रूप से सामने आ जाएगा। ...(व्यवधान) केवल भाजपा के अंदर ही नहीं, बल्कि सहभागी दलों के अंदर भी वह विरोध है। आज शिरोमणि अकाली दल के सांसदों ने बोला, शिवसेना के सांसदों ने भी बोला, अनेक पार्टियों के सांसदों ने बोला और स्वयं शिरोमणि अकाली दल के सांसद नरेश गुजराल ने एक वक्तव्य में कहा कि हमारी सरकार के एलाइंस के विचार-विमर्श की भी सुध-बुध नहीं रखी जाती है, दो महीने से एनडीए की बैठक नहीं हुई है। इस सरकार में निर्णय लेने की प्रक्रिया का पूरी तरह से एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रीयकरण हो चुका है। जहां तक भूमि आधिग्रहण की बात है, अपना मत देने के लिए, उस बिल को यहां पेश करने के पहले, हमें केवल दो घंटे दिए गए थे। दूसरी तरफ इस पार्टी के ही सदस्य अरूण शौरी जी ने कहा कि भाजपा ने पूर्व के लैण्ड बिल को सपोर्ट किया था और उन्होंने कहा है, 'अहंकार मोदी सरकार की सफलता का कारण नहीं बन सकता। सत्ता के अहंकार की तुलना में विनम्रता अधिक विधेयकों को पारित कराएगी।" हमें अहंकार को त्यागना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे तो बड़ा आश्चर्य है कि इस बिल से संबंधित ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के ऊपर ही इस सरकार को भरोसा नहीं है। दिसंबर, 2014 में पहले अध्यादेश के ऊपर जब राष्ट्रपति महोदय प्रश्न करना चाहते थे तो जब सरकार से बोला गया कि अपने मंत्रियों को भेजो तो राजनाथ सिंह जी गए, अरूण जेटली जी गए, गौड़ा जी गए लेकिन उस विभाग के मंत्री को नहीं भेजा गया। जब दूसरी बार अध्यादेश रखा गया और टीवी और चैनलों पर रक्षात्मक आभियान की शुरूआत की गई तो उस रक्षात्मक आभियान का चेहरा उस विभाग के मंत्री को नहीं रखा गया, लेकिन राजनाथ सिंह जी और गडकरी जी को रखा गया। सरकार के बारे में जितना भी हम कहें, कम होगा। उपाध्यक्ष महोदय, किसान अपने आपको आज लावारिस समझ रहा है। समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, बोनस की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, खाद नहीं मिल रही है, लाठी मिल रही है, मुआवज़ा की राशि नहीं मिल रही है। ...(व्यवधान) जैसे अभी मेरे भाई धमेंद्र कह रहे थे कि एक भी राज्य को ...(व्यवधान)

सुन लो, सुनने की क्षमता रखो भईया, दस साल हमने भी सुना है। ...(व्यवधान) उत्तेजित मत होइए। ...(व्यवधान) अपनी तरफ से शालीनता का परिचय दो। ...(व्यवधान) खाद नहीं मिला, लेकिन लाठियां मिलीं, मुआवज़ा नहीं मिला। अब किसान की एक ही चीज़ है, उनकी एक ही अमानत है। ...(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कहा न कि अहंकार त्याग करना पड़ेगा। इस देश में, हमारी संस्कृति में हमे सिखाया जाता है कि शालीनता के साथ सबकी बात सुनी जानी चाहिए। ...(व्यवधान) पर जिस तरीके से ये परिचय दे रहे हैं, भारत की संस्कृति की बात करते हैं और उसी की अवहेलना करना भाजपा के सांसद जानते हैं। ...(व्यवधान)

बिधूड़ी जी, आप कितना भी उत्तेजित हो, आपका स्वागत है।...(व्यवधान) आपका स्वागत है।...(व्यवधान) और एकमात्र उनकी अमानत जो रह गई थी उनकी जमीन, वह भी उनकी इच्छा के अनुसार नहीं, उनकी सहमति के बिना आज यह सरकार लेना चाहती है। पाँच हजार किसानों ने आत्महत्या की है और भाजपा के हरियाणा के कृषि मंत्री ओ.पी. धनकर जी क्या कहते हैं कि किसान कायर है और सरकार ऐसे कायरों के साथ खड़ी नहीं होगी।...(व्यवधान) गड़करी जी क्या कहते हैं कि किसान को सरकार और भगवान पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे भईया, क्यों इतने लाखों, करोड़ों किसानों का आभिशाप लेना चाहते हो, जैसे राहुल जी ने पिछली बार कहा था कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? अभी भूरिया जी ने कहा कि कुल्हाड़ी पैर पर नहीं मारी जाती, यह पुरानी हिन्दी की कहावत है, मैं आपसे बहुत नौजवान हूँ, लेकिन कुछ न कुछ आपको भी मैं प्रेषित कर सकता हूँ। प्रधानमंत्री जी हमारे, आपके नहीं हमारे, उन्होंने पेरिस देखा, बर्लिन देखा, लंदन देखा, देखा जापान को, कब हमारे प्रधानमंत्री देखेंगे इस देश के किसान को।

महोदय, यह समझ से परे है कि यह सरकार इस विधेयक को पारित करने के लिए इतनी उतावली क्यों हो रही है, इतनी मजबूर क्यों हो रही है, कौन से सूट-बूट के उद्योगपतियों का ऋण चुकाना है। इस प्रश्न का उत्तर आज देना होगा। लोकतंत्र की संवैधानिक प्रक्रिया का पूरा उल्लंघन किया गया। इस देश के इतिहास में पहली बार देखा गया, इस देश की संसद में बजट सत्र के चलते हुए एक अध्यादेश को दोबारा पेश करने के लिए राज्य सभा को पूरी तरह से स्थगित किया गया, केवल एक अध्यादेश लाने के लिए।...(व्यवधान) यह देश के इतिहास

में कभी नहीं हुआ है, जो इस बार हुआ है। कांग्रेस ने कभी भी, यूपीए सरकार ने, हम अध्यादेश जरूर लेकर आए हैं, नायडू जी ने हमें सुनाया है, लेकिन जो अध्यादेश हम लेकर आए हैं, उसे संसद के सामने हमने रखा है और संसद और सदन का विश्वास जीतकर उस अध्यादेश को हमने पारित किया है, दोबारा किसी अध्यादेश को लाने की जरूरत हमें नहीं पड़ी है।...(व्यवधान) आप सम्बल रखिए।...(व्यवधान) आप सम्बल रखिए, वैंकैय्या नायडू जी अभी जवाब देंगे, बीरेन्द्र सिंह जी जवाब देंगे, आप सम्बल रखिए।...(व्यवधान) कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसा कार्य नहीं किया है कि जब हम विपक्ष में बैठे हों, किसी विधेयक का हमने समर्थन किया और जब हम सरकार में आए तो उस विधेयक की आत्मा निकाल दी, हड्डी निकाल दी, पसली निकाल दी और रद्दी की टोकरी में हमने फाड़कर फेंक दिया, जो आज आप उदाहरण बनाकर यहाँ पेश कर रहे हो। ये दोनों इस सरकार के प्रमाण है, इनके चरित्र के, इनकी नीयत के। जहाँ तक दिखावटी संशोधनों की बात की गई, असली विवाद तो अध्याय 3(ए) है, सामाजिक प्रभाव आकलन का, किसान की सहमति लेने का, बहुफसली जमीन का आधिग्रहण न होने का, इस विषय पर अगर संशोधन आप लाना चाहते थे तो अध्याय 3(ए) को पूरी तरह से हटाना था, तब किसान के साथ इन्साफ होता, इन संशोधनों के आधार पर नहीं। क्या संशोधन किए हैं आपने, आज संसद के अन्दर बात की जाती है कि जमीन, जमीन, जमीन की बात। राहुल जी ने अभी कहा कि एसईजेड में जो जमीन दी गई है, उसका केवल 40 प्रतिशत इस्तेमाल हुआ है।...(व्यवधान) देश में जितने प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, केवल 8 प्रतिशत जमीन के मामले के आधार पर अटके हुए हैं।...(व्यवधान) पिछले दिनों अखबार में आर्टिकल आया था कि पाँच राज्यों के पास आज उनके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशंस में 90 हजार हेक्टेअर की भूमि रखी हुई है तो फिर कौन सी जमीन का आधिग्रहण करने की जरूरत है।...(व्यवधान) जैसा आज मेरे भाई जय प्रकाश नारायण यादव जी और तारिक भाई ने कहा कि हमारे देश में बीहड़ जमीन बहुत है, मेरे क्षेत्र में है, चम्बल घाटी में बीहड़ जमीन है, उसमें से रेलवे ट्रैक निकलता है, हाइवे निकलता है, आप उसका आधिग्रहण करो और वहाँ कारखाना लगाओ। किसान की जमीन, बहुफसली जमीन आपको लेने का क्या हक होता है, आज इसका देश का किसान आपसे उत्तर चाहता है।

जहाँ तक संशोधनों की बात की जाए, औद्योगिक क्षेत्रफल के दोनों तरफ एक किलोमीटर भूमि का आप आधिग्रहण करने वाले हो। इसका मतलब कि सामाजिक प्रभाव आकलन जो हम लेकर आए थे, जहाँ न्यूनतम भूमि का आधिग्रहण होना चाहिए, उसे तो आपने रद्दी की टोकरी में फाड़कर फेंक दिया। जहाँ तक धारा 31 की बात है, जहाँ आपने कहा है कि खेत श्रमिकों को आप रोजगार देंगे, यह भ्रामक और बनावटी है, क्योंकि 2013 के विधेयक में हमने पारित किया था कि केवल श्रमिकों को नहीं, लेकिन भूमिहीन व्यक्तियों को भी न्याय के रूप में देना पड़ेगा, यह कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार की नीति है।

उपाध्यक्ष महोदय, विश्व के किसी भी देश में उनके प्रधान मंत्री की आवाज़ उनकी बुनियाद होती है, उनकी ज़ुबान होती है। हमें सिखाया जाता है - 'सच बोलो, सच के सिवा कुछ मत बोलो।' लेकिन, आज मुझे आश्चर्य है कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने रेडियो के अपने टॉक-शो पर अर्द्धसत्य बोला है। यह कैसी 'मन की बात' है, जब पॉकेट में किसान के साथ ... ‡‡‡‡‡*है?

महोदय, आज यह स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। प्रधान मंत्री जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 का विधेयक जल्दबाज़ी में पारित किया गया, इसलिए उसमें त्रुटियां थीं, जो हम ठीक कर रहे हैं। इसमें दो साल लगे। चौदह पॉलिटीकल पार्टीज़ के साथ हमने चर्चा की। आपके नेताओं के साथ हमने चर्चा की। स्थायी समिति की सभापति हमारी लोक सभा अध्यक्षा सुमित्रा महाजन जी थीं। उस कमेटी के सुझावों को हमने लिया। सुषमा स्वराज जी के बारह सुझावों को हमने लिया। राजनाथ सिंह जी, हुक्मदेव नारायण यादव जी, विनय कटियार जी ने उस समय कहा था कि इसमें 'सामाजिक प्रभाव आकलन' होना ही चाहिए और इसके अलावा 'इनवायरनमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट' भी होना चाहिए। पर, अब सभी लोग यू-टर्न कर रहे हैं। यह आश्चर्य की बात है कि अगर इस पर दो सालों तक विचार-विमर्श करके, सदन की प्रक्रिया को फॉलो करके कानून बनाना जल्दबाज़ी है तो आप चार महीने में जो करके दिखा रहे हैं, वह क्या है? क्या यह किसानों के साथ दिन-दहाड़े लूट नहीं है, संसद की कार्य प्रणाली पर काला धब्बा नहीं है, यह आज हम आपसे पूछना चाहते हैं। अगर उस

---

‡‡‡‡‡* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया है।

समय आपने इसमें कुछ कमियां देखी होतीं तो फिर आपने उस समय इस बिल को पारित क्यों किया? जैसे राहुल जी ने कहा आपने उस समय टेबल क्यों थपथपाया और हमारे मंत्रियों की प्रशंसा उस समय आपने क्यों की? इसका जवाब आपको देश के किसानों को देना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं बताता हूं कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उस समय चाहिए था इन्हें किसानों का वोट, और अब ये लगाना चाहते हैं किसान को चोट। यह आज इनकी स्थिति हो चुकी है। इन्होंने कहा कि किसानों की भूमि पर कारखाना खोलकर हम उन्हें रोज़गार देंगे। भूमि किसानों की है और आप उनकी सहमति के बिना उनकी ज़मीन लेंगे और क्या आप थाली में पेश करके उसे उद्योगपतियों को तोहफे के रूप में देंगे? आप रेडियो पर 'मन की बात' कार्यक्रम में कहते हैं कि आपके बच्चों को उन कारखानों में नौकर बनाया जाएगा। जो व्यक्ति स्वाभिमान रखता है, जैसे अभी हमारे शिरोमणि अकाल दल और दूसरे दलों के माननीय सदस्यों ने कहा कि किसान अपना स्वाभिमान रखता है, क्या उसके बच्चों को आप इस देश में नौकर बनाना चाहते हैं? इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती।...(व्यवधान) आज मैं एक और बात कहना चाहता हूं कि इस विषय पर आपने नारा दिया - 'हम देने आए हैं, लेने के लिए नहीं।' यह आपका नारा बिल्कुल ठीक है। लेकिन, यह नारा किसानों के लिए नहीं है, बल्कि यह नारा उद्योगपतियों के लिए है कि हम देने आए हैं, लेने के लिए नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय,कुछ मामलों पर प्रधान मंत्री जी ने कहा कि एस.आई.ए.-सामाजिक प्रभार आंकलन हटाना ही होगा,नहीं तो किसान बर्बाद होगा। छः महीने की समय सीमा दी गयी थी। आप कहते हैं - मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। पर, आप उस छः महीने की अवधि का पालन नहीं कर पाते हैं। विश्व बैंक आपको कहता है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए हम आपको दस हजार करोड़ रुपये देंगे, पर उसमें आपको एस.आई.ए. और ई.आई.ए. रखना पड़ेगा। आपने उनका कहना मान लिया और पूरे देश के पन्द्रह राजनीतिक दलों के सांसद आपसे गुहार कर, मांग कर ,कह रहे हैं कि यह किसान विरोधी बिल है तो आप हमारे कहने पर एस.आई.ए. और ई.आई.ए. की मांग नहीं मानते हैं, लेकिन विदेशी बैंक के अफसरों द्वारा कहने पर आप इसे मान लेते हैं।

महोदय, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि किसान हमारी साख है, हमारा अन्नदाता है। उनके हितों की सुरक्षा करना हमारा केवल दायित्व ही नहीं है, बल्कि यह कांग्रेस पार्टी का धर्म है। संसद से सड़क तक और सड़क से संसद तक हम इसके लिए लड़ते रहेंगे। आज प्रश्न है कि क्या आप देश की आवाज़ के साथ रहना चाहते हैं या आप अपने हठ के आधार पर खड़ा रहना चाहते हैं? क्या एक व्यक्ति का हठ चलेगा या 65 करोड़ किसानों का सच चलेगा? बारी आपकी है।

श्री असादुद्दीन ओवैसी (हैदराबाद) : सर, इस कानून के खिलाफ़ हमारी पार्टी और बहुत-सी पार्टियां हैं, मग़र यह अज़ीब बात है कि एक 'स्वदेशी जागरण मंच' है, जो इस क़ानून के ख़िलाफ आवाज़ उठा रहा है।...(व्यवधान)

...(व्यवधान) अच्छा, क्या वह भी आपके साथ है?...(व्यवधान) हमें यह नहीं मालूम था कि स्वदेशी जागरण के साथ वह भी आपके साथ आ गये।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, सांसदों के विरूद्ध...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : सर, मैं इनसे मुकाबला कर लूंगा।...(व्यवधान) इनके बड़ों से मुकाबला करते हैं।...(व्यवधान) इनका जो माइंड सेट है कि ... §§§§§* यह उनकी सोच है, ठीक है।...(व्यवधान)

ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया : यह उचित नहीं है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री के.सी. वेणुगोपाल (अलप्पुझा): महोदय, इसे हटा देना चाहिए। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

… (*व्यवधान*)

श्री ज्योतिरादित्य एम.सिंधिया: महोदय, इसे हटा दिया जाना चाहिए। … (*व्यवधान*)

श्री ई.टी. मोहम्मद बशीर (पोन्नानी): महोदय, यह उचित नहीं है, और इसे हटा दिया जाना चाहिए। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: यह कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

… (*व्यवधान*)

---

§§§§§* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री गौरव गोगोई (कलियाबोर): यह उनके रवैये को दर्शाता है। … (*व्यवधान*) उन्हें शर्म आनी चाहिए। … (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया उन्हें बोलने दें।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: मैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए हूँ।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री असादुद्दीन ओवैसी : इनके इस जुमले पर मुझे एक शेर याद आया -

"सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी, जिन्हें होगी
हमें तो देखना यह है कि तू ज़ालिम कहां तक है।"

यह आपका माइंड सेट है। दूसरी बात यह है कि आप 'स्वदेशी जागरण मंच' को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो हमको क्या कंट्रोल कर पायेंगे? वह खुद आपके खिलाफ है। यह सरकार सोशल इम्पैक्ट असैसमेन्ट से क्यों डर रही है? आखिर क्या वजह है, खौफ किस बात का है? हमारी तारीख गवाह है कि जब कभी भी जमीन को हासिल किया गया है तो वह सिर्फ शरमायेदारों को लिए हासिल किया गया है। अगर जमीन को गरीब और गरीब के फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता तो कभी इस कानून की जरूरत ही नहीं पड़ती। मगर, सिर्फ शरमायेदारों को और मजबूत बनाने के लिए, उनके तिजोरियों में और इज़ाफा करने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है, यह हकीकत है। ...(व्यवधान)

तीसरी बात यह है कि इस कानून में स्कूल्स और हॉस्पिटल्स् बनाने का जिक्र क्यों नहीं किया जाता है। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स बनाइए, उन्हें बनाने से आपको कौन रोक रहा है?

चौथी बात यह है कि लैंड बैंक कहां पर है? आप लैंड बैंक क्यों नहीं बनाते हैं? मेरा मुशायदा यह है कि जितनी जमीनें दी गयी हैं, वे सिर्फ बड़े-बड़े शरमायेदारों को दी गयी हैं। एयरपोर्ट के नाम पर हजारों एकड़ जमीन दी गयी है लेकिन जमीन खाली पड़ी हुयी है। सुबह में एक मोआज़िज आदिवासी तालुक के बारे में बात कर रहे थे। क्या यह बात सही नहीं है कि यही हुकूमत ने, यही गवर्नमेन्ट ने, मोदी गवर्नमेन्ट ने आदिवासियों की जमीन लेने के लिए, जो कानून था कि पहले ग्राम सभा से परमिशन लिया जाये आप उसको निकाल दिए। आप आदिवासियों की जमीन ले रहे हैं और यहां खड़े होकर आदिवासी की बात कर रहे हैं। ...(व्यवधान) आपने वर्ल्ड बैंक को लेटर लिख कर दिया। ...(व्यवधान)

श्री रमेश बिधूड़ी (दक्षिण दिल्ली) : आदिवासियों की जमीन कहां ली गयी है?...(व्यवधान)

श्री असादुद्दीन ओवैसी: सर, इनको बैठाइए। ... *******

मैं हुकूमत से मुतालबा कर रहा हूं कि इन चीजों पर गौर किया जाये, लैंड बैंक बनाया जाये और यू.पी.ए. ने जो वर्ष 2013 में कानून बनाया, उसे सुप्रीम कोट ने अपहेल्ड किया, आप उसे क्यों बदलना चाह रहे हैं।

कल हमारे वजीरेआज़म का बयान आया है कि वज़ीरेआज़म के बयान ने साफ जाहिर कर दिया कि जो माज़ी में, बी.जे.पी. ने यू.पी.ए. गवर्नमेन्ट की कानून की ताइद की, वह गलत था, इसका मतलब है कि बी.जे.पी. में खुद में नफ़ाक है, तज़ाद है, डिविजन है।

******* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वैंकैय्या नायडू) : उपाध्यक्ष महोदय, जिनको जितनी गालियां देनी थी, उन्होंने उतनी गाली दे दी हैं, मोदी जी को दी, बी.जे.पी. को दी और संघ परिवार को दी, जो इसका समर्थन कर रहे हैं, उन लोगों को दी, कुछ लोगों ने आनंद महसूस किया, उनको मेरी शुभकामना। लोगों को जो फैसला करना है, वे फैसला करेंगे। इस बिल को ऑर्डिनैंस के रूप में क्यों लाया गया? इसके बारे में बताना, संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मेरा दायित्व बनता है। आर्टिकल 123, संविधान में प्रोविजन है। पुरानी सरकार ने वर्ष 2013 में जो कानून बनाया, वह कानून चर्चा करके ही बनाया गया, इसमें दो राय नहीं है। उसने इसे चुनाव के पहले बनाया। आने वाले चुनाव को नज़र में रख कर, चुनाव में फायदा होगा, ऐसा मान कर कानून बनाया। लेकिन फायदा नहीं हुआ। किसानों के लिए लोकप्रिय कानून है, पॉज़िटिव है तो किसान उससे प्रभावित होते। लेकिन क्यों उनके समर्थन में जिन्होंने यह इनीशिएटिव लिया, उन्हें सपोर्ट नहीं किया, यह सोचना चाहिए। डिप्टी स्पीकर सर, मेरा कहना है कि [अनुवाद] विभिन्न लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दी थी; राज्यों की ओर से भी रिप्रेजेंटेशन थी; मुख्यमंत्रियों की ओर से भी रिप्रेजेंटेशन थी; तत्कालीन केंद्र सरकार के मंत्रियों के रिप्रेजेंटेशन में कहा गया था कि वर्तमान अधिनियम, अपने वर्तमान स्वरूप में, नहीं होगा .... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: कृपया उन्हें परेशान न करें। अब तक, आप सभी सदस्यों ने भाग लिया है और जो कुछ भी आप बोलना चाहते थे, वह बोल दिया।

[हिन्दी]

श्री एम. वैंकैय्या नायडू : थोड़ा पेशैंस रखिए, धैर्य रखिए, क्या प्रॉब्लम है। सबको बोलने का काफी मौका दिया गया। जिन्हें जमीन के बारे में कुछ मालूम नहीं है, उन्होंने भी जमीन के बारे में बात की। हमें भी बोलने का थोड़ा मौका मिलना चाहिए। लोकतंत्र में [अनुवाद] यह सिर्फ़ 'संख्या' नहीं है; यह 'सदस्यों' के बारे में भी है। मेरे ज्ञान के अनुसार, अधिकांश सदस्य 272 'प्लस' हैं,न कि 'माइनस'।

"विधेयक के वर्तमान स्वरूप में भारत में विनिर्माण, औद्योगीकरण और शहरीकरण के लिए प्रतिकूल, दीर्घकालिक प्रभाव होंगे। प्रभावित परिवारों के 80 प्रतिशत की सहमति लेने के कारण भूमि अधिग्रहण में गंभीरता से देरी होगी और कई मामलों में, आवश्यक अवसंरचना परियोजनाओं को रोक दिया जाएगा।" यह तत्कालीन वाणिज्य मंत्री द्वारा तत्कालीन माननीय प्रधान मंत्री को लिखा गया पत्र था। यह एक मुद्दा है। … (*व्यवधान*)

दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री... (*व्यवधान*) सुनने की थोड़ी हिम्मत रखिए।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री को पत्र लिखकर कहा था कि बदलाव की आवश्यकता है। फिर, केंद्र सरकार द्वारा तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री श्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में, 27 जून 2014 को बुलाई गई एक बैठक में... (*व्यवधान*)

श्री के.सी. वेणुगोपाल: वह फिर से वही पुरानी बातें दोहरा रहे हैं। … (*व्यवधान*)

श्री एम. वेंकैया नायडू: ये वही पुरानी चीजें हैं, जिन्हें आपने ग्रामोफोन रिकॉर्ड की तरह भी दोहराया है। ग्रामोफोन रिकार्ड में ऐसा होता है। एक बार बताया था। उस समय आप यहां नहीं थे, बाहर गए थे। जब ग्रामोफोन रिकार्ड स्टक होता है, उसमें "चल्लनी राजा, ओ चंदामामा... ओ चंदामामा.. ओ चंदामामा" आता है। आप में से काफी लोगों ने इस कानून के खिलाफ बोला। वही पुराना रिकार्ड दोहराया, कोई नई बात नहीं आई। इतिहास को याद दिलाना, इतिहास से सीखना, अनुभव से सीखना हमेशा बहुत जरूरी होता है।

[अनुवाद]

महोदय, केंद्र सरकार द्वारा 27 जून 2014 को बुलाई गई बैठक में, 32 राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र ने व्यापक विचार-विमर्श किया,और कई राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए कि वर्तमान कानून, अर्थात् 2013 के तत्कालीन कानून में व्यावहारिक समस्याएं थीं, जहां तक देश की प्रगति और विकास का संबंध है तो इसके

लिए उनका समाधान करने की आवश्यकता है। यह सुझाव उस बैठक में उपस्थित, बहुसंख्यक राज्यों द्वारा दिया गया था।

जैसा कि मैंने आपको बताया, पहला पत्र लिखने वाले तत्कालीन वाणिज्य मंत्री हैं; दूसरा पत्र लिखने वाले मुख्यमंत्री हैं; और तीसरा उस समय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं, एक बैठक बुला रहे हैं जिसमें अधिकांश राज्यों ने देश की प्रगति पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की और परिवर्तन के लिए अनुरोध किया। चौथा गति के बारे में है। मुझे कहना होगा कि गति, पैमाना और कौशल हमारी सरकार और हमारे नेता श्री नरेन्द्र मोदी जी का मंत्र है। यही कारण है कि गति की अत्यंत आवश्यकता है।

क्या सरकार अन्य लोगों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को गंभीरता से लेगी या नहीं? हमने सम्पूर्ण रूप से सोचा कि यदि कुछ खामियाँ या कमियाँ हैं, तो उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। यह सरकार द्वारा लिया गया फैसला था। इसीलिए इस सरकार ने देश की रणनीतिक और विकासात्मक आवश्यकताओं को शीघ्र पूरा करने के साथ-साथ किसानों के कल्याण के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक आधिकारिक अधिदेश के साथ एक अध्यादेश पारित किया।

क्या किसानों को वो जैसे हैं उन्हें वैसा ही रहने दिया जाए? क्या उन्हें विकास में भागीदार नहीं बनने दिया जाना चाहिए? क्या उनके बच्चों को रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य चीज़ें पाने का अवसर नहीं मिलना चाहिए? उन्हें सरकार के समर्थन की आवश्यकता है। 1894 से 2013 तक, भूमि के कितने लाख एकड़ का अर्जन किया गया है, किसके द्वारा, और क्या यह किसानों की सहमति से किया गया है? देश में 1894 से 2013 तक भूमि के लाखों एकड़ भूमि का अर्जन किया गया है। क्या यह किसानों की सहमति से किया गया है? क्या उन्हें न्याय मिला है? उन्हें किसने लूटा है? मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे युवा दोस्त ने 'लूटिंग' शब्द का उपयोग किया। [हिन्दी] लूटिंग कहां से आया, किसने लूट की, किसने चीट किया, देशवासियों को सब मालूम है। उन्होंने अपना जो मैनडेट देना था, दे दिया। इसलिए कृपया उसमें मत जाइए। मैंने सुबह कहा कि हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करने के लिए तैयार हैं। ... (*व्यवधान*) [अनुवाद] किसानों को विकास में भागीदार बनाया जाना

चाहिए। एक बात बहुत स्पष्ट है। मैं सरकार की ओर से सभा को आश्वस्त कर सकता हूँ। [हिन्दी] जिस तरह से पहले कुछ स्टेट्स में हुआ, लाखों एकड़ जमीन प्राइवेट वालों को दिया, वैसा अब नहीं होगा, इसका मैं आश्वासन देता हूं। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र में एसईजेड और प्राइवेट इंडस्ट्रीज के लिए जिस तरह लैंड आधिग्रहण हुआ, वैसा काम हम लोग करने वाले नहीं हैं। यह सरकार किसी भी प्राइवेट परपस या प्राइवेट कंपनी के लिए जमीन आधिग्रहण नहीं करेगी, यह निश्चित है। गांव में खेती के लिए तलाब चाहिए। [अनुवाद] आपको एक टैंक की आवश्यकता है, आपको कृषि भूमि के विकास के लिए एक सिंचाई परियोजना की आवश्यकता है। … (*व्यवधान*) यदि आपके पास धैर्य नहीं है, आप सुनना नहीं चाहते हैं, मैं इसे आपके विवेक पर छोड़ देता हूँ। हमने आपके अधिकांश भाषण सुने हैं। आपने अपनी बातें रखीं। कृपया, इसे समझने की कोशिश करें। जिस सरकार के पास इतनी अधिक बहुमत है और वह लोकतंत्र का भी सम्मान करती है।

मेरा कहना है, यदि आपको एक सिंचाई परियोजना की आवश्यकता है, तो आपको भूमि अर्जन की आवश्यकता है; यदि आपको विद्युतीकरण की आवश्यकता है, तो आपको भूमि अर्जन की आवश्यकता है; यदि आपको रेलवे लाइन की आवश्यकता है, तो आपको भूमि अर्जन की आवश्यकता है; यदि आपको राष्ट्रीय राजमार्ग की आवश्यकता है, तो आपको भूमि अर्जन की आवश्यकता है; और यदि आपको ग्रामीण सड़क की आवश्यकता है, तो आपके पास भूमि अर्जन की आवश्यकता है। इसके बिना, यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं। … (*व्यवधान*) जनता की भलाई के लिए,देश को आगे ले जाने के लिए,जो भी कदम उठाने होंगे,यह सरकार हिम्मत के साथ वह कदम उठाएगी,इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कृषक समुदाय के हितों को ठेस पहुंचे। हम कृषक समुदाय का उत्थान करना चाहते हैं। हम उन्हें रोज़गार देना चाहते हैं। आपने पचास वर्षों में जो किया है, वह हम वह नहीं करने वाले हैं। उस पर आश्वस्त रहें और निजी लोगों के लिए भूमि अर्जन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। अब यह कहना एक फैशन बन गया है कि यह सरकार उद्योगपतियों की है, पूंजीपतियों की है, कॉरपोरेट्स की है, उन्होंने पचास वर्षों तक उन लोगों को प्रोत्साहित किया है। ये सभी *उद्योगपति,* ये सभी करोड़*पति,* ये सभी कॉर्पोरेट, वे सभी पैदा

हुए थे,वे सभी बड़े हुए थे, वे सभी विकसित हुए थे और दूसरी तरफ के शासन के दौरान उनका महिमामंडन किया गया था न कि हमारी सरकार द्वारा। हमारी सरकार जनता के लिए है। हमें लगता है कि उद्योग की भी आवश्यकता है। यदि कुछ लोग उद्योग नहीं चाहते हैं, यदि उनकी नीति उद्योग के विरुद्ध है, तो यह उनकी पसंद है। कोई समस्या नहीं है। लेकिन हमारी नीति उद्योग के विरुद्ध नहीं है। हम चाहते हैं कि कृषि समृद्ध हो। हम चाहते हैं कि औद्योगिकीकरण हो। हम चाहते हैं कि किसानों के बच्चों को रोज़गार भी मिले। यही इस विधेयक का उद्देश्य है। [हिन्दी] गारंटीड इम्लायमेंट का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर किसी के पास जमीन नहीं है, उसको भी नौकरी देने का प्रोविजन है इसकी भी कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। जिनको नौकरी नहीं मिलेगी, उनको 20 साल तक पैसे मिलेंगे, इसका भी प्रोविजन है। जब मैं बोलता हूं तो ये लोग इतना क्यों डरते हैं, यह समझ नहीं आता है। 3,000 रूपए प्रति माह का निर्वाह अनुदान है। घर को कुछ हो जाए, तो नए घर का प्रावधान है। मकान गिरेगा तो मकान का निर्माण करेंगे, सब्सिटेंस अलाऊएंस देंगे, 25 हजार रुपये कैटल शेड बनाने के लिए देंगे। कोई भी जमीन निजी व्यापार के लिए एक्वायर नहीं करेंगे, उद्योगपतियों के लिए लैंड एक्वायर नहीं करेंगे, आपने जो किया वैसा हम करने वाले नहीं हैं, हमने अनुभव से सीखा है । [अनुवाद] मैं पूरे मन से बोल रहा हूं। कृषक समुदाय को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। उन्हें समर्थन की आवश्यकता है; उन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता है। उनके बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। हमें 2022 तक सभी के लिए घर बनाना होगा। घरों को बातों से नहीं बनाया जा सकता है। उन्हें कहीं बनाया जाना है, लेकिन बातों में नहीं। यदि आप इनमें से कोई भी सुविधा चाहते हैं, तो उन्हें केवल भूमि पर निर्माण करने की आवश्यकता है। यहां तक कि विमानपत्तन का निर्माण केवल भूमि पर किया जाता है, हवा में नहीं। इसे सभी को समझना होगा।

इन 13 अधिनियमों पर आते हुए, श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, यदि अध्यादेश सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले 13 केंद्रीय अधिनियमों पर आगे नहीं बढ़ाया जाता है, जिसके अन्तर्गत अधिग्रहण किए जाते हैं, तो किसानों को आवश्यक मुआवजा नहीं मिलेगा, उन्हें अधिनियम के तहत प्रदान किया गया सुनिश्चित रोज़गार नहीं मिलेगा। प्राचीन संस्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958, परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962, दामोदर घाटी निगम अधिनियम 1948, भारतीय ट्रामवे अधिनियम 1886, भूमि अधिग्रहण

(खदान) अधिनियम 1885, मेट्रो रेलवे (कार्य निर्माण) अधिनियम 1978, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम 1962, अचल संपत्ति अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम,1952, विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास (भूमि अधिग्रहण) अधिनियम 1948, कोयला धारक क्षेत्र अर्जन और विकास अधिनियम 1957, बिजली अधिनियम 2003 और रेलवे अधिनियम 1989 - इन सभी को पहले के विधेयक से छूट दी गई थी। किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। हम न्याय देना चाहते हैं, इसीलिए हम इसको अध्यादेश के हिस्से के रूप में लेकर आए और हम संसद में भी संशोधन लेकर आए।

यह समझने की कोशिश करें कि लाखों एकड़ भूमि का अर्जन पहले ही किया जा चुका है। कुछ मित्र कह रहे हैं कि उसमें से आधी भूमि खाली पड़ी है। इस पर सहमति होने दीजिए। यदि आपको पहले जो भी भूमि दी जाती है वह खाली पड़ी है, तो उसे वापस ले लिया जाए। उस सुझाव को संयुक्त समिति में आने दीजिए। इसे संयुक्त समिति को संदर्भित करने का उद्देश्य यह है कि 1894 अधिनियम को देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोगों के साथ धोखाधड़ी के रूप में कहा गया था। और इसे किसने लागू किया? अब जब आप परिवर्तन करते हैं, तो आपको बेहतर परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आपको इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, आपको राज्यों को विश्वास में लेने की आवश्यकता है, आपको विभिन्न दृष्टिकोण को देखने की आवश्यकता है, और आपको किसानों की आकांक्षाओं को समझने की भी आवश्यकता है।

आप जो भी कहें, आप जो भी अभिशाप दें, कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि देश के लोगों में हमारे नेता श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति अत्यधिक विश्वास और सम्मान है। वह आज, कल और आने वाले दिनों में भी देश के सबसे लोकप्रिय प्रधान मंत्री रहेंगे। आप कोई भी सर्वेक्षण देखें। कल जो सर्वेक्षण आया है, उसमें भी विश्वास व्यक्त किया गया है कि 82 प्रतिशत लोग कह रहे हैं कि वह सबसे अच्छे प्रधान मंत्री हैं। आज *टाइम* पत्रिका ने उन्हें अमेरिका में भी फ्रंट-पेज पर दिखाया है। वह देश के बाहर और भीतर भी लोकप्रिय हैं।

समझने की कोशिश करें। कुछ दल इधर-उधर आलोचना करते हुए कह रहे हैं कि चौतरफा विरोध हो रहा है। अगर चौतरफा विरोध हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमें कुछ पता नहीं हैं? हम लोगों के संपर्क में भी

रहने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अधिकांश संसद के माननीय सदस्यगण ग्रामीण क्षेत्रों से हैं। वे भी कृषक परिवारों से हैं। मेरी पार्टी की ओर से बहस की शुरुआत करने वाले सदस्य श्री दिलीप सिंह भूरिया *आदिवासी* क्षेत्र से आते हैं। वह एक ज्ञात नेता है जो *आदिवासी* लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। और फिर इसे इस तरह गलत तरीके से पेश किया जा रहा है जैसे *आदिवासियों* के अधिकार छीन लिए जा रहे हैं।

झूठे प्रचार द्वारा, नकारात्मक प्रचार द्वारा, दुष्प्रचार अभियानों से, आप कुछ भी प्राप्त नहीं करने जा रहे हैं। यदि आप वास्तव में किसानों की सेवा करना चाहते हैं, तो कृपया अपनी सम्पूर्ण समझ और ज्ञान का उपयोग करें। हम सब उस संयुक्त समिति में बैठें, एक साथ सोचें, अच्छी सिफारिशें करें जिससे संसद सामूहिक दृष्टिकोण अपना सके और फिर आगे बढ़ सके।

जहां तक लोकतंत्र की बात है, हमारी सरकार पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक सरकार है। हम दूसरों को भी सुनने का धैर्य रखते हैं। आपके सभी आरोपों के बावजूद, हमने सुना। इसका कारण यह है कि हम विपक्ष का सम्मान करना चाहते हैं। यद्यपि विपक्ष संख्या बल के आधार पर छोटा है, लेकिन हम इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि विपक्ष अपनी बात रखे; परन्तु अंत में सरकार को पथ प्रशस्त करना चाहिए। यही लोकतंत्र का अर्थ है।

महोदय, 452 अध्यादेशों को पहले घोषित किया गया था। इसे भूलकर, हमारे मित्र हमें *प्रवचन* दे रहे हैं। चार बार एक ही अध्यादेश जारी किया गया था। क्या आप चाहते हैं कि मैं उस पर विस्तार में जाऊं? और फिर आपने देखा भी है कि किन उद्देश्यों के लिए अध्यादेश जारी किए गए थे। आपने यह भी देखा है कि व्यक्तियों के लिए लोगों के मूल अधिकार कैसे छीन लिए गए। यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं, तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। जब यह विधेयक वापस आता है तो हम पूरी चर्चा, सार्थक चर्चा कर सकते हैं। यही उद्देश्य है जो मैंने सुबह कहा था। जब खड़गे जी कुछ कहना चाहते थे, तो मैंने सुबह ही कह दिया कि सरकार इसे संसद की संयुक्त समिति को सौंपने को तैयार है। ऐसा कहने के बाद, आपको इतना परेशान नहीं होना चाहिए था सिवाय इसके कि आप हमारी सरकार की छवि को तार-तार करना चाहते थे।

<u>सायं 6.00 बजे</u>

मेरी सरकार फुलप्रूफ है, उस पर कोई दाग नहीं लगने वाला। इसके बारे में चिंता न करें। आप आखिर में निराश हो जायेंगे। मैं सभा में सभी दलों से उस संयुक्त समिति में काम करने और सामूहिक सिफारिश करने का आग्रह करता हूं जिससे हम उन कृषक समुदाय की स्थिति में सुधार कर सकें जो वर्षों से पीड़ित हैं, वर्षों से धोखा खा रहे हैं, वर्षों से लूटे गए हैं और उन्हें कभी कुछ नहीं समझा गया है। आइए हम एक अच्छा विधान बनाएं, एक सार्थक विधान बनाएं, एक रचनात्मक विधान बनाएं, यही मेरा सुझाव है। संसदीय कार्य मंत्री के रूप में मेरा मानना है कि इस विधेयक को संयुक्त समिति को भेजना सर्वोत्तम विकल्प है जिससे हमारे पास दोनों सभाओं का सामूहिक ज्ञान प्राप्त हो सके। यह हमारे लिए उपयोगी होगा।

माननीय उपाध्यक्ष: अभी छह बजे हैं। यदि सभा की सहमति हो, तो मंत्री जी जब तक अपना उत्तर समाप्त नहीं करते, तब तक हम सभा के समय को बढ़ा सकते हैं।

कई माननीय सदस्य : जी हां, महोदय।

माननीय उपाध्यक्ष: अत: सभा का समय तब तक बढ़ाया जाता है जब तक मंत्री जी अपना उत्तर समाप्त नहीं कर लेते।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह): माननीय उपाध्यक्ष जी, हम अध्यादेश पर बिल लेकर आए हैं, इस पर बहुत से साथियों ने कहा कि यह उचित नहीं है। आदरणीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने 13 बिलों, 13 एक्ट्स का जिक्र किया है, जो 2013 के एक्ट से बाहर थे। हमारा प्राथमिक उद्देश्य यह था कि इनको इसमें शामिल कर लिया जाए ताकि किसान, जिनकी भूमि का आधिग्रहण रेल, सड़क या केंद्रीय एक्ट में हुआ है, उनको भी वही मुआवजा मिले जो 2013 के एक्ट में मिलना चाहिए था। इसलिए यह दोबारा से हुआ ताकि कन्टीनुएशन रहे। अगर कन्टीनुएशन नहीं रहेगी तो उन्हीं लोगों को, जिनको 2013 के एक्ट के तहत मुआवजा मिलना था, उनको मुश्किल आ सकती थी। यही इसका बड़ा कारण था।

मुझे आज इसी बात से प्रसन्नता हो रही है कि सदन के सभी सदस्यों ने, खास तौर पर सभी पार्टियों के लीडर्स ने माना, अगर किसी को कोई सुझाव देना है, कोई मंच है, किसानों का संगठन है, मजदूरों का संगठन है, किसी राजनैतिक दल की कोई बात है, किसान के हित में कोई सुझाव है तो हम उसे मानने के लिए तैयार हैं। हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, अगर उसमें कोई अमेंडमेंट करनी पड़ेगी तो करेंगे। आज ज्वाइंट कमेटी के लिए सदन में माहौल बना है। यह भी इसी बात की तरफ इशारा करता है। ऐसी और भी चीजें हो सकती हैं, जो मैम्बर्स कमेटी के सदस्य बनेंगे, डिसकशन में हिस्सा लेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें होंगी जो इस एक्ट में शामिल की जा सकती हैं। यही बात हमने पिछले बार दोहराई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश जिस पार्टी ने यूपीए सरकार के समय में इस बिल को पास कराया था, उनका मत था कि 2013 का एक्ट अल्टीमेट है, इससे आगे-पीछे कुछ नहीं हो सकता है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जब भारत का संविधान बना था उस समय डॉ. भीम राव अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। इसमें बड़े राष्ट्रीय नेताओं ने अनेक प्रकार के सुझाव देकर एक ऐसा संविधान बनाया था, जिसमें भारतवासियों की आस्था जगी थी। लेकिन उसमें भी आज 65-66 साल हो गये। सौ से

ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। समय की बात है। कुछ माननीय सदस्यों ने यह कहा कि यह कानून तो अभी बना ही था, इसमें ऐसी कौन सी चीजें आ गयीं कि आपको इसमें सुधार करना पड़े। कुछ चीजों का जिक्र आदरणीय वैंकेया जी ने किया। लेकिन आप उस के साथ-साथ इस बात को भी देखें कि यह नौबत क्यों आयी? मेरे पास आंकड़े हैं कि 1 जनवरी, 2014 से लेकर 12 मई, 2015 तक इस देश के अंदर, इस एक्ट के तहत, जिसके बारे में यह कहते हैं कि इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए, कहीं भी पंजाब में सौ एकड़ जमीन और ओडिशा में सौ एकड़ से भी कम और एक अन्य राज्य में 36 एकड़...(व्यवधान) मुलायम सिंह जी पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए।...(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (आज़मगढ़) : उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं दिया गया। चैक बाउंस हो रहा था।...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ) : उत्तर प्रदेश का नाम भी नहीं ले रहे हैं। एक रुपया मुआवजा नहीं दिया गया।...(व्यवधान) चैक बाउंस हो रहा था।...(व्यवधान)

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : मुलायम सिंह जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए।...([हिन्दी] व्यवधान) मेरी बात पहले पूरी होने दीजिए। फिर आपको पता लगेगा। आंध्र प्रदेश में वर्ष र् 2013 के बाद से असम निल, गोवा निल, मणिपुर निल, मेघालय निल, मिजोरम निल, पंजाब 26 एकड़, सिक्किम निल, तमिलनाडु निल, त्रिपुरा निल, वेस्ट बंगाल निल, चंडीगढ़ निल, लक्षद्वीप निल, दिल्ली निल, पांडिचेरी निल, दमन एंड दीव निल, इसके अलावा ओडिशा में 303 एकड़ जमीन एक्वायर की गयी। मुलायम सिंह जी ने जो बात कही, इन्होंने जो जमीन एक्वायर की, वह वर्ष 2013 के एक्ट के पहले के प्रावधानों के अंदर हुई है।...(व्यवधान) वर्ष 2013 का एक्ट पास होने के बाद यूपी में भी कोई जमीन एक्वायर नहीं की गयी है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंदोपाध्याय (कोलकाता उत्तर): महोदय, यह निराधार रिपोर्ट है। पश्चिम बंगाल सरकार ने एक हजार एकड़ से अधिक भूमि का अर्जन किया है। ... (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, कृपया बैठ जाएं।

… (*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह : सर, ये फिगर्स मैंने घर बैठ कर नहीं बनायी हैं, हमने हर स्टेट से मंगवायी हैं और उन्होंने यह कहा है कि हमने आज तक इस 2013 के एक्ट के तहत कोई जमीन एक्वायर नहीं की है। मुझे आप यह बताइए कि इस देश के 29 राज्य पिछले डेढ़ साल से कोई जमीन एक्वायर नहीं कर रहे हैं । या तो एक्ट में कोई कमी है या उनको जरुरत नहीं है। यह नहीं हो सकता कि किसी भी राज्य को किसी न किसी काम के लिए जमीन की जरुरत न हो। यह एक सबसे बड़ी वजह थी जिसके लिए हम ये अमेंडमेंट लेकर आए हैं। ...(व्यवधान)

राहुल जी ने कुछ बातें कही हैं और मैं यह कहूं कि आज मेरा यह नहीं था कि मैं कोई ज्यादा मैटीरियल लेकर बोलूं। इन्होंने मुझे अपने भाषण से ही काफी मैटीरियल दे दिया।...(व्यवधान) एक तो इन्होंने यह कहा कि एसईजैड की 40 जमीनों का कोई उपयोग नहीं हुआ है। यह सही बात है और हम इनकी बात मानते हैं लेकिन एसईजेड क्यों बनाए गए थे, किस प्रपोरशन से उनकी अलॉटमेंट की गई थी। एसईजेड की जमीने जिस तरह से दी गई थीं, उस समय भी यह बात सामने आई थी कि इसी तरह का आवंटन हुआ तो इन पर कुछ नहीं होगा। बहुत से लोगों की एसईजेड में मंशा ऐसी थी कि दिल्ली के नजदीक जमीने ले लो और दस-बारह साल बाद ऐसा होगा कि एसईजेड चला नहीं, इसलिए इन जमीनों को कमर्शियल और रेजिडेंशियल में तब्दील कर दो ताकि हजारों करोड़ रुपयों का मुनाफा हो जाए।

मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि राहुल जी ने कहा कि तीन कुल्हाड़ी के वार किए गए। इन्होंने कहा कि गर्दन पर वार किया गया। राहुल जी आप " गंडासा " के बारे में जानते होंगे या " फरसा। " हमने देखा है कि किसान जब सिर पर वार करता है तो कुल्हाड़ी से करता है और जब गर्दन पर वार करता है तो गंडासे या फरसे से करता है, यह फर्क आप समझ लीजिए। आपने कहा कि हमने पांच साल के प्रावधान को खत्म कर दिया। इसमें सिर्फ इतना परिवर्तन किया गया है कि कोई भी प्रोजेक्ट जिसकी अवधि पांच साल की है, अगर पांच साल तक वह प्रोजेक्ट शुरू नहीं होता तो वह जमीन किसान को वापिस चली जाएगी। आप भी इस बात को एप्रिशिएट

करेंगे कि कई प्रोजेक्ट्स पांच साल में खत्म नहीं हो सकते हैं। उनका प्रोजेक्ट पूरा होने का समय ही आठ साल, नौ साल या बारह साल होगा तो आप कैसे मान लेंगे कि वह पांच साल में खत्म हो जाएगा।...(व्यवधान) मैं आज भी उस बात को याद करता हूं...(व्यवधान) जब श्रीमती सोनिया गांधी ने नैनीताल में एक कनक्लेव बुलाया था, जिसमें कांग्रेस रूल्ड स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स आए थे। इन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि मैं यह चाहती हूं कि किसान की मल्टी क्रॉप जमीन किसी भी हालत में एक्वायर नहीं होनी चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस समय यह अपना भाषण दे रही थीं, हरियाणा में मल्टी क्रॉप जमीनों का अधिग्रहण हो रहा था।...(व्यवधान) मैं अभिलेखों के माध्यम से प्रमाणित करूँगा ... (*व्यवधान*) मेरा पास रिकार्ड है कि हरियाणा के अंदर बीस हजार एकड़ जमीन पर सैक्शन 4 और 6 के नोटिस किए गए। यह सुनने की बात है कि यह कितना बड़ा स्कैण्डल है। सैक्शन 4 और 6 के नोटिस बीस हजार एकड़ जमीन पर किए गए और जो बिल्डर और डेवलपर थे, उनको कहा गया कि तुम अब किसान से खरीद लो।...(व्यवधान) जिसमें 4000 एकड़ जमीन सोनीपत, 4500 जमीन गुडगांव और 3500 एकड़ जमीन फरीदाबाद की है।...(व्यवधान) आप सुन लीजिए।...(व्यवधान) डेवलपर को यह कहा गया कि जमीन ले लो और डेवलपर किसान के पास जाकर कहता है कि तुम्हारी जमीन एक्वायर हो जाएगी, पांच-सात लाख रुपये मिलेंगे, मैं तुम्हारी जमीन 12 लाख रुपये में खरीदता हूं। सारी जमीनें डेवलपरों ने खरीदीं और उसके उनके ऊपर रेजिडेंशियल कॉलोनीज बनाने के लिए इन्होंने सीएलयू दिए।...(व्यवधान) यह है सबसे बड़ा घपला।...(व्यवधान) मेरे पास रिकार्ड हैं। जिस तरीके से हरियाणा के उस समय के मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को गुमराह किया है, कोई और नहीं कर सकता है। आपने लूट की है जमीन की।...(व्यवधान) राहुल जी, मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा। आप भारत भ्रमण करते हैं, आपने हमारे को बोल दिया कि दस लाख रुपये का सूट है।...(व्यवधान) एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान) अगर किसी किसान का बेटा, गरीब का बेटा लाख रुपये का सूट पहनता है तो आपको क्या तकलीफ होती है। ये आपके बराबर में बैठे लोग कितने-कितने का सूट पहनते हैं ये ... ††††††* इनसे पूछो।...(व्यवधान)

---

††††††*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अभी जयपुर गया, वहां हमने सात राज्यों के...(व्यवधान) देखिए, अगर आप राजनैतिक बात कहेंगे तो राजनैतिक जवाब ही मिलेगा।...(व्यवधान) ऐसा नहीं हो सकता।...(व्यवधान) आपको राजनैतिक बात करनी है तो राजनैतिक जवाब भी मिलेगा। ...(व्यवधान)

<u>सायं 6.18 बजे</u>

इस समय श्री ज्योदिरादित्य एम.सिंधिया और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा बहुत से माननीय सदस्यों ने ...(व्यवधान) मुझे खेद है। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का नाम लेना चाहता था, गलती से माधवराव सिंधिया जी का नाम ले लिया। मैं इस चीज के लिए माफी मांगता हूं। मुझे खेद है। ...(व्यवधान) यही है जो मैंने कहा है। ...(व्यवधान) गलती से ऐसा हो गया।...(व्यवधान)

महोदय, मेरे बहुत साथियों ने इंडस्ट्रियल कॉरीडोर की बात कही। ...(व्यवधान) मैंने माफी मांग ली है और क्या चाहते हैं आप लोग?...(व्यवधान) मैंने गलती से बोल दिया। ...(व्यवधान) यही है जो मैंने कहा है। वह गलती से कहा गया। मैंने कहा कि मैंने गलती से नाम ले लिया।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: सदन की कार्यवाही अपराह्न छह बज कर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

सायं 6.19 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सायं छह बज कर तीस मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

<u>सायं 6.30 बजे</u>

लोक सभा सायं छह बज कर तीस मिनट पर पुनः समवेत हुई।

[माननीय उपाध्यक्ष *पीठासीन* हुए]

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 का - जारी

माननीय उपाध्यक्ष: अब, हम मद सं. 8 और 9 पर चर्चा करेंगे।

माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह): उपाध्यक्ष जी, सही बात तो यह है कि मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं थी और ... ‡‡‡‡‡‡*का नाम मेरे मन में कैसे आया, मैं नहीं समझ पाया। मैं इन्हें कहना चाहता था, गलती से उनका नाम आ गया और उसके लिए मैंने इनसे माफी भी मांग ली थी, अब भी मांग लेता हूं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था।

---

‡‡‡‡‡‡* कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष जी, मुलायम सिंह जी ने सुझाव दिया है, उस पर मैं दो मिनट अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा। इनके सुझाव में यह बात छिपी हुई है, जैसा मैंने शुरू में कहा कि अब भी अगर राजनैतिक दलों द्वारा या और किसी संस्था द्वारा कोई भी इस बिल में सुधारात्मक बात, किसान के हित में की जाएगी, तो हमें उस पर कोई एतराज नहीं है। मुझे लगता है कि संयुक्त संसदीय समिति में ये सारी बातें डिसकस होंगी और इसके अच्छे परिणाम आएंगे। हम यह चाहते हैं कि किसान का किसी भी तरीके का कोई नुकसान अगर इस बिल के किसी भी प्रावधान से होता है तो हम कभी उसे नहीं लेकर आएंगे। यह बिल किसान के हित में है और किसानों के लिए है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि इस देश के विकास के लिए भी यह जरूरी है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि आज 20 से 30 करोड़ लोगों को जो गांवों में रहते हैं, खेती पर निर्भर हैं, उन्हें कोई दूसरा काम सौंपने की जरूरत है। यह तब ही सम्भव होगा जब हम विकास के दोनों पहियों को गति दे सकेंगे और किसान को पूरा इंसाफ दे सकेंगे।

इसके साथ-साथ मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो संयुक्त संसदीय समिति में इस बिल को भेजने का विचार आया है, सभी ने उस पर अपनी सहमति दी है, मैं उस समिति में शामिल होने वाले इस सदन के सदस्यों के नाम पढ़ देता हूं।

[अनुवाद]

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, बस एक मिनट और। मैं बाद में व्यवस्था दूंगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, श्री वेंकैया नायडू, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने दिनांक 12 मई, 2015 के *पत्र द्वारा* माननीय अध्यक्ष महोदया को जानकारी दी है कि सरकार भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 को दोनों

सदनों की संयुक्त समिति को भेजना चाहती है। संयुक्त समिति को विधेयक सौंपे जाने के प्रस्ताव का नोटिस भी मिला है। नोटिस की प्रतियां अभी माननीय सदस्यों को परिचालित की गई हैं।

मंत्री जी के अनुरोध के मद्देनजर, सांविधिक संकल्प के निपटारे के बाद, मैं विधेयक के प्रभारी मंत्री श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह को संयुक्त समिति को विधेयक सौंपे जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुलाऊंगा।

श्री सी.एन. जयदेवन (त्रिस्सूर): श्री उपाध्यक्ष, महोदय, जब मैंने सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया और चर्चा में भाग लिया, तो मैंने जो विचार और भावनाएं व्यक्त कीं, वे भारत के किसानों और गरीब लोगों के बारे में थीं। लेकिन सरकार की तरफ से मुझे कोई उत्तर नहीं मिला है।

महोदय, जब मैं चाय पीने के लिए गया था, तब कुछ समय को छोड़कर मैं सभा में पूरी चर्चा सुन रहा था। सभी माननीय सदस्य जो सत्तारूढ़ दल की ओर से बोल रहे थे, जिनमें श्री वेंकैया नायडू और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री भी शामिल थे वे बार-बार कह रहे थे कि यह विधेयक गरीबों के हित में है। मैं सरकार से यह प्रश्न पूछना चाहता हूँ। लोक सभा में इस तरह का विधेयक लाने के लिए सरकार की क्या दिलचस्पी है? वे यह विधेयक किसके लिए ला रहे हैं? क्या यह भारत के किसानों और गरीबों के लिए है या यह भारत के बड़े पूंजीपतियों के लिए है? मैं सरकार पर आरोप लगाता हूँ कि वे भारत के बड़े पूंजीपतियों के लिए और भारत के बड़े पूंजीपतियों के संरक्षण के लिए यह विधेयक लाए हैं। अत:, मैं इस सभा से इस सांविधिक संकल्प को पारित करने का आग्रह करता हूँ।

माननीय उपाध्यक्ष: माननीय मंत्री पहले ही सदन को सूचित कर चुके हैं कि सरकार इस विधेयक की विस्तृत जांच के लिए एक संयुक्त समिति गठित करने को तैयार है। इसलिए, विधेयक पर समिति में चर्चा होगी और उसके बाद हम सभा में इस पर फिर से चर्चा करेंगे।

अब मैं श्री सी.एन. जयदेवन द्वारा प्रस्तुत सांविधिक संकल्प को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है:

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 3 अप्रैल, 2015 को प्रख्यापित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता के अधिकार (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (2015 का संख्यांक 4) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

<u>सायं 6.36 बजे</u>

संयुक्त समिति को भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) दूसरा विधेयक, 2015 सौंपे जाने के प्रस्ताव बारे में

माननीय उपाध्यक्ष: अब माननीय मंत्री विधेयक को संयुक्त समिति को सौंपे जाने का प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

ग्रामीण विकास मंत्री, पंचायती राज मंत्री तथा पेयजल और स्वच्छता मंत्री (श्री चौधरी बीरेंद्र सिंह): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 30 सदस्य होंगे, जिनमें से 20 इस सदन से होंगे, अर्थात् :-

1. श्री आनंदराव अडसुल
2. श्री एस.एस. आलूवालिया
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री आर.के. भारती मोहन
5. श्री पी.पी. चौधरी
6. कुमारी शोभा कारान्दलाजे

7. श्री बी. विनोद कुमार

8. श्री मुरली मोहन मगंती

9. श्री भर्तृहरि महताब

10.श्री चिराग पासवान

11.श्री नित्यानंद राय

12.श्री रविन्द्र राय

13.श्रीमती कृष्णा राज

14.श्री उदित राज

15.श्री मोहम्मद सलीम

16.श्री राजीव शंकरराव सातव

17.श्री गणेश सिंह

18.श्री अनुराग ठाकुर

19.प्रो. के.वी. थोमस

20.डॉ. वी.पी. वेलागपल्ली

और राज्य सभा से 10 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के पहले दिन इस सभा को सूचना देगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया नियम ऐसे विभेद या आशोधनों, जैसा कि अध्यक्ष करे, के साथ लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

माननीय उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है:

"कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यर्वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 30 सदस्य होंगे, जिनमें से 20 इस सदन से होंगे, अर्थात् :-

1. श्री आनंदराव अडसुल
2. श्री एस.एस. अहलूवालिया
3. श्री कल्याण बनर्जी
4. श्री आर.के. भारती मोहन
5. श्री पी.पी. चौधरी
6. कुमारी शोभा कारान्दलाजे
7. श्री बी. विनोद कुमार
8. श्री मुरली मोहन मगंती
9. श्री भर्तृहरि महताब
10. श्री चिराग पासवान
11. श्री नित्यानंद राय

12.श्री रविन्द्र राय

13.श्रीमती कृष्णा राज

14.श्री उदित राज

15.श्री मोहम्मद सलीम

16.श्री राजीव शंकरराव सातव

17.श्री गणेश सिंह

18.श्री अनुराग ठाकुर

19.प्रो. के.वी. थोमस

20.डॉ. वी.पी. वेलागपल्ली

और राज्य सभा से 10 सदस्य होंगे;

कि संयुक्त समिति की बैठक के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के कुल सदस्यों की संख्या की एक तिहाई होगी;

कि समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के पहले दिन इस सभा को सूचना देगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों से संबंधित इस सभा की प्रक्रिया नियम ऐसे विभेद या आशोधनों, जैसा कि अध्यक्ष करे, के साथ लागू होंगे; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष: सभा पुनः समवेत होने के लिए कल 13 मई, 2015 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

<u>सायं 6.38 बजे</u>

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 13 मई, 2015 / 23 वैशाख, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2015 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित